खण्ड-358, अंक-3
सोमवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1904
(23 अगस्त, 1982 ई0)

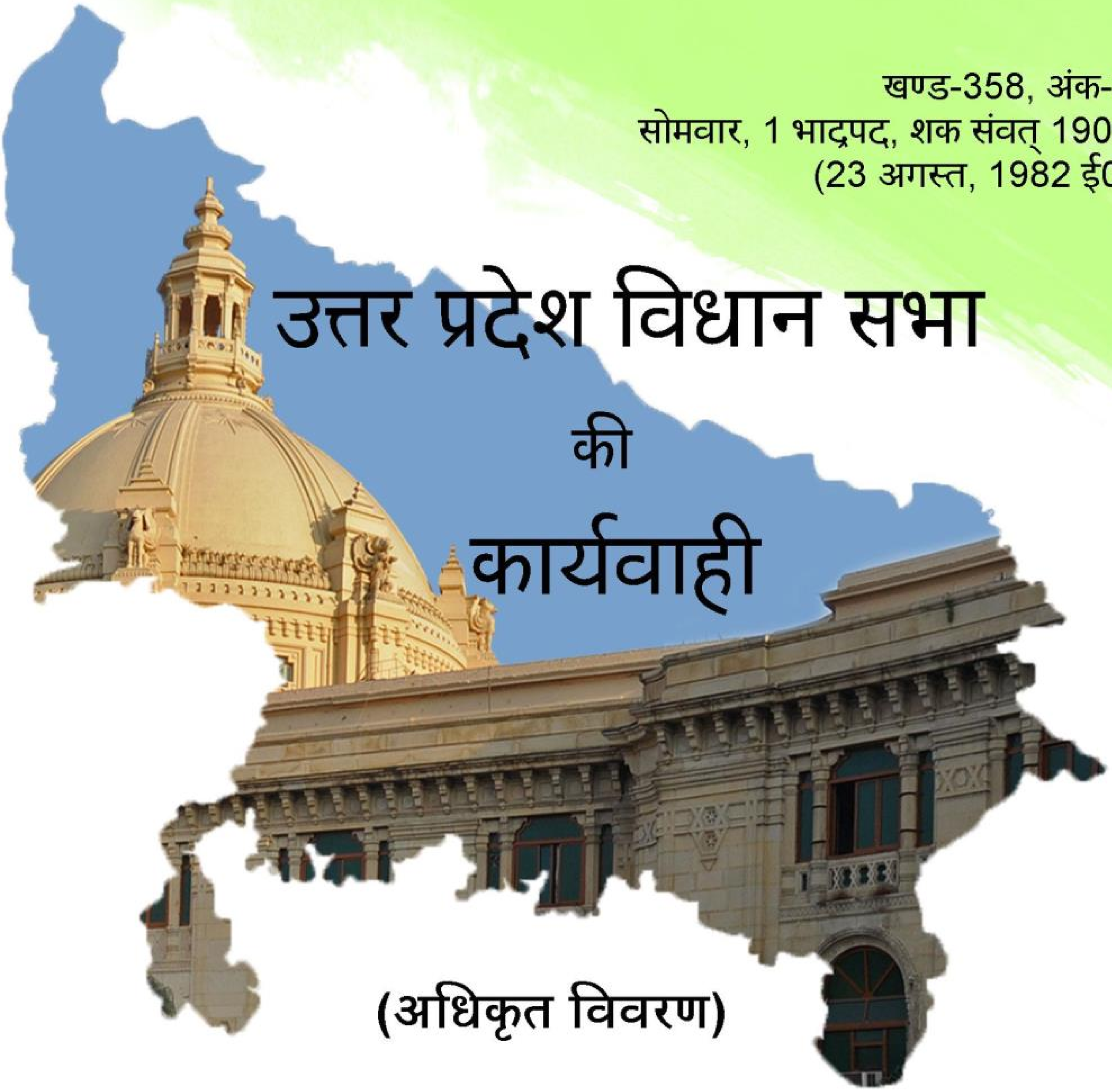

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	विषय-सूची	पृष्ठ-संख्या

उपस्थित सदस्य 291–295

बिहार के प्रेस विधेयक के विरोध में पत्रकारों द्वारा प्रश्न प्रहर में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न प्रहर के स्थगन एवं चर्चा की मांग 297–304

प्रश्नोत्तर 305–396

महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी चिकित्सालय में विद्युत् आपूर्ति न होने तथा चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 396–397

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली जनपद सीतापुर की कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 397–398

बिसवा जनपद सीतापुर के प्रांगण प्रमाण में शहीदों के स्मारकों की उपेक्षा के कारण जन मानस में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम301 के अन्तर्गत सूचना 398

राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा की इमारत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 398–399

आगरा में आर0 बी0 एस0 इन्टर कालेज बिचपुरी तक बस चलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 399–400

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर मंत्री द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 400

पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों द्वारा काले बिल्ले लगाकर बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 400–401

प्रदेश में बने अधिनियमों के विधि मान्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 401–402

भूतपूर्व गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी तथा स्वर्गीय त्रिवेनी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय 402–403

गोंडा के पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय 403–404

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया) .. 404–405

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. 405–407

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 (पारित) 407–412

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित)	412–419
अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित) ..	419–428
ग्राम सिसवा, थाना मोहना, जिला बस्ती में पुलिस तथा असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ कथित बलात्कार के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा उस पर चर्चा	428–453
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	453–454
जनपद आगरा में डाकू अनार सिंह द्वारा पांच पुलिस कर्मियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य ..	454–457
माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, 1982 के प्रश्न पत्रों के न पहुंच सकने के कारण कतिपय छात्रों के परीक्षा से वंचित हो जाने तथा परीक्षा केन्द्रों पर नकल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	458–462
वित्तीय वर्ष 1982–83 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	462
वित्तीय वर्ष 1977–78 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	463
वित्तीय वर्ष 1978–79 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	463
नत्थियां .. –. .–	465–490

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 23 अगस्त, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 369

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवर मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
कदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला साहनी श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री- (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रावत, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)

चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'बिकल' सकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर बिक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोन्डा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)

बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटवा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)

रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
रम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
रामहर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कान

सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनराय सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदय प्रदेश विधान सभा

बिहार के प्रेस विधेयक के विरोध में पत्रकारों द्वारा प्रश्न प्रहर में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न प्रहर के स्थगन एवं चर्चा की मांग

(11 बजे)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, बिहार के पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ है उनकी सिम्पैथी में यहां के पत्रकारों ने आज विधान मंडल के प्रश्नों के घंटे का बहिष्कार किया है। इसलिये मेरी मांग है कि आज का प्रश्नों का घंटा समाप्त किया जाय।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रेस गैलरी खाली पड़ी है। पत्रकारों ने आज प्रश्नों के घंटे का बहिष्कार किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो अव्यवस्था पैदा हो जायेगी। इसलिये एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री भीखा लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे विधान सभा के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट रही है कि हमारे देश और प्रदेश में लिखने वाले जो समाचार पत्र हैं उनके प्रतिनिधियों को यहां बैठने की व्यवस्था की गई है कि वह यहां हो रही कार्यवाही को रेकार्ड करें, कार्यवाही की समीक्षा करके समाचार पत्रों में प्रकाशित करें लेकिन आज वह प्रतिनिधि लोग प्रश्नों के घंटे का बहिष्कार किये हैं, यह बहिष्कार पटना में जो पत्रकार मौन जुलूस कर रहे थे उन पर कांग्रेस सरकार ने लाठी चार्ज करवाया और गवर्नर से उनको मिलने तक नहीं दिया एवं उनको गिरफ्तार किया है, उनके विरोध में आज यहां के पत्रकार बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिये औचित्य का विषय है चूंकि हमारे प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि यहां विधान मंडल में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जन समस्याओं के उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं या नहीं? इन सब चीजों को जानने का अधिकार प्रदेश की जनता को है और इन चीजों को जानने का माध्यम समाचार पत्र हैं तो जब आज की कार्यवाही में सारे पत्रकार बहिष्कार कर रहे हैं, प्रश्नों के घंटे का, तो उसकी जानकारी प्रदेश की जनता को नहीं होगी। इसलिये जो यह अभूतपूर्व घटना पैदा हो गयी है इस पर चर्चा उठाने की आप अनुमति दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज बिहार से साजिश प्रारम्भ हुई है। सम्पूर्ण राष्ट्र को गूंगा और बहिरा बनाने की साजिश की गयी है जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के पत्रकार और जनतंत्र में रहने वाले नागरिक क्षुब्ध हैं। बिहार में जो पत्र

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

कारों पर लाठी और गोली चलायी गई एवं उनकी सिम्पैथी में उत्तर प्रदेश से जो पत्रकार वहां गये प्रजातंत्र की आवाज को ऊंचा उठाने के लिए तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रजातंत्र में पत्रकारों पर यह जो कुठाराघात हो रहा है इसलिये उसके विरोध में समाचार पत्रों के सारे प्रतिनिधियों ने आज प्रश्नों के घण्टे का बहिष्कार किया है। विधायक गण समझते हैं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी चलें क्योंकि प्रश्न प्रहर बड़ा महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नों के जरिये ही प्रतिपक्ष का अधिकार है कि सरकार पर नियंत्रण रखें लेकिन आज जो असमान्य स्थिति पैदा हो रही है तो हमारा भी दायित्व है कि उसका असामान्य तरीके से विरोध प्रकट करें। इसलिए प्रदेश में जो असामान्य घटना हो रही है इसलिये पत्रकारों का हम समर्थन करते हैं और प्रश्न प्रहर का बहिष्कार करना चाहते हैं यह मेरा निवेदन है।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, नियमानुसार, आपके निर्देश और आपकी इच्छानुसार पत्रकार दीर्घा में पत्रकार बन्धु बैठते रहे हैं। बिहार की सरकार ने जो लोकतन्त्र का गला घोंट देने वाला विधेयक पास किया है यहां के जो उनके समर्थन में वहां गये तो उनको भी चोट लगी है। उसके विरुद्ध उन्होंने प्रश्न प्रहर का बहिष्कार किया है इसी प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली में बाधा पैदा हो गयी है बिहार के इस प्रेस बिल के जरिये। मैं आग्रह करना चाहता हूं और मैंने एक प्रस्ताव भी नियम 110 के अन्तर्गत दिया है। मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रस्ताव में, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती है तो आपने उसमें बधाई शब्द का प्रयोग किया है। बधाई और निन्दा के प्रस्ताव सर्वसम्मति से सदन में आ सकते हैं।

श्री मोहन सिंह—

मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले हमारे साथी लोकतन्त्र के प्रति आस्थावान हैं उनका समर्थन हमें जरूर मिलेगा। बिना इस प्रस्ताव के आये हम यह कैसे जान सकते हैं कि वह भी लोकतन्त्र के मानने वाले हैं। उनका समर्थन हमें मिलेगा ऐसी आशा है। बाहर मुख्य मन्त्री जी का बयान भी आ चुका है कि इस तरह का विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लाना चाहती है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रस्ताव का सरकार की तरफ बैठने वाले लोग जरूर समर्थन करेंगे। मैं इस प्रस्ताव को पढ़ दूं। आपत्ति होगी तो विदड्रा कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव को पढ़ने की इजाजत नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

आज प्रश्न प्रहर की बातें बाहर नहीं जा सकेंगी प्रदेश की जनता आज अंधकार में रहेगी। इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज प्रश्नों के प्रहर को आप मुलतवी कर दें। आज के प्रश्न किसी दूसरे दिन ले लिये जायें। आज के प्रश्न किसी दूसरे दिन डाइवर्ट कर दिये जायं यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं हर दल के एक-एक आदमी को मौका दूंगा ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा ख्याल है कि प्रेस वालों ने जब इस अधिवेशन का बायकाट करने का निर्णय लिया होगा तो सरकार को इसकी सूचना दी होगी और आपको भी सूचना भेजी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझको यह सूचना नहीं मिली है ।

श्री रियासत हुसैन--

समाचार-पत्रों में यह चीजें आज छपी हैं । हम लोगों को भी इसकी सूचना कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं दी गयी बल्कि समाचार-पत्रों में पढ़ कर हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली । हम देख रहे हैं कि प्रेस गैलरी बिलकुल खाली है । आज की जो कार्यवाही है वह एक प्रकार से 'इन कैमरे' की कार्यवाही हो गयी है । जितनी कार्यवाही है वह पब्लिक में नहीं जा पायेगी । जब आपका निर्णय विशेष चीज के ऊपर हो जाय कि इन कमरे में डिस्कशन होगा तो जितनी कार्यवाही होती है वह पब्लिक में नहीं जा पाती है तो उसी तरीके से आज की कार्यवाही पब्लिक में उस तरीके से नहीं जा पायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई चीज 'इन कैमरे' में कही जाती है तो उसका मतलब हुआ कि गैर उसको नहीं सुन रहा है या गैर उसको नहीं देख रहा है । जब आपने कैमरे शब्द का प्रयोग किया तो मैं बरबस दर्शक दीर्घा की तरफ देखने लगा । देखा कि लोग बैठे हैं इसलिए यह प्रोसीडिंग 'इन कैमरा' नहीं हुयी ।

श्री रियासत हुसैन--

आज प्रश्न आवर की चीजें प्रेस के द्वारा पब्लिक में नहीं जा पायेंगी तो वह इस तरह से होगा कि सदन की कार्यवाही 'इन कैमरे' में हो रही है । आपने अपनी तरफ से पास जारी किये वह बात सही है लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वह है प्रेस वालों का बहिष्कार । आज की कार्यवाही पब्लिक में नहीं जा सकेगी तो वह एक किस्म से 'इन कैमरे' की शक्ल में हो गयी । इसका मतलब यह हुआ कि आज जो भी ईशूज उठेंगे वह उतने विस्तृत रूप से जनता में नहीं जा सकेंगे । चूंकि बिहार के प्रेस बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी डिमांस्ट्रेशन हो रहे हैं, मेमोरेंडम जारी हो रहे हैं और इस हद तक नौबत आ गयी है कि माननीय सदन के अन्दर डिमांस्ट्रेशन हो रहे हैं इस लिए मैं चाहता हूं कि इस इश्यू को लोकमहत्व देते हुए आप अपने नियम 314 के अख्तियारात का इस्तेमाल करके सदन के अन्दर इस विषय पर चर्चा करा दें ताकि कोई हल निकल सके ।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है, अगर प्रेस की आजादी खत्म हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत भी खत्म हो जायेगी । जिस तरह का यह बिल बिहार में लाया गया है, जिससे प्रेस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगने का काम हुआ है तो इससे ऐसा लगता है कि यह इमरजेंसी का पहला कदम उठाया गया है । इसका सामना करने के लिए वहां के पत्रकार आन्दोलन कर रहे हैं, इसमें हम लोग भी उनके साथ हैं और कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ बिहार में हुआ है, वह उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तवारीख दोहराई जाए। वहां जो कुछ भी हुआ है उसे हम आप सब जानते हैं और यही वह वजह है जिससे आज यहां भी प्रेस गैलरी खाली है। इस लिए मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा करने की यहां आप इजाजत दें और अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करें आपके अख्तियारात बहुत बसी हैं ताकि जम्हूरियत को यह मालूम हो सके कि बिहार सरकार ने जो ज्यादतियां की हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के विधायक पूरी तरह से उनके खिलाफ हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि या तो इस पर चर्चा करायें या इसको मुल्तवी कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप किस चीज के स्थगित करने की बात कर रहें हैं क्या चर्चा को स्थगित करने....

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, क्वेश्चन आवर पोस्टपोन कर दीजिए और इस पर हमारे पहले विधायकों ने जो कुछ कहा, उससे अपने को मैं सम्बद्ध करता हूं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले ही कह दिया था कि हर एक दल से केवल एक सदस्य बोलेगा, इस लिए अन्य किसी को इस पर इजाजत नहीं देता । अब मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को बुला लिया है, उन्हें सुनें ।

(शोर)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर मैं इस सम्बन्ध में बोलना नहीं चाहता, केवल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता। अब हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी को बुला लिया है, उन्हें सुनिए ।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक प्रस्ताव की सूचना मैंने भी दी है ।

(शोर)

*मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से जो प्रश्न यहां उपस्थित किया गया है, वह यह है कि बिहार में प्रेस के सम्बन्ध में एक ऐक्ट पास हुआ है, उसके लिए प्रेस के लोग वहां आन्दोलन कर रहे हैं, उन पर वहां लाठी चार्ज हुआ है और आज इसी सम्बन्ध में यहां भी प्रेस के लोगों ने प्रश्न काल में यहां बैठना छोड़ा है । एक बात तो यह है कि प्रेस के सम्बन्ध में हमारा निश्चित मत है कि हम प्रेस की आजादी में विश्वास करते हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से तालियां)

हम किसी तरह का भी कोई कानून इस यू० पी० विधान सभा में नहीं लाये हैं और न लाना चाहते हैं जो की प्रेस की आजादी पर किसी तरह से बन्धन डाले, किन्तु जब किसी दूसरे राज्य में कोई घटना घटी है....

(व्यवधान)

श्री खेरल बशर--

आपकी सरकार भी यही कर रही है ।

श्री श्रीपति मिश्र--

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि किसी दूसरे राज्य ने किसी और तरह का ऐक्ट पास किया है और उसके अन्तर्गत जो कार्यवाही वहां हुई है, उसकी यह सरकार निन्दा करे, तो इस सम्बन्ध में सरकार का जहां अधिकार क्षेत्र है, उसी में सरकार सलाह दे सकती है, राय दे सकती है, सुझाव दे सकती है रिकमन्डेशन दे सकती है, किन्तु जब कोई घटना दूसरे राज्य में घट रही हो तो हर बात में निन्दा करना या बधाई देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जहां अधिकार क्षेत्र है, उसमें हम कर सकते हैं ।

(तालियां)

यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिये इस तरफ से कोई विचार व्यक्त नहीं करेंगे । जहां तक बार-बार हाथ उठाकर दिखाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि विधान सभा में विधान सभा की कार्यवाही होती है, हम आपको एड्रेस करते हैं, गैलरी या अधिकारी दीर्घा को एड्रेस करने के लिये नहीं बैठते हैं । उसका होना न होना विधान सभा के लिये अन्य तरीके से महत्व रखता होगा, लेकिन जहां तक विधान सभा की कार्यवाही का प्रश्न है, कोई महत्व नहीं रखता है । जब हमारी नीति स्पष्ट है कि हम प्रेस की आजादी में पूरा विश्वास करते हैं और कोई भी ऐसा बिल नहीं लाना चाहते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीपति मिश्र--]

जो प्रेस को आजादी को प्रतिबन्धित करे, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का "प्वाइन्ट आफ आर्डर" उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री भीखा लाल तथा श्री फखरे अलम भी खड़े हो गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री हुकम सिंह जी को अनुमति दी है, जो कुछ आप कह रहे हैं कार्यवाही का अंग नहीं होगा । मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है ।

श्री खैरुल बशार--

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कुछ कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा । मैंने माननीय हुकम सिंह जी को बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । साधारण प्रक्रिया यह रही है कि प्रश्न प्रहर में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायगा, किन्तु आज विषय के महत्व को देखते हुए आपने इजाजत दी कि व्यवस्था का प्रश्न रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दी है मैंने तो केवल आपको अपने उद्गार प्रकट करने की इजाजत दी है ।

श्री हुकम सिंह--

आज जो स्थिति प्रेस की बिहार सरकार की गलती से उत्पन्न हो गयी है कि प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है इसी कारण से आज यहां

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर विधान मंडल के प्रश्न प्रहर में प्रेस वालों ने तय किया कि वे प्रश्न प्रहर में बहिष्कार करेंगे और यह बात आज के अखबारों में भी आ गयी है। मान्यवर, अब तक बीस मिनट हो चुके हैं, बीस मिनट में सारे प्रश्न निकल सकते थे। ऐसी स्थिति में क्या यही व्यवस्था हो सकती है कि आप आज प्रश्न प्रहर को स्थगित न करें और उसमें बाकी सवाल होने दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन 20 मिनट में कितने ही माननीय सदस्यों के प्रश्न निकल गये और उनका उत्तर नहीं हो सका, तो आप आज प्रश्न प्रहर को स्थगित कर दें। मान्यवर, हमको हमारे प्रश्न करने से वंचित कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि आप आज प्रश्न प्रहर को स्थगित करके उसके बाद यह कि....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपके भाषण का पूर्वांश स्वीकार करता हूं, अब आप प्रश्न चलने दीजिए।

(विपक्षी दल के कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने के कारण व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

बिहार में जो प्रेस का गला घोटने वाली बात हुई है, इस सम्बन्ध में सरकार कुछ कहने के लिये तैयार नहीं है इसलिये हम और हमारा दल प्रश्नकाल में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज प्रेस वालों ने विधान मंडल में प्रश्न प्रहर में बहिष्कार करने की सूचना अखबारों में दे दी थी इसलिये मेरे मन में सन्देह है मान्यवर कि ये भी जानते हैं कि शासन की ओर से एक परिपत्र जारी हुआ है अधिकारियों के लिये जिसमें यह कहा गया है कि आप पत्रकारों से कम से कम सम्पर्क करें और इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और यहां पर मुख्य मंत्री जी प्रेस को स्वतंत्रता देने की बात कह रहे हैं। इसलिये मैं मान्यवर, पत्रकारों के समर्थन में प्रश्न प्रहर का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री मुख्तार अनीस--

मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वयं यहां पर कहा कि कोई यहां पर लोकतंत्र विरोधी बिल को नहीं लायेंगे। इससे मान्यवर जाहिर है कि वे यहां पर प्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं और वे लोकतंत्र विरोधी हैं।

(व्यवधान)

सब कुछ जानने के बाद वे कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं इसलिये मान्यवर, मैं जो प्रेस वालों के ऊपर बिहार में लाठी चार्ज हुआ, उनका गला घोंटा गया और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस—]

लोकतंत्र के विरुद्ध वहां पर बिल लाया गया इसलिये मैं प्रश्न काल में सदन का आज बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मुख्तार अनीस अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री राम आसरे वर्मा भी सदन से उठ कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आज जो प्रेस वालों ने सदन का बायकाट किया इसकी सूचना सुबह-सुबह अखबारों में आ गयी थी । मुख्य मंत्री जी ने भी जरूर देखा होगा कि आज असेम्बली के प्रश्न काल में प्रेस वाले सदन का बहिष्कार करेंगे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि 11 बजे सदन होने वाला है इससे पहले वे प्रेस वालों से बातचीत करते ताकि वे बाईकाट न करें सदन में क्वेश्चन आवर का । इसलिये मैं क्वेश्चन आवर तक के लिये सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री रियासत हुसैन ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब लिखा नहीं जायेगा जो विष्ट जी बोल रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

इसलिये मैं प्रेस के समर्थन में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका दल है कहां ?

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, यह स्पष्ट हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी वास्तव में ऐसे विधेयक को लाना नहीं चाहते हैं । इसका माने यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और सत्ता दल जो यहां पर है, वह भी नहीं चाहता कि ऐसे विधेयक को पास किया जाय । इनके अनुसार यहां इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती । इसलिए यह आवश्यक है कि आज की कार्यवाही विरोध प्रकट करने हेतु स्थगित की जाय । परन्तु आज की कार्यवाही स्थगित न किये जाने के कारण हम लोग विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री केदारनाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 23 अगस्त, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

चना का बीज क्रय करने हेतु कमेटी का गठन, अधिकारियों के नाम तथा गोदामों में जमे बीज की उच्चस्तरीय जांच कराने पर विचार

*1—श्री ऊदल—(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चना का बीज क्रय करने हेतु किसी कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी हैं ? क्या यह सत्य है कि एक करोड़ के ऊपर का चना, लाखों रुपये ढुलाई चार्जेज के साथ, समय से क्रय नहीं किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि 10 फीसदी भी चना बिक्री नहीं हुआ, 90 फीसदी से ज्यादे कृषि बीज गोदामों में जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने पर विचार करेगी ।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी0 के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण की विदेश यात्रा तथा मूल विभाग (सिंचाई) से अनुमति

*2—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री वी0 के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण, उ0 प्र0 इस समय विदेश यात्रा पर गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके मूल विभाग (सिंचाई) से अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी हां, श्री वी0 के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण दिनांक 1-2-1982 से दिनांक 31-7-82 तक की अवधि में आयोजित इन्टरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कोर्स आन हाईड्रोलाजिकल डाटा फार वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग में प्रशिक्षण हेतु चेकोस्लोवाकिया गये थे । प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् वह वापस आ गये हैं और उन्होंने दिनांक 5-8-1982 को विभाग में योगदान की सूचना दे दी है ।

श्री गोयल चूंकि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत थे, अतः सिंचाई विभाग से अनुमति नहीं प्राप्त की गई थी। दोनों ही विभाग राज्य सरकार के अधीन हैं और श्री गोयल के प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे।

श्री गोयल के उक्त प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 11-9-81 को प्राप्त किये गये। तत्पश्चात् श्री गोयल का विदेश प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र सचिव इन्डियन नेशनल कमेटी फार इन्टरनेशनल हाईड्रोलाजिकल प्रोग्राम, न्यू देहली को संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 14-9-81 को भेजा गया।

श्री वी० के० गोयल, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में दिनांक 17-7-72 से जब यह विभाग, सिंचाई विभाग का ही अंग था, कार्यरत हैं। तदोपरान्त वर्ष 1975 में इस विभाग को सिंचाई विभाग से ग्राम्य विकास विभाग में हस्तान्तारित कर दिये जाने पर वह इसी संगठन में कार्यरत हैं। इस कारण कोई निश्चित प्रतिनियुक्ति अवधि लागू नहीं रही है।

विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव, चकलवंशी सन्डीला रोड में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

*3—श्री भोखालाल (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव में चकलौसी-सन्डीला रोड को जोड़ने वाली ग्राम शीशी, पुरथावां लहरा, ताल्ही आदि से होते हुए ग्राम दिपवल जाने वाली सड़क का निर्माण किसके माध्यम से कराया गया और अधूरे काम को पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव में चकलवंशी सन्डीला रोड में पुरथावां तक दो किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण पांच पुलियों सहित मण्डी समिति बांगरमऊ ने श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से कराया था इसके आगे ग्राम लहर तक दो किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण पंचायत राज विभाग द्वारा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ही विकास खण्ड औरास द्वारा कराया गया। ग्राम दिपवल जाने वाली शेष 5 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा चयनित मार्गों की सूची में प्राथमिकता प्राप्त न होने के कारण वर्ष 1981-82 तक नहीं बन सकी है। अब जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का गठन हो चुका है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्यों का चयन कराने हेतु स्वयं सक्षम है।

भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में सहायक आबकारी आयुक्तों की आबकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पदों पर पदोन्नति

*4—श्री श्यामलाल बाजपेयी, श्री आजाद कुमार कर्वम, श्री रिजवानुर्रहमान किदवई तथा श्री अकबर अहमद—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 सितम्बर, 1981 को भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार आबकारी विभाग के

लगभग 48 अधिकारियों पर पदावनति कार्यवाही करना अपेक्षित था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

भारतीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28-9-81 के अन्तर्गत शासन द्वारा दायर एस0 एल0 पी0 संख्या 6003/81 ने राज्य बनाम भगवत स्वरूप भटनागर तथा अन्य को खारिज कर दिया था यह एस0 एल0 पी0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेंच के रिट संख्या 805/81-बी0 एस0 भटनागर व अन्य बनाम राज्य सरकार में हुए निर्णय दिनांक 22-5-81 के सम्बन्ध में दायर की गई थी उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय द्वारा अक्तूबर, 1977 का आबकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट का चयन एवं उक्त चयन के आधार पर शासन के आदेश दिनांक 24/25 जुलाई, 1978 के अन्तर्गत जो नियुक्तियां एवं पदावनतियां की गई थी उनको निरस्त कर दिया था और आबकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट का चयन करवाने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के फलस्वरूप आबकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट का नया चयन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त को दे दिये गये हैं और 7 आबकारी सुपरिन्टेन्डेन्टों की सहायक आबकारी आयुक्तों के पद पर प्रोन्नति कर दी गई और 12 सहायक आबकारी आयुक्तों को आबकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पदों पर पदावनतियां कर दी गई थी। इन 12 पदोअवनत अधिकारियों को उनकी ज्येष्ठता के आधार पर पुनः तदर्थ रूप से सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

वैसे तो सम्पूर्ण उत्तर ही जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा बड़ा भ्रामक है। जो आफिसरों ने लिखकर दे दिया वह उन्होंने पढ़ दिया। परन्तु उसी को मान कर उसी के तहत में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने आदेश दिया, उच्चतम न्यायालय ने आपकी अपील खारिज कर दी और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसी के तहत जो आपने अपने विभाग को आदेश दिया वह किस तारीख को आदेश किया गया ? दूसरी बात यह कि जब यह आदेश दिया गया कि अदालत के निर्णय के तहत चयन किया जाय तो उस प्रक्रिया के बीच में ही किस आधार पर कुछ अधिकारियों की प्रोन्नति कर दी गई ? तीसरी बात यह कि....

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक-एक प्रश्न करें।

श्री विद्याभूषण —

28-9-81 को कोर्ट का आदेश हुआ तो उसके बाद ही आबकारी आयुक्त को आदेश दिया गया था।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय मंत्री जी का उत्तर मैं नहीं समझ पाया हूं। उच्चतम न्यायालय में अपील की गई और उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने चयन को रद्द कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि चयन किस तिथि को रद्द हुआ और आपने विभाग को किस तारीख को वे आदेश दिया और उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री विद्या भूषण—

चयन का आदेश तो 28-9-1981 के तुरन्त बाद दे दिया गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

तुरन्त आपने आदेश दिया तो उस प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई ? आपने चयन के लिए कोई तारीख निर्धारित की उसके बाद आपने लिखा है कि 7 लोगों की पदोन्नति कर दी गई । तो वह किस आधार पर कर दी गई ? एक ओर तो आपने चयन हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया और दूसरी ओर आपने प्रोन्नति कर दी । तो यह कौन सी प्रक्रिया है ।

श्री विद्या भूषण—

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 7 सुपरिन्टेन्डेंट्स को प्रमोट कर दिया गया, उनको सहायक आबकारी आयुक्त बना दिया गया और उन्हीं के आदेश के अनुसार 12 सहायक आबकारी आयुक्तों की पदावनति कर दी गई । तदर्थ प्रोन्नति इसलिए की गई कि हमारे इस विभाग के अन्दर जितनी भी पोस्टें हैं आदमी उससे कम हैं । तो इनकी तदर्थ पदोन्नतियों में कोई अनियमितता नहीं की गई ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मुझे मंत्री जी की नेकनीयती पर कोई शंका नहीं है लेकिन मेरा कहना यह है कि उनके विभाग ने कितना घुमाउ-फिराऊ जवाब लिखकर उनको पढ़ने के लि दे दिया । हाईकोर्ट के आदेश से आपने नियुक्तियां रद्द कर दीं और उसके 2 दिन बाद आपने फिर नियुक्त कर दिया और कह दिया कि एडहाक नियुक्ति हैं । यह बात समझ में नहीं आई कि आप हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं या इस सदन को गुमराह कर रहे हैं ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, मैं न सदन को गुमराह कर रहा हूं और न हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है । जो तदर्थ नियुक्तियां की गई वह इस आधार पर की गयीं कि उस समय उन पदों की आवश्यकता थी और उनको खाली नहीं रखा जा सकता था और दूसरे ज्येष्ठ पदाधिकारी उपयुक्त नहीं थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आबकारी का सदन था इसलिए मैं चुप रहा । न बाजपेई जी ने इजाजत चाही और न मंत्री जी ने । मैंने कहा कि आज आबकारी ही चलता रहे, आबकारी का नियम ही ऐसा है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, आबकारी के नियमों के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, केवल हाईकोर्ट के आदेशों के पालन की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं । आपने आबकारी के नियमों को ही माना है और सभी नियमों को तोड़ना ही आबकारी का नियम है । आप बैठ जायें ।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा सभी आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को भेजा गया पत्र

*5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने वर्ष जून, 1981 में आबकारी आयुक्त को लिखा था कि जिले के सभी आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया जाए ? पुनः नए जिलाधिकारी ने जनवरी, 1982 में इसी प्रकार का नोट आबकारी आयुक्त को लिखा था ? यदि हाँ, तो क्या आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

इस बात की जानकारी सरकार को है कि तत्कालीन जिला अधिकारी, इलाहाबाद ने जून, 1981 में शासन एवं आबकारी आयुक्त का इलाहाबाद के समस्त (7) आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण के लिए लिखा था । जनवरी, 1982 का जिलाधिकारी इलाहाबाद का कोई नोट प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त 7 आबकारी निरीक्षकों में से 4 आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया था ।

[सोमवार, दिनांक 23-8-82 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद बुन्देलखन्ड में नये विकास खन्ड खोलने का प्रस्ताव

*1—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखन्ड में कुछ नये विकास खन्ड खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बुन्देल खन्ड के प्रत्येक जनपद में कुल कितने विकास खन्ड खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

कुछ नये विकास खन्डों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो शासन के विचाराधीन हैं, परन्तु यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि इतने में से कब और कितने विकास खन्डों का सृजन स्वीकृत किया जायगा, क्योंकि इस प्रकार की मांगें दूसरे जिलों से भी आई हैं और नीति विषयक होने के कारण शासन सभी जिलों के परिस्थितियों व मांगों पर एक साथ ही विचार करेगा ।

प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बुन्देल खन्ड के जनपदों में किन-किन स्थानों पर नये विकास खंड खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह कब प्राप्त हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, बुन्देलखन्ड में, एक तो झांसी से ग्राम माझा तहसील मऊ रानीपुर को विकास खन्ड बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। बांदा जनपद से तिंदवारी और नरैनी को क्रमशः छाप कला तथा छन्दौली को नये ढंग से करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की आकांक्षा है कि बुन्देल खन्ड का त्वरित विकास किया जाए। बुन्देल खन्ड में जो 47 विकास खन्ड हैं उनमें से एक विकास खन्ड के अन्तर्गत लगभग 626 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। 885 विकास खन्ड पर 332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो नये विकास खंड खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन पर वह शीघ्र विचार किया जायेगा। बुन्देल खन्ड इतना पिछड़ा है कि उसके लिए कुछ नए मानकों पर विकास खन्ड खोलने पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ नए मानक बनाकर बुन्देल खन्ड में नए विकास खन्ड खोलने का निर्णय शीघ्र लेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, 2 विकास खंड खोलने के प्रस्ताव जिलाधिकारी और आयुक्त के यहां से आये हैं। मैं माननीय विधायक की भावनाओं का आदर करता हूं और सरकार उन की भावना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न पूंछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रदेश में अन्य जनपदों से इस प्रकार के प्रस्ताव नये विकास खंड बनाने के लिए मांगे गये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जनपद फैजाबाद से नये विकास खंड खोलने के लिए कोई प्रस्ताव आया है ? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि आबादी के हिसाब से कितनी आबादी पर विकास खंड की स्थापना शासन द्वारा की जाती है और जिन ब्लाकों की आबादी दो लाख के करीब हो चुकी है वह कौन से ब्लाक हैं और उनमें कितने ऐसे ब्लाक हैं जिनको नये विकास खंड में जोड़ा जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत व्यापक है। जहां तक जनपद से प्रस्ताव आने की बात है, उसके लिए जिलाधिकारी और आयुक्त से आख्या मांगी गई है, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 2 लाख की पापुलेशन के कितने विकास खंड हैं यह एक विस्तृत प्रश्न है। माननीय सदस्य अगर चाहें तो अलग से प्रश्न कर लें, उनको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

एक ब्लाक का गठन कितनी आबादी पर किया जायेगा ? मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि फैजाबाद में अकबरपुर ब्लाक और चंदनपुर ब्लाक का प्रस्ताव शासन को मिल चुका है।

श्री उपाध्यक्ष--

मूल प्रश्न बुन्देल खन्ड के बारे में था ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जनपदों से ऐसे प्रस्ताव आये हैं । इसलिए मैंने प्रश्न पूछा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय मन्त्री जी ने कहा है प्रदेश के अन्य जनपदों से ऐसे प्रस्ताव आये हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो एक रीजन की बात है । यह तो काल्पनिक है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

एक प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप तो सदन छोड़ चुके थे, आप कहां आ गये ।

महानगर ब्वायज हाई स्कूल, लखनऊ के अध्यापक स्वर्गीय जनार्दन पन्त के आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान

*2--श्री मोहन सिंह, श्री श्यामलाल बाजपेयी, श्री पंचानन राय, श्री दीप नरायन वन महन्थ, श्री धर्मवीर सिंह, श्री यशपाल सिंह, श्री मानपाल सिंह एडवोकेट तथा डा० शिवानन्द नौटियाल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के सातवें मंगलवार (16 मार्च, 1982) के अतारांकित प्रश्न संख्या 263 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय जनार्दन पन्त के आश्रितों की ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

महानगर ब्वायज हाई स्कूल, लखनऊ जिसमें स्वर्गीय श्री जनार्दन पन्त कार्यरत थे, राज्य निधि से सहायता प्राप्त विद्यालय नहीं है । जबकि शासन द्वारा लागू ग्रेच्युटी की योजना राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिये है । अतः स्वर्गीय श्री पन्त के आश्रितों को ग्रेच्युटी के भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का इस सन्दर्भ में जो उत्तर उन्होंने प्रथम सत्र 1982 के प्रथम मंगल को इसी प्रश्न के सम्बन्ध में दिया था वह दूसरा था और आज जो उत्तर दिया है वह दूसरे रूप में दिया है । मान्यवर, उस उत्तर के

सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजाज्ञा संख्या 1102/15/8/160/174, दिनांक 17 जुलाई, 1974 में दिया हुआ है कि ऐसे विद्यालय जो सहायता प्राप्त नहीं हैं उनको भी वही वेतनमान और ग्रेच्युटी आदि देय होंगे जो सहायता प्राप्त विद्यालयों में होंगे। प्रथम सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस राजाज्ञा के अनुसार अभी तक ग्रेच्युटी नहीं दी गई है। आज माननीया मंत्री जी कह रही हैं कि ग्रेच्युटी नहीं दी जायेगी। एक बार तो आपने कुछ उत्तर दिया। और अब आप कुछ और उत्तर दे रही हैं, कृपया इसको स्पष्ट करेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जिस जी0 ओ0 का उल्लेख किया है, उसमें सिद्धान्त की बात कही गई है। अब उन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं दी जा सकती।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

जो राजाज्ञा है उसमें यह है कि सारे नियमों का उसमें भी पालन किया जायेगा। उनमें ग्रेच्युटी भी देय है। विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने निर्णय लिया है कि सन् 1980 से ग्रेच्युटी देंगे जब कि नियम है सन् 1974 से। तो बीच में जो गैप है उसे मंत्री जी स्पष्ट कर दें। मान्यवर, वह एक गरीब विधवा का प्रश्न है। श्री जनार्दन पन्त 1979 में मर गये थे, उनका परिवार दाने-दाने के लिए मोहताज है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यह एक गरीब विधवा परिवार का प्रश्न है, इस पर कृपा करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो पिछले सत्र में प्रश्न पूछा गया था जिसका नम्बर 263 था उस में जो उत्तर दिया गया था....

(व्यवधान)

मैं दोनों प्रश्नों के बारे में बताना चाहती हूं और दोनों का उत्तर दूंगी। जो राजाज्ञा है....

(व्यवधान)

मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने साफ कहा है कि यह एक व्यक्ति के निराश्रित होने का प्रश्न है। वह व्यक्ति सन् 1979 में मर चुका है और आपने जो नीति प्रतिपादित की है वह 1974 की है तो फिर उसमें क्या मुश्किल है ? आपने कहा कि यह नहीं हो सकता।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिस स्कूल के बारे में कहा जा रहा है वह राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल नहीं है इसलिए उसमें हमारी पेंशन या ग्रेच्युटी तथा जो भी रूल्स या कायदे कानून हैं वह लागू नहीं होते। ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में जो हमारी राजाज्ञा है वह 10 अगस्त, 1978 की है। राजकीय निधि से सहायता जो है वह सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बारे में है। यह जो राजाज्ञा

निकली है वह सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है । महानगर ब्वाएज हाई स्कूल सहायता प्राप्त नहीं है और एक माइनारिटी स्कूल है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त विद्यालयों पर एक समान रूप से लागू हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, प्रश्न ग्रेच्युटी का है सहायता प्राप्त का नहीं है इसलिए ग्रेच्युटी देने का कोई नियम नहीं है ।

श्री पंचानन राय--

मैंने प्रश्न किया था कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम जो है वह समान रूप से दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू है । दोनों की सेवा शर्तें समान हैं । माननीय बाजपेयी जी ने कहा था कि उनको दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

बाजपेयी जी ने कहा था उस पर विचार हो रहा है ।

श्री पंचानन राय--

मेरा मतलब बाजपेयी जी से तत्कालीन मंत्री जी से है ।

(व्यवधान)

इस अधिनियम के अंतर्गत वही सेवा शर्तें लागू होंगी जो मान्यता प्राप्त एव सरकारी स्कूलों में लागू हैं और प्रबंधाधिकरण अथवा सरकार ग्रेच्युटी का भुगतान करेगी । तो इस अध्यापक को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिये । तो क्या इसके लिए सरकार प्रयास करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह जो प्रश्न पूछा गया है यह है कि स्व0 जनार्दन पन्त के आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान क्यों नहीं किया गया है । इसके लिये मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि क्योंकि यह सहायता प्राप्त नहीं है इसलिए यह नहीं मिल सकती है ,

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात साफ है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें ग्रेच्युटी सरकार देगी और जो सहायता प्राप्त नहीं हैं उनको मैनेजमेंट देगा । असहायता प्राप्त जो विद्यालय है उसके विषय में आपको क्या कहना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, महानगर ब्वाइज स्कूल माइनारिटी स्कूल है । मान्यता प्राप्त है लेकिन अध्यापकों का वेतन, उनकी पेंशन, उनकी ग्रेच्युटी का प्रबंध स्वयं इंस्टीट्यूशन करता है इसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है ।

(अगला प्रश्न लिए जाने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इसके लिए और थोड़ा समय दे दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

काफी समय दिया गया है । अब दूसरा प्रश्न होगा ।

अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता भविष्य में न देने का निर्णय

*3--श्री केदार नाथ सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 वर्षों से अधिक समय से चल रहे अस्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को स्थाई मान्यता भविष्य में न देने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । अस्थाई मान्यता की अवधि में 3 साल के बाद कोई वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया है । यह निर्णय शिक्षा का उचित स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से लिया गया है ।

बी० टी० सी० अथवा जे० टी० सी० प्रशिक्षार्थियों से भराया गया अनिवार्यअध्यापन कार्य का अनुबन्ध-पत्र

*4 श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में बी० टी० सी० अथवा जे० टी० सी० प्रशिक्षार्थियों से कोई शर्तनामा (अनुबन्ध-पत्र) भराया जाता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 3 वर्ष तक बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अध्यापन कार्य अनिवार्य है ? जिन प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यार्थियों की उम्र बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति के नियमों के अनुसार अधिक हो जाती है क्या इस पर लगी आयु सीमा पाबन्दी को हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

ग्राम लीलाखेड़ा विकास खंड मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालकों का स्कूल

*5--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीला खेड़ा विकास खंड मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ (जिला परिषद्, लखनऊ) द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिये कोई स्कूल संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल के लिये भवन-निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । ग्राम लीलाखेड़ा, विकास खंड मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिये स्कूल संचालित है । यह स्कूल भवनहीन है । शासन द्वारा भवनहीन बेसिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जनपदवार अनुदान स्वीकृत किया जाता है और निर्माण के लिये विद्यालय का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है । जिला बेसिक शिक्षा समिति, लखनऊ ने अभी इस विद्यालय को भवन निर्माण हेतु नहीं चुना है ।

तिलकधारी, महाविद्यालय, जौनपुर के केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर तथा विधि की परीक्षाओं में प्रवेश हीन छात्रों को परीक्षा दिलाने के विरुद्ध कार्यवाही

*6--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर के केन्द्राध्यक्ष ने जनवरी सन 1982 के स्नातकोत्तर तथा विधि संकाय की परीक्षाओं में लगभग 40 ऐसे व्यक्तियों को परीक्षा दिलायी जिन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था और जिनके परीक्षा फार्म भी प्राचार्य ने विश्वविद्यालय नहीं भेजा था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राचार्य तिलकधारी कालेज, जौनपुर ने अपने एक पत्र दिनांक 3-3-82 द्वारा शिकायत की थी कि विधि भाग--2 के 3 तथा भाग 3 के कुल 6 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया था । इन छात्रों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ जिसने कालेज में शुल्क न जमा किया हो तथा जिसके पास प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद न हो ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 3-3-82 को खुद प्राचार्य ने कहा कि अवैधानिक रूप के कुछ छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं तो किस परिस्थिति में और किसने इन छात्रों को परीक्षा दिलायी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इस विषय में मैंने अभी निवेदन किया कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक विस्तृत जांच हो रही है । जांच के उपरान्त जो व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय की ओर से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर वैसा नहीं दिया गया है ।

मेरा प्रश्न 4 मई, 1982 का था और स्पष्ट हो जाना चाहिए था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी पूरे कालेज का मसला था, उस कालेज के अनुशासन

व्यवस्था से सम्बन्धित था । मैंने प्रश्न किया था कि किन परिस्थितियों में और किसने परीक्षा दिलवाई जब कि प्रधानाचार्य नहीं चाहता था, उत्तर कुछ और दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक मामले की जांच नहीं होगी तब तक आपको परिस्थिति की कैसे जानकारी दी जा सकती है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर के आवासीय भवनों का जल-कर एवं भवन-कर का जिला परिषद् कोष से जमा कराया गया किराया

*7—श्री हुकम सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् मुजफ्फरनगर के आवासीय भवनों का जल-कर एवं भवन-कर, भवनों में रहने वाले किरायेदारों से वसूल न करके वर्ष 1981-82 में जिला परिषद् कोष से जमा कराया गया है जब कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जलकर एवं भवन, कर का दायित्व किरायेदारों का था और इस प्रकार परिषद् को 20,000 रुपये से भी अधिक वित्तीय हानि हुई ? यदि हां, तो उपर्युक्त हानि का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् के आवासीय भवनों में रहने वाले किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से कोई अनुबन्ध नहीं कराये गये हैं । नियमानुसार भवन-कर के भुगतान का उत्तरदायित्व भवन के स्वामी का होता है । वर्ष 1981-82 में परिषद् द्वारा भवनों के जल-कर एवं भवन-कर का 2103·20 रु० का भुगतान इस आधार पर किया गया है, कि इन आवासों में रहने वाले कर्मचारियों से जो किराया वसूल किया जा रहा है वह उनके वेतन के 10 प्रतिशत से काफी अधिक है । अतः इसे परिषद् की वित्तीय हानि नहीं कहा जा सकता है । उक्त स्थिति में किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पक्का कराये जाने की योजना

*8—श्री विजय सिंह राना (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पक्का कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एक निर्माण इकाई है और इसकी अपनी कोई योजना नहीं है। यह विभाग विभिन्न विकास विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से उनके द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादन करता है।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बने कच्चे सम्पर्क मार्गों में से पिछले 3–4 वर्षों में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ने लगभग 2320 कि0 मी0 कच्ची सड़कों पर सोलिंग का कार्य, मार्च, 1982 तक किया। इस हेतु धनराशि इस विभाग को विभिन्न श्रोतों द्वारा उपलब्ध करायी गई।

अधीनस्थ शिक्ष सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनिवार्य अर्हताओं का शासनादेश

*9—श्री कुंवर सिंह नेगी (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा द्वितीय सत्र 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 43 दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के उत्तर के अनुसार शिक्षण शाखा के अध्यापकों को अधीनस्थ सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति हेतु निचले (संवर्ग) (एल0 टी0, एस0 एस0 ई0 एस0) में 10 साल की अविरल सेवा और स्थायी होना अनिवार्य अर्हतायें किस शासनादेश अथवा शासकीय अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासनादेश सं0 ख–1/3/1/69/15 दिनांक 9 सितम्बर, 1969 के आधार पर।

*10—श्री सन्त बक्स रावल—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद आजमगढ़ के दोहरी घाट ब्लाक के चयनित व्यक्तियों को ऋण व अनुदान

*11—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्न कर्त्ता के पत्र दिनांक 18–2–82 जो आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट ब्लाक के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही के कारण चयनित व्यक्तियों को अनुदान व ऋण नहीं मिलने के बारे में था, मिला था ? यदि हां, तो उसमें लगाये गये कितने आरोप सही हैं और उनके निवारण की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित मामलों में से 150 मामलों में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा अन्त्योदय योजना से अनुदान समायोजन किया जा चुका है। तीन मामलों में अनुदान समायोजन अवशेष है जिसको शीघ्र नियमानुसार समायोजित

करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। दो मामलों में ऋण ही स्वीकृत नहीं हुआ है अतः अनुदान समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राज कुमार राय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह समायोजन कब हुआ और चयनित व्यक्तियों को कब ऋण दिया गया था ? जिन व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है, कब उसको अनुदान में समायोजन हो जाना चाहिए। मेरा जो प्रश्न था उसमें 149 मामले थे 4-9-80 से लेकर 1982 तक के मामले थे। 1980 के मामले में ऋण दिया गया यह मान कर कि गरीब हैं, निर्धन हैं, समाज में सबसे दलित व्यक्ति थे। तो इतने लम्बे समय में ऋण का समायोजन हो जाना चाहिए था। जिस पत्रावली में मेरा पत्र और शिकायती-पत्र था उसको छुपाये रखा गया ? यदि हां, तो वह कौन सा व्यक्ति था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय राज कुमार राय ने 18-2-82 को मुझे पत्र लिखा था और उस पर आदेश किये गये थे कि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाय और जब इन्होंने प्रश्न किया है तो उसका जवाब जो मेरे पास आया है, वह मैंने सदन के सामने पढ़कर सुना ही दिया है। मान्यवर, इतने बहुत सारे मामले हैं, हर मामले की सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कब किसके अनुदान का समायोजन किया गया।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, ऋण तो ऐडजस्ट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब शिकायती पत्र गया, क्या यह शिकायत के बाद या प्रश्न के ऐडमिट होने के बाद इसमें सुधार करके भेजा गया है। मान्यवर, अगर ऐसा किया गया है, तो जो नार्मल कोर्स में, जो गरीब आदमी थे, उनको सुविधा मिल ही जानी चाहिए थी ? यदि ऐसा नहीं किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी दोषी व्यक्ति को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने आप से निवेदन किया कि इतने सारे मामले हैं, हर मामले की सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कब किसके अनुदान का समायोजन किया गया। लेकिन इतना अवश्य है कि माननीय सदस्य जैसा चाहते हैं कि अगर उनके प्रश्न के बाद समायोजन हुआ है और इसमें अकारण विलम्ब हुआ है, तो इसकी जांच करा ली जायगी और दोषी व्यक्तियों को चेतावनी दे दी जायगी।

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*12—श्री गौरी शंकर भैंइया (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के गठन का निर्णय

*13--श्री नन्द किशोर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, शासन ने राष्ट्रीकरण की परिकल्पना को समाप्त करते हुये माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, क्या शासन ने 31 मार्च, 1975 को विधान मन्डप में घोषणा की थी कि "उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1975 में प्रस्तुत हो चुकी है । शासन ने इस रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है । संविधान के अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि अल्प संख्यकों के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन अधिकारों के बनाये रखने की दिशा में समय-समय पर दिये गये फैसलों को भी ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन कृत संकल्प है कि यह आधार अक्षुण्य रहे । प्रबन्धाधिकरणों एवं विभिन्न ट्रस्टों की सम्पत्ति के अधिग्रहण के प्रश्न भी विचाराधीन हैं । शासन द्वारा शिक्षा के उन्नयन की दृष्टि से इन सभी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ।

इस संदर्भ में शिक्षा के उन्नयन में शिक्षक वर्ग की आधार भूत रचनाकारी भूमिका के महत्व को अंगीकृत करते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि उच्च स्तरीय समिति की कतिपय सस्तुतियों के संदर्भ में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली अस्त्र बनाने की दिशा में संगठनात्मक मार्ग प्रशस्त करने और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न में नीति की उत्तरोत्तर पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय ? मैं यह जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1975 को विधान मण्डल के दोनों सदनों में शासन द्वारा घोषणा के बाद शासन ने कब यह निर्णय लिया है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, जब कि राष्ट्रीयकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा सेवा आयोग गठित करने का कानून बना है ?

तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने कब यह फैसला कर दिया कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, उसी बात को ध्यान में रखकर, शिक्षा के क्षेत्र में जो अनियमितताएं और परेशानियां थी और जो हम समझते थे कि उनमें आमूल चूल

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 13 श्री पंचानन राय की रूचि पर लिया गया ।

परिवर्तन होना चाहिये, उसको मद्देनजर रखकर दो बड़े क्रान्तिकारी हमारे ऐक्ट्स पास हुए थे। एक तो प्राथमिक शिक्षा सेवा आयोग अध्यादेश, 81 था, इसमें हमने शिक्षा सेवा आयोग को गठित करने का संकल्प लिया और ऐक्ट पास हुआ। तो जो अध्यापक वर्ग है उनकी सेवायें केन्द्रीकृत करने का हमने बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया और मैं समझता हूं कि इसके द्वारा जो राष्ट्रीयकरण के मूलभूत सिद्धान्त थे, उनको हमने कार्यान्वित कर दिया।

श्री मोहन सिंह वर्मा, अध्यक्ष, किशोरी रमण महाविद्यालय, मथुरा के स्थायीकरण व वेतन का भुगतान

*14--श्री चन्दन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहन सिंह वर्मा, अध्यक्ष, चित्रकला विभाग, किशोरी रमण महाविद्यालय, मथुरा के स्थायीकरण व वेतन भुगतान के बारे में माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली का कोई पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1980 का उनको मिला था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में उल्लिखित माननीय प्रधान मन्त्री जी का पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1980 उपलब्ध हुआ प्रतीत नहीं होता। किन्तु श्री मोहन सिंह वर्मा से इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुये थे। श्री वर्मा 30 जून, 1978 तक तदर्थ रूप से कार्यरत थे और 30 जून, 1978 तक देय वेतन का भुगतान उन्हें किया जा चुका है।

नवीन मन्त्री स्थल, सहारनपुर में व्यापारियों को आवंटित भूखंड में निर्माण कार्य की अनुमति

*15--श्रीमती विमला राकेश (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता संसद सदस्य व अन्य सदस्यों का पत्र दिनांक 14 मार्च, 1882 नवीन मन्डी स्थल सहारनपुर में नियमानुसार कुछ व्यापारियों को भूखंड आवंटित करने के सम्बन्ध में मिला था ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित व्यापारियों ने आवंटित भूखन्ड पर कब्जा लेकर अधिकारियों के आदेशानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसे बाद में रुकवा दिया गया ? यदि हां, तो निर्माण कार्य क्यों और किसके आदेश से रुकवाया गया ?

श्री यशपाल सिंह--

यह सही है कि प्रश्नगत भूखंडों पर 12 आवंटियों द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था। विधिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कार्य को रुकवा दिया गया था परन्तु विधिक राय लेने के पश्चात् उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन निर्माण कराने की अनुमति दे दी थी।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन तथा मांगे

*16--श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित))--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 7 नवम्बर, 1981 को समस्त उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों ने लखनऊ सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया

था तथा सरकार को कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो मांग-पत्र में विभिन्न मांगें क्या थीं तथा सरकार उन मांगों के बारे में क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

मांगों एवं उन पर कृत कार्यवाही की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 465 पर ।)

*17--श्री माता प्रसाद पांडेय--

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*18--श्री शरीयतउल्ला--

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*19--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[2रे शुकवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*20--श्री रामस्वरूप वर्मा--

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्रचलित सामान्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों को मासिक पेंशन

**1--श्री मित्रसेन तथा श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के अर्हता प्राप्त 60 वर्ष से अधिक आयु वाले खेतिहर मजदूरों को अन्य प्रदेशों की भांति मासिक पेंशन देने का कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी नहीं ।

प्रदेश में प्रचलित सामान्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक के वृद्धजनों तथा 60 वर्ष या उससे अधिक की विधवाओं एवं विकलांगों को जो पेंशन दी जाती है, उससे पात्र खेतिहर मजदूर भी लाभान्वित होते हैं । अतः अलग से किसी पेंशन योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

मेसर्स जे0 के0 मैन्यूफैक्चरिंग लि0, कानपुर (कैलाश मिल) को पुनः चलाने की मांग

**2--श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)(--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स जे0 के0 मैन्यूफैक्चरिंग लि0, कानपुर (कैलाश मिल) जो 1-1-79 से बन्द पड़ी है और जिसके कारण

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री भगवती सिंह विशारद ने पूछा ।

कानपुर नगर में 25 सौ श्रमिक बेरोजगार हैं, के हित को ध्यान में रखते हुए इस मिल को पुनः चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

मेसर्स जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर (कैलाश मिल) 1-10-76 से बन्द है । मिल को चलाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के स्वरूप इसे अधिग्रहीत करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था, जिसको माना नहीं गया । अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक सम्भव नहीं हो सकी है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस तरह से नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन सारे भारतवर्ष की मिलों को संचालित करता है और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक टेक्सटाइल कारपोरेशन बना हुआ है, तो क्या उस कारपोरेशन के तहद में लेकर सरकार उस मिल को चलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक स्टेट स्पिनिंग मिल कारपोरेशन की बात है वह प्रदेश में है, लेकिन इस जे0 के0 मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड का जो कैलाश मिल है उसने एक सिटी बैंक से बहुत बड़ा ऋण लिया था । उक्त ऋण की वह मिल अभी तक अदायगी नहीं कर पायी है और यह कर्ज उस पर बाकी है और उन्होंने कोर्ट द्वारा इस पर स्टे करा लिया है । इसलिए प्रदेश सरकार इसको लेने में असमर्थ है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके जो 3-4 वर्षों से 2500 मजदूर बेकार पड़े हैं, उनके भरण-पोषण के लिए वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? उन्होंने जो स्टे ले रखा है वह मिल की वसूली के लिए ले रखा है, लेकिन उसको लेने के मार्ग में सरकार के सामने कोई रुकावट नहीं है ? क्या आप इस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

एक अक्तूबर, 1976 से यह मिल बन्द है तथा इसकी इजाजत उन्होंने सरकार से नहीं ली थी । इसलिए प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर केस चलाया, प्रासीक्यूट किया, लेकिन जो प्रासीक्यूशन हमने किया था, उसके सन्दर्भ में भी उक्त मिल ने हाईकोर्ट में स्टे ले लिया और उसके कारण यह जो प्रासीक्यूशन का कार्य-क्रम चल रहा था, हमें उसको रद्द करना पड़ा और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको रद्द कर दिया । इसलिए उसके बाद हमारी सरकार का यह प्रयास रहा कि इन लोगों को किसी तरह से मिल को चलाकर रख लिया जाय। लेकिन चूंकि बैंक का ऋण था और इस पर कोर्ट से स्टे ले रखा है इसलिए आगे की कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान श्रमिक कानून के अन्तर्गत यदि तालाबन्दी होती है ले आफ या प्ले आफ होता है तो मजदूरों के सूरजभी के भुगतान की कार्यवाही सरकार करती है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मैंने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही बाकी नहीं छोड़ी कि मजदूरों का भुगतान कराया जाय लेकिन चूंकि बैंक का ऋण उस कम्पनी पर है एक करोड़ 50 लाख का उसका भुगतान नहीं हुआ है जब तक बैंक के ऋण का भुगतान नहीं कर दिया जायेगा मिल का सारा सामान बैंक को गिरवी है, उस सामान को सरकार बेचने में भी असमर्थ है क्योंकि पहला हक बैंक का बनता है। जबतक बैंक का मसला तय नहीं हो जाता है तब तक मजदूरों का भुगतान होना सम्भव नहीं है। इसमें कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है।

श्री विलायती राम कत्याल--

कैलाश मिल 7 साल से बन्द है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी। उचित तो यह होता कि आप खड़े होते मैं इजाजत देता। अब आप खड़े हैं मैंने इजाजत दी, आप प्रश्न करें।

श्री विलायती राम कत्याल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर में कैलाश मिल 7 साल से बन्द है जब कि मिल मालिक की और मिलें हिन्दुस्तान में चल रही हैं। कम से कम मजदूरों का जो बकाया है उसका भुगतान सरकार को कराना चाहिए ?

श्री सुनील शास्त्री--

सरकार ने किसी तरह की कोई प्रयास नहीं छोड़ा। लेकिन बैंक का कर्ज उस मिल पर है जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता यह सम्भव नहीं है।

श्री प्रिय वर्शी जेतली--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उक्त मिल में कितने मजदूर हैं और उनका टोटल बकाया कितना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न का पहला भाग ग्राह्य नहीं है दूसरे भाग का उत्तर दे दें।

श्री सुनील शास्त्री--

डेढ़ करोड़ रुपया श्रमिकों का बकाया है।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम रहमानोपुरा, मजरा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में स्थित पेयजल कूप तथा मरम्मत का आदेश

1--श्री राम अ.सरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982, दिनांक 18-1-82 के 1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गा।

की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानीपुरा, मजरा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में जो कुंआ है, वह सरकारी जमीन पर हैं और उससे 6-7 परिवार पानी पीते हैं और उसके आस-पास अन्य पीने के पानी का कोई कुआं नहीं है साथ ही कुयें के पास एक मस्जिद भी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कुयें की मरम्मत का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम रहमानीपुरा, मजरा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में स्थित प्रश्नगत पेयजल कूप सरकारी जमीन पर नहीं है । इस कुयें से केवल दो परिवारों के लोग पानी पीते हैं । जिनमें मात्र 7 सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त वहां पर और कोई कुआं नहीं है । इस कुएं के पास एक मस्जिद भी है । व्यक्तिगत कुआं होने के कारण जगदीशपुर विकास खंड की क्षेत्रनिधि से नियमतः इसकी मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा की मांग

2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर की आबादी लगभग 5 हजार है जहां पुस्तकालय एवं वाचनालय की कोई सुविधा नहीं है ? क्या ग्राम के मध्य में एक ग्राम समाज भवन जिसमें पुस्तकालय आदि की सुविधा उपलब्ध हो, भवन निर्माण करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत ग्राम की आबादी 5 हजार नहीं है बल्कि वर्ष 1981 की जन-गणना के अनुसार ग्राम की आबादी 1856 है । इस ग्राम में पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा हेतु भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में पूर्ण कराए गए बन्धियों का विवरण

3--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के 18 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 51 बन्धियां किन-किन गांवों में बन्धी हैं तथा 7 अपूर्ण बन्धियां किन गांवों में बनाई गयी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 467 पर ।)

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों में आवंटित खाद

4--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बढ़ोखर, हुआ, चिसन्डा व बबेरू ब्लाकों में जुलाई, 1979 से 31 दिसम्बर, 1981 तक छूट की खाद कितनी आवंटित हुई तथा कितनी-कितनी खाद दी गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जुलाई, 1979 से दिसम्बर, 1981 तक कृषि, सहकारिता एवं एग्रो को 2138 टन 103 कुन्टल 600 किलो विभिन्न प्रकार की खाद आवंटित हुई थी।

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

5-6--श्री मोहन सिंह--

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 131-132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गोरखपुर, ग्राम विशुनपुरा मटियारा के हरिजन पेयजल कूप के अधूरे होने की शिकायत तथा स्थानीय जिला परिषद् की जूनियर हाई स्कूल की भूमि में बनाने हेतु निर्णय

7--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम के विशुनपुरा मटियारा के हरिजन पेय जलकूप के अधूरे होने की शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने सांसद रूप में 8 अगस्त, 1979 को किया था जिसकी सूचना तत्कालीन उप सचिव श्री शंकर राम ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 378 एम (1)/38-4-25-99 (3) /79 उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक अक्तूबर, 1979 द्वारा दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

खंड विकास अधिकारी, ब्रह्मपुर को अधूरे कूप के निर्माण कार्य को पूरा करने एवं शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या प्रेषित करने हेतु निदेशित किया गया था जो अब प्राप्त हो गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उस समय शासन द्वारा स्वीकृत एवं उपलब्ध सीमित साधनों के कारण उक्त कूप के जगत का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं था। अब भूमितल से कूप की तली की गहराई के अनुसार कूपों के निर्माण लागत को संशोधित कर दिया गया है और जिलाधिकारी, गोरखपुर को उक्त कूप के जगत के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित कर दिया गया है।

8--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त हरिजन पेयजल कूप स्थानीय जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल की भूमि में बनाने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी श्री बलवन्त सिंह ने मार्च, 1977 से माह सितम्बर, 1979 के बीच किसी तिथि को आदेश दिया था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। विकास खंड, ब्रह्मपुर में स्थित हरिजन बस्ती विशुनपुरा मटियरा में वर्ष 1978-79 में निर्मित होने वाले कूप को निकटस्थ जूनियर हाई स्कूल की भूमि में निर्मित कराये जाने की अनुमति तत्कालीन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् के पत्रांक 5818-जी0 सी0-पेयजल-78-79, दिनांक 27-1-79 द्वारा दी गई थी।

9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हरिजन पेयजल कूप को मार्च, 1980 से अब तक कितनी बार पूरा कराने हेतु प्रश्नकर्त्ता ने शासन व स्थानीय अधिकारियों को लिखा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उपलब्ध अभिलेखानुसार मार्च, 1980 से अब तक प्रश्नकर्त्ता द्वारा तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री जी को सम्बोधित केवल एक शिकायती पत्र दिनांक 18-11-80 शासन एवं स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ।

तहसील बलिया में छूट की खाद का गांवों को आवंटन

10—श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरीशंकर भैय्या—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया तहसील में 1 जनवरी, सन् 1980 से 1 जनवरी, 1982 तक कितनी छूट की खाद आवंटित हुई तथा कितने गांवों में कितनी मात्रा में खाद का आवंटन किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

2239 मै0 टन खाद तत्वों के रूप में आवंटित कर 875 गांवों में वितरित की गई ।

ग्राम सभा रसूलपुर जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत 'पुरवा' की आबादी

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खंड जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने 'पुरवा' हैं और प्रत्येक पुरवा की आबादी क्या है ग्रामवासियों को पेयजल का स्रोत एवं संख्या क्या है तथा उनकी मरम्मत सफाई आदि पर चालू पंचवर्षीय योजना में इस मद पर कितना व्यय किया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत ग्राम सभा के अन्तर्गत 9 पुरवे हैं । प्रत्येक की आबादी उपलब्ध पेय स्रोत एवं उनकी संख्या के विवरण निम्नवत् है :—

नाम	आबादी	पेय जल श्रोत	
		कूप (संख्या)	हैन्ड पम्प (संख्या)
1	2	3	4
1—रसूलपुर (खास)	440	11	2
2—पूरे दूबे	12	1	..

1	2	3	4
3—पूरे स्वयम्बर शुकुल	135	2	6
4—पूरे बादल	195	5	5
5—पूरे लाल	498	11	..
6—पूरे बबुईन	134	5	1
7—गुमानीगंज	62	3	..
8—पूरे मुन्शी	90	3	..
9—पूरे मरथा	290	4	..
योग ..	1856	45	14

उक्त पेयजल श्रोत पक्के हैं और चालू पंचवर्षीय योजना काल में इस गांव सभा की हरिजन बस्ती में एक पेय जल का निर्माण किया गया है और उस पर 3,051 रु0 व्यय किया गया है ।

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में सम्पर्क मार्गों पर हुए कतिपय 'कार्य' व्यय तथा संख्या

12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक सड़कों, सम्पर्क मार्ग पानी के निकास हेतु नालियां आदि पुलियां खड़ंजा एवं प्रकाश पार्क खेत का मैदान कुटीर उद्योग पर कितना व्यय किया गया तथा किए गये कार्य की संख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । विवरण निम्नवत् :—

कार्य	व्यय	संख्या
1—सड़कों का निर्माण	..	..
2—सम्पर्क मार्ग	..	..
3—पानी के निकास हेतु नालियां	..	दान द्वारा मरम्मत कराई गई ।
4—पुलियां	53 00	1
5—खड़ंजे एवं प्रकाश	..	..
6—पार्क खेल का मैदान	..	..
7—कुटीर उद्योग	3,300	5
8—हरिजन पेयजल कूप	3,051	1
9—पेय जलकूप सुधार	1,800	3

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 डी0 पी0 सिंह तथा प्रतिनियुक्ति पर डा0 एम0 एस0 वर्मा द्वारा विभिन्न देशों की यात्रायें तथा शासन द्वारा दी गई स्वीकृति

13—श्री मसरूर जाफरी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 डी0 पी0 सिंह तथा प्रतिनियुक्ति पर एक अन्य शिक्षक डा0 एम0 एस0 वर्मा ने वर्ष 1975 से जुलाई, 1981 तक भारत से बाहर किन-किन देशों की यात्रायें किन-किन आदेशों से प्रदान की थी ? यदि नहीं, तो इन अनधिकृत यात्राओं पर हुये व्यय को किस मद से कितना-कितना भुगतान किया गया तथा इस व्यय भुगतान की औपचारिकता स्वीकृति किन-किन शासकीय आदेशों से हुई ? तथा इस संबंध में अवकाश की स्वीकृति किस प्राधिकारी से ली गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

1975 से जुलाई, 1981 तक डा0 डी0 पी0 सिंह ने इंग्लैन्ड, बैंकाक, मनीला, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, जापान, मलेशिया, स्पेन, फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका आस्ट्रेलिया की यात्रायें उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुमोदनोपरान्त की है और इन यात्राओं पर अधिकांश व्यय भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्रोतों से किया गया था। उपरोक्त यात्राओं के संबंध में शासकीय स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। इन यात्राओं का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

डा0 एम0 एस0 वर्मा ने यूनाइटेड किंगडम बेलजियम, फ्रान्स, स्विटजर लैन्ड, आस्ट्रिया, इटली, मलेशिया, सिंगापुर और बैंकाक की यात्रायें की हैं। जिनका विवरण संलग्न-2 में दिया गया है। डा0 वर्मा द्वारा की गयी यात्राओं में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिये गये अनुदान में से 12,000 रुपये का व्यय हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 470 पर)।

हरिहर महादेव इन्टर कालेज, देवचन्दपुर, वाराणसी में समाज शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति में अनियमितता

14—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हरिहर महादेव इन्टर कालेज, देवचन्दपुर, वाराणसी में समाज शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति में अनियमितता की गई है क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में श्रीरामसागर सिंह ने दिनांक 6-1-81, 16-1-81 एवं 10-3-81 को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी दिनांक 7-4-81 को शिक्षा उप निदेशक वाराणसी दिनांक 21-7-81 को शिक्षा निदेशक को शिकायती पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी द्वारा की गई छानबीन के अनुसार प्रश्नगत नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई। किन्तु शिकायती पत्रों से

अनियमितता प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में श्री राम सिंगार ने प्रश्नगत अधिकारियों को शिकायती-पत्र लिखे हैं। शिकायती पत्रों पर की गई कार्यवाही की आख्या लगभग एक वर्ष से अधिक अवधि बीतने पर भी शासन को उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा निदेशक को वांछित आख्या शीघ्र भेजने हेतु पुनः निर्देश भेज दिये गये हैं।

श्री ललिता प्रसाद दुबे, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर के बकाया वेतन का भुगतान

15--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन श्री ललिता प्रसाद दुबे, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर (देवरिया) का वेतन 1974 से 1976 तक का अब तक बकाया है यदि हां, तो भुगतान कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार बकाया बिल बनाकर, महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान सम्भव होगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षकों का प्राविडेन्ट फंड और पेंशन का भुगतान

16--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षकों का प्राविडेन्ट फंड और पेंशन के प्रकरण वर्ष 1975 से अपूर्ण हैं और अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को उनका भुगतान समय से नहीं होता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर कर शिक्षकों को पेंशन और प्राविधायी निधि का भुगतान समय से कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद जौनपुर में वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक सभी अध्यापकों के प्राविडेन्ट फंड की लेजर प्रविष्टियां पूर्ण हैं तथा वर्ष 1975 से वर्ष 1981 तक अवकाश ग्रहण करने वाले अध्यापकों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान हो रहा है तथा भविष्य निर्वाह निधि का भी भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाचार्य महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, देव गांव, फैजाबाद द्वारा छात्रवृत्तियों की धनराशि को पोस्ट आफिस में जमा करने की तिथियों की पुष्टि तथा जांच

17--श्री सुग्रीव सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाचार्य महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद द्वारा 1980-81 से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की छात्रवृत्तियों की धनराशि 2 अप्रैल, 1981 को ही सरकार से आहरित करके पांच

माह बाद अगस्त, 1981 में संबन्धित छात्रों की पास बुक्स में जमा किया गया है जबकि आफिस रिकार्ड में उक्त प्रधानाचार्य द्वारा उक्त धनराशि यथा समय पास बुक्स में जमा करना दिखाया गया है ? क्या सरकार सम्बन्धित पोस्ट आफिस से धनराशि जमा करने की तिथियों की पुष्टि तथा पास बुक एवं आफिस रिकार्ड की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रधानाचार्य महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद द्वारा छात्रवृत्ति तथा क्षतिपूर्ति की कुल रुपये 4359 की धनराशि दिनांक 2-4-81 को बैंक आफ बड़ौदा, कुमारगंज, फैजाबाद से आहरित की गई थी । केवल एक छात्र गंगा राम की छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 575, जो 28-8-1981 को उसके पास बुक में जमा की गई, को छोड़कर शेष सभी छात्रों की छात्रवृत्तियों की धनराशियां दिनांक 22-5-81 तक उनकी पास बुकों में जमा करा दी गई थी । गंगा राम कक्षा 12 का छात्र था और प्रवेश पत्र लेकर विद्यालय से चला गया था । उसकी पास बुक उपलब्ध न होने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि माह अगस्त के पूर्व उसकी पास बुक में जमा नहीं की जा सकी । जिन तिथियों को छात्रवृत्तियों की धनराशियां सम्बन्धित छात्रों के पास बुकों में जमा की गई उन्हीं तिथियों को कालेज की कैश बुक में उनका वितरण दिखाया गया है । अतएव इस मामले में जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रधानाचार्य महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद द्वारा छात्रों से लिया गया शिक्षण शुल्क को न जमा करने के विरुद्ध कार्यवाही

18--श्री सुग्रीव सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाचार्य, महन्थ लाल दास इन्टर कालेज देव गांव, फैजाबाद द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी, 1979 के कक्षा 12 के समस्त छात्रों का शिक्षण शुल्क छात्रों से यथा समय वसूल करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया गया है तथा उक्त धनराशि को अभी तक सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है ? अब तक उक्त धनराशि सरकारी कोष में जमा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती कला देवी, सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर बेसिक विद्यालय, बरौली, जाटा, बाराबंकी को वेतन का भुगतान

19--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1979 का वेतन श्रीमती कला देवी, सहायक अध्यापिका कन्या जूनियर बेसिक विद्यालय, बरौली, जाटा, बाराबंकी को न देकर सम्बन्धित सहायक विद्यालय निरीक्षिका ने अपने पास रख लिया है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों को दंडित करके वेतन का भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्नगत अध्यापिका को अगस्त, 1979 के वेतन का भुगतान कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमोदन हेतु नियमावली

20—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1977 से पूर्व प्रान्तीय कृत हाई स्कूल, इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य प्रवक्ताओं का पर्वतीय क्षेत्र में लोक सेवा आयोग द्वारा औपचारिक चयन किया गया है, किन्तु 1977 के बाद प्रान्तीयकरण किये गये प्रधानाचार्य व प्रवक्ता सहायक अध्यापक जिनको 4—4 वर्ष से अधिक हो गया है लोक सेवा आयोग से औपचारिक चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लोक सेवा आयोग ने परामर्श दिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमोदन हेतु एक नियमावली बनाई जाय । नियमावली बनने के उपरान्त ही आयोग द्वारा अनुमोदन सम्भव होगा ।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, पौड़ी गढ़वाल द्वारा एल0 टी0 वेतनक्रम में की गयी तदर्थ नियुक्तियां

21—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियां न किये जाने के बावजूद गढ़वाल मंडल के उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका द्वारा पुनः अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1981 में एल0 टी0 वेतनक्रम में बड़े पैमाने पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो ऐसी तदर्थ नियुक्तियां क्यों और कितनी-कितनी की गई तथा इन तदर्थ नियुक्तियों में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कितनी-कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गईं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

छात्रों के शिक्षण के हित में शासन के आदेशानुसार मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, पौड़ीगढ़वाल से एल0 टी0 वेतनक्रम में तदर्थ नियुक्तियां की हैं । ये नियुक्तियां अपरिहार्य परिस्थितियों में 20-5-82 तक अथवा नियमित चयन से अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की गई । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने 79 तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने 14 तदर्थ नियुक्तियां कीं जिनमें केवल एक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, जिसका आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, की नियुक्ति की गई ।

जनपद बांदा की बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) स्व0 श्रीमती लज्जा रानी निगम के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्ति पेन्शन आदि का भुगतान

22--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) स्व0 श्रीमती लज्जारानी निगम के अवशेष वेतन, सेवा निवृत्ति लाभ, पेन्शन आदि का भुगतान 15 दिसम्बर, 1981 तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले के भाटपार रानी के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला भिगारी बाजार के प्रधानाध्यापक द्वारा कतिपय शुल्क न जमा करने के विरुद्ध कार्यवाही

23--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, जिला ब्लाक भाटपाररानी के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला भिगारी बाजार में वर्ष 1972 से 31 मार्च, 1981 तक कितना कला शुल्क, क्रीड़ा शुल्क/टी0 सी0 शुल्क तथा कितना जूनियर रेडकास शुल्क जमा हुआ ? किस बैंक व खाते में जमा हुआ ? यदि नहीं जमा हुआ, तो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत विद्यालय का वर्ष 1972 से 31 मार्च, 1981 तक का कला शुल्क क्रीड़ा शुल्क, टी0 सी0 शुल्क तथा जूनियर रेडक्रास शुल्क वसूल करके जमा नहीं किया गया। टी0 सी0 शुल्क का 293·64 रु0 दिनांक 1 मार्च, 1982 को चालान संख्या 7 द्वारा पी0 एल0 एकाउन्ट में जमा किया गया। प्रश्न में उल्लिखित अन्य शुल्क जिनका योग 381·95 रु0 होता है कहीं जमा नहीं किये गये।

इस अनियमितता के कारण सम्बन्धित प्रधानाध्यापक का अगस्त, 1979 का वेतन (429·20 रु0) रोक दिया गया तथा कड़ी चेतावनी दे कर उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई।

राजकीय इन्टर कालेज, झांसी में कार्यरत अध्यापकों का नियमितीकरण

24--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज झांसी में 1-1-77 के पहले के कार्यरत कितने अध्यापकों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? शासन का कब तक इन सभी अध्यापकों का नियमितीकरण करने का विचार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एक अध्यापक का नियमितीकरण शेष है जिसके नियमितीकरण के आदेशों शिक्षा निदेशक द्वार जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद जौनपुर में राजकीय इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज खोलने की मांग

25--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने राजकीय इण्टर कालेज एवं महाविद्यालय हैं क्या यह सत्य है कि जौनपुर नगर में बालकों को इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज की एक भी शिक्षण संस्था नहीं है ? क्या क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुये सरकार जौनपुर नगर में बालकों का कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

केवल एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज है ।

जी नहीं । जौनपुर नगर क्षेत्र में बालकों के 6 इण्टर कालेज तथा 2 डिग्री कालेज हैं जिनसे क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी को स्वीकृत अवकाश तथा वेतन का भुगतान

26--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 128 के उत्तर के सन्दर्भ में प्रधानाध्यापक, अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वेतन बैंक में जमा कर सकता है ? क्या यह भी सही है कि 22-1-79 के पूर्व ही उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत हो चुका था ? क्या उपरोक्त भुगतान अब कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

श्रीमती कमला देवी का अवकाश 21-11-79 को स्वीकृत हुआ था । प्रश्नगत भुगतान की स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

27--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओ0 एन0 सक्सेना शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-81 का एक शिकायती-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य जमा किश्त का वितरण

28--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस ले कर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर0 आई0 जी0 एस0 मेरठ द्वारा बी0 टी0 सी0 ग्रेड पर की गई नियुक्तियां

29--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 आई0 जी0 एस0, मेरठ ने बी0 टी0 सी0 ग्रेड पर बिना रिक्तियों का विज्ञापन तथा बिना चुनाव प्रकिया अपनाये सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1981 में कुल कितनी नियुक्तियां की ? इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की पदोन्नति

30--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक शिक्षा परिषद् में महिला शिक्षकों के स्थानान्तरण, प्रोन्नति करके पुरुष स्कूल में तथा पुरुष शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रोन्नति करके महिला स्कूल में किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त प्राइमरी स्कूल मिश्रित घोषित हो चुके हैं और उनमें प्रधान अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद पर नियुक्ति करने में सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है, पुरुष और महिला के आधार पर नहीं । जहां तक जूनियर हाई स्कूल के सहायक/अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है यह पदोन्नति पुरुषों को बालक स्कूलों में तथा महिलाओं को बालिकाओं के स्कूल मे दी जाती है ।

जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी में श्रीमती कमला देवी नाम की दोनों अध्यापिकाओं द्वारा आहरित वेतन

31--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी में माह अगस्त, 79 में श्रीमती कमला देवी नाम की एक से अधिक सहायक अध्यापिकायें कार्यरत थी? यदि हां, तो क्या उक्त माह में श्रीमती कमला देवी नाम की सभी अध्यापिकाओं ने वेतन स्वयं प्राप्त किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अगस्त, 1979 में प्रश्नगत विद्यालय में श्रीमती कमला देवी नाम की दो अध्यापिकायें थी। एक ने वेतन सीधे प्राप्त किया। दूसरी जो जूनियर बेसिक विद्यालय बरौली जाटा से स्थानान्तरित होकर आयी थी, ने वेतन बरौली जाटा विद्यालय के एक अध्यापक के माध्यम से प्राप्त किया।

गाजीपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रारम्भिक पाठशालाओं, लघु माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन, नकदीकरण का बकाया भुगतान

32--श्री रामनारायण एडवोकेट--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रारम्भिक पाठशालाओं, लघु माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन, नकदीकरण तथा अन्य प्रकार के भुगतान की कितनी धनराशि वर्ष 1978 से दिसम्बर सन् 1981 तक बाकी है ? अब तक इनका भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत अवधि का बकाया रुपया 9,75,811·87 है।

अब तक भुगतान न हो सकने के कारणों की जांच की जा रही है।

जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चन्दौली के प्राथमिक विद्यालय, परासीकलां के भवन का निर्माण

33--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चन्दौली के प्राथमिक विद्यालय, परासीकलां के भवन का निर्माण सरकारी अनुदान से माह जनवरी, 1980 में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु किसी कारण यह निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस विद्यालय के अधूरे भवन को पूर्ण करायेगी और अनियमितता के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चन्दौली के प्राथमिक विद्यालय परासीकलां के भवन का निर्माण माह जनवरी, 1980 में प्रारम्भ किया गया था। भवन की दीवारे दरवाजे की ऊंचाई के स्तर तक बनकर तैयार है परन्तु सीमेंट के अभाव में आगे का निर्माण कार्य रुक गया है। कार्य के अधूरा रहने के लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है अतः, कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

इन्टर कालेज, सुजानगंज, जौनपुर के अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य श्री हरिनाथ मिश्र को पेन्शन, सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

34--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन्टर कालेज, सुजानगंज, जौनपुर के गत सात वर्ष पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य श्री हरिनाथ मिश्र को अभी तक न तो पेन्शन स्वीकृत की गयी और न अन्य सुविधाएं दी गयी ? क्या सरकार उन्हें पेन्शन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री हरिनाथ मिश्र को प्राविधायी निधि एवं पेन्शन की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा आरम्भ कर दी गयी है।

नारायण स्वामी रा० इ० कालेज, तल्ला रामगढ़, नैनीताल में प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य व कला अध्यापक के विरुद्ध जांच

35--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायण स्वामी रा० इ० कालेज तल्ला रामगढ़, जनपद नैनीताल में प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य व कला अध्यापक के विरुद्ध अनियमितता बरतने पर छात्रों में असंतोष है ? यदि हां, तो उपरोक्त अध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। छात्रों में असंतोष के कारण प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य एवं कला अध्यापक का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उप शिक्षा निदेशक नैनीताल से अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ के मंत्री श्री राम जनम सिंह के शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित पत्रों की संख्या तथा समाधान

36--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 4 (नत्थी "क") के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छानबीन के उपरान्त प्रश्नगत अवधि में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या निश्चित की जा चुकी है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि छानबीन के उपरान्त निश्चित किए गए पत्रों में कुल कितनी समस्याएं हैं और उनमें से कितने का समाधान कर दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

कुल पत्रों की संख्या 20 है, कुल समस्यायें 179 हैं, इनमें से 165 का समाधान हो चुका है।

वेस्ली इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक एवं प्रधानचार्य द्वारा की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच

37—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के सत्र (1981) के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय के कौन से अधिकारी ने आजमगढ़ जाकर जांच आख्या प्राप्त की ? क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जांच के समय शिकायतकर्ता को भी साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच के परिणाम क्या निकले हैं तथा इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से सूचना प्रतीक्षित है ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कृत कार्यवाही

38—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन (भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट 1975-76) (सिविल) पर आधारित सिफारिश संख्या 7, 24 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक व उनके कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाही

39—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र, दिनांक 23 मई, 1977 की जांच के समय क्या, शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य देने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

शिकायतकर्ताओं को अपने आरोपों की पुष्टि हेतु व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जी0 एन0 के0 इन्टर कालेज, कानपुर में छात्रों से अवैध शुल्क वसूल किये जाने की शिकायत के विरुद्ध कृत कार्यवाही

40—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि क्या अधिक शुल्क वसूल किए जाने की शिकायत की जांच कराई गयी तथा जांच में शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य के लिए बुलाया गया ? उसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच में शिकायत सही पायी गई । प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा आदेशों का पालन न करने पर प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिक्षा संशोधित अधिनियम की धारा 16 ब के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्याम कृष्ण उ0 मा0 विद्यालय थवईपार, गोरखपुर में अनावश्यक पदों के सृजन की जांच

41--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 61 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अवधि में सृजित पदों में किन-किन पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं थी और इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा निदेशक से इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

ग्राम समाज इन्टर कालेज जामनगर, जिगनी, आजमगढ़ का स्पेशल आडिट कराने का आदेश तथा शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गयी अनुपालन आख्या

42—श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक द्वारा कब अनुपालन आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 6-1-81 तक कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा निदेशक द्वारा अनुपालन आख्या 1-7-81 तथा 8-1-82 को जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ से मांगा गयी है ।

6-1-81 तक अनुपालन आख्या का सत्यापन करने की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय से सम्बद्ध आडिट एवं लेखा इकाई द्वारा पूर्ण नहीं हुई थी । इसे पूर्ण करवाकर निदेशालय को उपलब्ध कराने के लिए पुनः निर्देश दिए जा चुके हैं ।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अल्प-संख्यक घोषित किए जाने की परिस्थितियां

43--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 में प्रदेश के कितने गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अल्प-संख्यक घोषित किया गया ?

इसमें कितने विद्यालय किस अल्प-संख्यक समुदाय से सम्बन्धित थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि इसके पूर्व और कभी कोई गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय अल्प-संख्यक विद्यालय घोषित हुआ था ? यदि नहीं, तो वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इनका प्रारम्भ वर्ष 1976-77 में ही किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 27 अप्रैल, 1977 तक शिक्षा निदेशालय में प्राप्त सूचना के अनुसार 190 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अल्प-संख्यक विद्यालय घोषित किया गया। इन विद्यालयों को धार्मिक अथवा भाषायी अल्प-संख्यक विद्यालय स्वीकार किया गया है। यह सूचना सम्प्रति उपलब्ध नहीं है कि उक्त विद्यालयों में से कौन-कौन से विद्यालय किस-किस अल्प-संख्यक समुदाय से सम्बन्धित हैं। वर्ष 1975 में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में किए गए संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई नई धारा 16-च के प्राविधानों के उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अल्प-संख्यक घोषित किए जाने का अवसर आया।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरणों के अनुरक्षण तथा अन्य प्राप्त अनुदान एवं आदर्श इन्टर कालेज, मानिकपुर बांदा हेतु उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

44—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरणों के अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत मिलते रहते हैं तथा क्या यह भी सही है कि इस प्रकार प्रबन्धाधिकरण को सभी अधिकार युक्त विभाग तथा शासन द्वारा माना जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को आदर्श इन्टर कालेज, मानिकपुर, बांदा के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी है ? यदि हां, तो इस निर्णय के आधार पर क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

(1) जी हां, यदि अनुदान निलम्बित नहीं है।

(2) नहीं।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ास्थल की व्यवस्था

45—श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कौन-कौन से गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास इस समय क्रीड़ा-स्थल नहीं है ? इन विद्यालयों के पास क्रीड़ास्थल न होने के कारण विद्यार्थियों के खेलकूद की व्यवस्था है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आजमगढ़ जिले में 37 ऐसे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें क्रीड़ास्थल नहीं है (सूची संलग्न है ।)

क्रीड़ास्थल न होने के कारण इन विद्यालयों में हाकी, क्रिकेट, फुटबाल आदि के खेल नहीं हो पाते हैं । विद्यालय के प्रांगण में केवल इनडोर गेम होते हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 472 पर ।)

श्री रमाशंकर उपाध्याय, कताई शिक्षक, आजमगढ़ के बकाया वेतन का भुगतान

46--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर उपाध्याय, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, जो 1948 में जिला बोर्ड, आजमगढ़ में कताई शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और जिनका वेतन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिसम्बर, 1975 तक मिलता रहा, का वेतन जनवरी 1976 से अकारण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके वेतन का शीघ्र भुगतान कराने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मड़ियाहूं स्थित नवनिर्मित भवन में राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत (जौनपुर) को स्थानान्तरित करने के निर्गत आदेश

47--श्री जंग बहादुर--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं में जौनपुर-मिर्जापुर राजकीय मार्ग पर ग्राम सेऊर में 5-6 लाख की लागत का भवन नार्मल स्कूल के प्रशिक्षण हेतु लगभग सात वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था और इससे सम्बन्धित 50 एकड़ भूमि है और भवन किसी उपयोग में लाया नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार की इसकी उपयोगिता के लिए क्या योजना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

मड़ियाहूं स्थित नवनिर्मित भवन में राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत (जौनपुर) को स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं ।

श्री बल्देव इन्टर कालेज, बड़ागांव, वाराणसी को छात्रावास हेतु दिया गया धन

48--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बल्देव इन्टर कालेज, बड़ागांव, वाराणसी को सन् 55 या 56 में छात्रावास हेतु 50 हजार से ऊपर रुपया दिया गया था और छात्रावास बना हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास

को जुलाई, 1981 में श्री बल्देव डिग्री कालेज को ट्रांसफर करके उसे परिवर्तित किया गया है और उसको तोड़वाकर दुकान बनाने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बी० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या, नाम तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन

49--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बी० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर से सम्बन्धित 10 मार्च, 1981 की कार्य सूची के अता० प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत स्कूल में नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक तथा मार्च, 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जो संख्या 8 व 7 बताई गई है, उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति किसके द्वारा कब की गई और क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी नियुक्ति अनुमोदित कर दी गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम जिनकी नियुक्ति कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा की गई थी और जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित थे, निम्नांकित हैं--

	नियुक्त तिथि
1--श्री विशम्भर दयाल	28-4-77
2--श्री छोटे लाल दिवाकर	1-7-77
3--श्री चन्द्र कुमार सिंह	1-1-78
4--श्री राम शरण	1-1-78
5--श्री राजेश्वर बली	1-1-78
6--श्री शिव शंकर	1-7-77
7--श्री मुंशी लाल	1-7-77
8--श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव	1-1-78

उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने 27-10-79 से निम्नांकित 6 अनुमोदित कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दीं--

1--श्री चन्द्र कुमार सिंह

2--श्री राजेश्वर बली

3—श्री शिव शंकर

4—श्री मुंशी लाल

5—श्री आनन्द स्वरूप

6—श्री छोटे लाल दिवाकर

परन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश अवैध एवं अनियमित घोषित करते हुए एकल संचालन द्वारा उन्हें सेवा में कार्यरत मानते हुए उनके वेतन का भुगतान किया।

कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश का पालन न करके इन 6 कर्मचारियों के स्थान पर 1-11-79 से निम्नांकित 5 कर्मचारियों को नियुक्ति कर दी और इस प्रकार 7 कर्मचारी कार्यरत हो गये—

1—श्री राज बहादुर

2—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

3—श्री सुखदेव प्रसाद

4—श्री राकेश कुमार

5—श्री चन्द्रपाल सिंह।

उपरोक्त 5 अननुमोदित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री छोटे लाल सविता की नियुक्ति 1-7-80 से 31-12-80 तक बिना जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा की गई थी।

प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, मवाना, मेरठ द्वारा छात्राओं से निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली लेने के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

50—श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद आज्ञा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, मवाना, मेरठ द्वारा छात्राओं से निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली प्रति माह की जाती है, जिसके सम्बन्ध में छात्राओं ने 28-8-81 को एक शिकायत-पत्र मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ को प्रेषित किया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कृत जांच एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट एवं कृत प्रशासनिक कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। उपलब्ध सूचनानुसार छात्राओं से नहीं बल्कि विद्यालय की अध्यापिकाओं का शिकायत-पत्र प्राप्त हुआ था। प्रधानाध्यापिका का स्थानान्तरण कर दिया गया है। प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए आरोप पत्र तैयार करने हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टर कालेजों में रिक्त अध्यापकों के पद तथा शासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था

51—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टर कालेजों में सन् 1979 से 1981 अक्तूबर तक किन-किन विषयों के अध्यापक व किन-किन विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं ? क्या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो शासन ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टर कालेजों में सन 1979 से अक्तूबर, 1981 के बीच सी0 टी0 वेतनक्रम के 30 पद, एल0 टी0 वेतनक्रम के 77 पद, प्रवक्ता वेतनक्रम के 20 पद, प्रधानाध्यापक के 6 पद तथा प्रधानाचार्य के 12 पद रिक्त रहे। विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न विषयों के रिक्त अध्यापकों के पदों का तथा प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

प्रवक्ता के अधिकतर पद भरे जा चुके हैं। सी0 टी0 व एल0 टी0 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 474 पर)

श्री ईश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला, माहो, विकास क्षेत्र खीरों, जनपद रायबरेली के बकाया वेतन का भुगतान

52—श्री गया सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला माहो, विकास क्षेत्र खीरों, जनपद रायबरेली का 15 माह का वेतन (माह सितम्बर, 1978 से नवम्बर, सन् 1979 तक) नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय शिक्षकों की मांगों पर विचार विमर्श तथा फैसले के कार्यान्वयन की प्रगति

53—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं शिक्षा निदेशक सहित शासकीय प्रतिनिधियों की, जो बैठक राजकीय शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए लखनऊ में दिनांक 2 जुलाई, 1981 तथा 5 सितम्बर, 1981 (बैठक शासन द्वारा आयोजित की गयी थी)

को हुई उसके विचारणीय बिन्दु क्या-क्या थे तथा क्या फैसला किया गया तथा फैसले के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रसंगगत बैठक केवल 5 सितम्बर, 1981 को हुई थी। बैठक में विचार किये गये बिन्दु विचार विमर्श के बाद निकले हुए निष्कर्ष तथा कार्यान्वयन की प्रगति की स्थिति की सूचना संलग्न† है।

श्री पंचम लाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत तथा जांच

54--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री पंचम लाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थीं तथा उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ? क्या जाँच के समय शिकायतकर्ताओं को सक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर० आई० जी० एस०, मेरठ, बी० एस० ए० महिला, बुलन्दशहर, प्रधानाचार्य, रा० उ० मा०, पहासू द्वारा की गयी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

55--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० आई० जी० एस०, मेरठ ने तथा बी० एस० ए० महिला, बुलन्दशहर ने तथा प्रधानाचार्य, रा० उ० मा०, पहासू ने कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां सत्र 1979-80 एवं 1980-81 और वर्तमान सत्र 1981-82 में अब तक बिना रिक्तियों का विज्ञापन किए बिना, रोजगार कार्यालय से नाम मांगे बिना, आरक्षण का ध्यान रखे बिना, उचित चुनाव प्रकिया अपनाए अयोग्य, अधिक आयु, अशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, जौनपुर में अंग्रेजी विषय में प्रवक्ता की नियुक्ति

56--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय बालिका इंटर कालेज, जौनपुर में गत दो वर्षों से अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता की नियुक्ति नहीं की गयी

†छापी नहीं गयी।

है ? उक्त संस्था में पढ़ने वाली छात्राओं के हित को ध्यान में रख कर क्या सरकार प्रत्येक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रत्येक विषय की अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती शारदा अरोरा, मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अष्टम मन्डल, लखनऊ के विरुद्ध अनियमिततायें तथा समकक्ष पद पर बनाए रखने का औचित्य

57--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती शारदा अरोरा, मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अष्टम मन्डल, लखनऊ, जो वर्ष 1975 से 1978 तक मन्डलीय निरीक्षिका के पद पर रही थीं और उस अवधि में वर्ष 1976-77 में हरचरन दास गर्ल्स इंटर कालेज, हाथरस में इनके द्वारा किसी आर्थिक गम्भीर अनियमितता के कारण इनके तथा इनके कार्यालय के लिपिक श्री मुरारी लाल शर्मा के विरुद्ध वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था ? यदि हां, तो इनका प्रकरण क्या समाप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारी को पुनः उसी समकक्ष पद पर बनाए रखने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय त्रिपुरारी पान्डेय, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, श्री गांधी विद्या मन्दिर इंटर कालेज, गोंडा के आश्रितों की पारिवारिक पेंशन का भुगतान

58--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 त्रिपुरारी पान्डेय, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, श्री गांधी विद्या मन्दिर इंटर कालेज, गोंडा उनके कार्यालय में ही दिनांक 3 नवम्बर, 1971 को मृत्यु हो गयी किन्तु उनके आश्रितों को आज तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और यह भुगतान कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

स्व0 श्री पान्डेय के पुत्र श्री कृष्ण चरण पान्डेय को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा उनके पक्ष में रु0 4,500 पेंशन का अवशेष बिल भी भुगतान हेतु दिनांक 3 मार्च, 1982 को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा द्वारा हस्ताक्षरित किया जा चुका है ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान

59--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुख्तार खलील, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय जुल्फिकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर के सस्पेन्स एकाउन्ट, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण तथा सामूहिक जीवन बीमा का भुगतान

60--श्री फखरे आलम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुख्तार खलील, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय जुल्फिकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर का सस्पेन्स एकाउन्ट का अन्तिम भुगतान, उपार्जित अवकाश क नकदीकरण तथा जीवन बीमा की धनराशि, जिसकी कटौती वेतन में से होती है, का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ है ? जबकि उनको रिटायर हुए दो साल से अधिक हो चुके हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री मुख्तार खलील, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय जुल्फिकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर के सस्पेन्स एकाउन्ट का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है । उपार्जित अवकाश का नकदीकरण तथा जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान न होने के विवरण निम्न प्रकार हैं :--

उपार्जित अवकाश का नकदीकरण--श्री मुख्तार खलील ने अपने उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का प्रार्थना पत्र सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर को भेजा था, जो कि स्वीकृत हेतु उप शिक्षा निदेशक, तृतीय मंडल बरेली को प्रेषित किया जा चुका है । स्वीकृति के अभाव में धन का भुगतान न हो सका । इस हेतु स्मरण कराया गया है ।

सामूहिक जीवन बीमा का भुगतान--श्री खलील ने अपने कार्यकाल में अपने बीमें से सम्बन्धित पत्राजात सीधे जीवन बीमा, लखनऊ को प्रेषित किये थे किन्तु वहां से धन के भुगतान हेतु कोई चैक या पत्र नहीं उपलब्ध हुआ है । जीवन बीमा निगम, लखनऊ को स्मरण कराया गया है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

61—श्री हुकम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के 20-5-82 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जगतगुरु शंकराचार्य इन्टर कालेज, मेंहदावल, जिला बस्ती की अडिट आपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगतगुरु शंकराचार्य इन्टर कालेज, मेंहदावल, जिला बस्ती का वर्ष 1978 में जो स्पेशल आडिट हुआ उसकी रिपोर्ट में मुख्य आपत्तियां क्या प्रकाश में आईं तथा कालेज के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । अनेक अनियमिततायें प्रकाश में आईं जिसका निराकरण प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा किया गया । चूंकि विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त है इस लिये प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जानकी बाई बालिका इन्टर कालेज, मथुरा की अध्यापिका श्रीमती शकुन्तला शर्मा का वेतन एवं आवास भत्ता का भुगतान

63—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जानकी बाई बालिका इन्टर कालेज, मथुरा की अध्यापिका श्रीमती शकुन्तला शर्मा का वेतन एवं आवास भत्ता दिनांक 10-11-75 से 24-4-81 तक तथा 1 अप्रैल, 1978 से 5-11-81 तक का बकाया है ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमती शकुन्तला शर्मा को विद्यालय प्रबन्धक द्वारा दिनांक 9-11-75 को निलम्बित किया गया एवं मई, 1976 से उनकी सेवा समाप्त की गई । इसके विरुद्ध श्रीमती शर्मा की अपील पर संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) ने अपने निर्णय दिनांक 27-10-80 द्वारा उनको 2 वर्ष तक 2 वेतन वृद्धि रोक कर उन्हें बहाल कर दिया । फलस्वरूप दिनांक 27-4-81 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनको नियमित रूप से वेतन का भुगतान हो रहा है । निलम्बन अवधि

के वेतन भुगतान हेतु वांछित धनराशि की स्वीकृति निदेशालय के पत्र दिनांक 7-7-82 द्वारा दी जा चुकी है ।

आवास भत्ता उन्हें देय नहीं है क्योंकि निलम्बन एवं सेवा समाप्ति काल में वह मथुरा में नहीं रही ।

श्री राम नरेश मिश्र, उप विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची तथा स्थानान्तरण की मांग

64—हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्यालय निरीक्षक (राम नरेश मिश्र), जिला मिर्जापुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश मंडल, वाराणसी के दिनांक 13-12-81 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन की कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री राम नरेश मिश्र, जिला मिर्जापुर में विद्यालय निरीक्षक नहीं, वरन् उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं । उनके विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1981 प्राप्त हुआ । उक्त शिकायती-पत्र में श्री मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची संलग्न है ।

आरोपों के सम्बन्ध में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी से जांच करायी जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 480 पर ।)

65—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर (राम नरेश मिश्र) का स्थानान्तरण सन् 1979 से 1981 के बीच चार बार हुआ ? तथा उसे रोक दिया गया ? क्या पुनः उनका स्थानान्तरण जनहित में करने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री मिश्र, उप विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर का स्थानान्तरण सन् 1979 से 1981 के बीच दो बार हुआ था तथा दो बार रोका गया । पुनः स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

श्री राधेश्याम राय, कला अध्यापक, विभूति नारायण उ० मा० विद्यालय, सूरजपुर, आजमगढ़ के बकाये वेतन का भुगतान

66—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम राय, कला अध्यापक, विभूति नारायण उ० मा० विद्यालय, सूरजपुर, आजमगढ़ के जनवरी, 1975 से फरवरी, 1979 तक के अवशेष वेतन लगभग 24 हजार रुपए का भुगतान नहीं हुआ है ? क्या यह भी सही है कि इस भुगतान के लिए अनुदान प्राप्त किए जाने से सम्बन्धित पत्राजात जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा 23-9-81 को शिक्षा निदेशालय में भेजे गये

जो वहां 17-10-81 को प्राप्त हो गये ? यदि हां, तो भुगतान न किए जाने का क्या प्रमुख कारण है ? और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम समाज इं0 का0, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के विरुद्ध शासन का निर्णय

67—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इं0 का0 जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (ई-10) के अन्तर्गत श्री जनार्दन सिंह का प्रत्यावेदन शासन को वर्ष 1978-79 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं ? और निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । शिक्षा निदेशक की आख्या प्राप्त हो गई है तथा मामले का परीक्षण एवं नियमानुसार कार्यवाही करके यथा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

झांसी नगर के गैर सरकारी विद्यालयों में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही

68—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में कौन-कौन से गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रबन्धक मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक या प्रधानाचार्य हैं ? माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों में इसका स्पष्ट प्राविधान है कि मान्यता प्राप्त किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का कोई शिक्षक या प्रधानाचार्य किसी दूसरे मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रबन्ध समिति या पदाधिकारी नहीं होगा ? यदि हां, तो ऐसे संस्था के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

झांसी नगर में स्थित निम्नलिखित तीन ऐसे गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/अध्यापक प्रबन्धक हैं :

(1) सरस्वती पाठशाला इंटर कालेज, झांसी ।

(2) सरस्वती इंटर कालेज, सीपरी बाजार, झांसी ।

(3) शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी द्वारा उक्त तीनों विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को यह निदेश दिये जा चुके हैं कि उक्त व्यवस्था इंटरमीडिएट शिक्षा

अधिनियम की धारा 16—छ के अन्तर्गत बने विनियम के अध्याय तीन के विनियम 5 के विपरीत हैं। अतः तत्काल नियमानुसार नये प्रबन्धक का चुनाव कराया जाय।

गांधी विद्या मन्दिर इंटर कालेज, गोंडा के विशेष आडिट में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध शासन स्तर पर परीक्षण

69—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गांधी विद्या मन्दिर इंटर कालेज, गोंडा का वर्ष 1976 में विशेष आडिट कराया गया था और उसमें पायी गयी अनेक गम्भीर वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के कारण शिक्षा निदेशक ने शासन को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16—डी (4) के अन्तर्गत साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की संस्तुति की है ? यदि हां, तो शिक्षा निदेशक की संस्तुति शासन को कब प्राप्त हुई है और साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

शिक्षा निदेशक की संस्तुति शासन को दिनांक 11 अगस्त, 1982 को प्राप्त हुई है, जिसका शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

देवरिया, जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय पर बेरोजगार बी० टी० सी० ट्रेनिंग युवकों द्वारा अनशन तथा मांगों पर दिया गया आश्वासन

70—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय पर बेकार बी० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त युवकों ने अनिश्चितकालीन अनशन अगस्त, 1981 में किए थे ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ? क्या यह सही है कि उनके अनशन को तोड़वाने के लिए बेसिक अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। उनकी मुख्य मांग नियुक्ति की थी। बी० टी० सी० बेरोजगार युवकों द्वारा चलाये जा रहे अनशन को तुड़वाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी।

जनपद हमीरपुर के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सूखा के अन्तर्गत शिक्षा शुल्क की क्षतिपूर्ति

71—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में हमीरपुर जनपद के कितने सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सूखा के अन्तर्गत शिक्षा शुल्क का क्षतिपूर्ति अनुदान दिया गया है ? क्या अब भी कतिपय विद्यालय क्षतिपूर्ति अनुदान पाने को शेष हैं ? यदि हां, तो कब तक देने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सत्रह विद्यालयों को प्रश्नगत अनुदान दिया गया है ।

जी हां । 3 विद्यालय ।

उक्त तीनों विद्यालयों ने विभागीय आदेशानुसार जनपदीय अधिकारी से अपनी मांग की जांच नहीं कराई । अतः अनुदान देना सम्भव नहीं हो सका और अब वित्तीय वर्ष 1979-80 का अनुदान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में क्रीड़ाध्यक्ष का पद तथा नियुक्ति

72--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या सरकार को जानकारी है कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में क्रीड़ाध्यक्ष का पद दो-तीन साल से रिक्त है ? यदि हां, तो उस पद पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई और कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अवध विश्वविद्यालय में उपयुक्त स्थल के अभाव में अभी तक खेलकूद की व्यवस्था नहीं हो सकी है । अतएव क्रीड़ाधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं की गयी ।

विश्वविद्यालय प्रांगण में क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यकलाप आरम्भ होने पर इस पद पर नियुक्ति की जायेगी ।

मान्यता प्राप्त तिथि पर क्रमानुसार अनुदान वितरण

73--श्री राम गोविन्द--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा (अर्थ-4) अनुभाग, इलाहाबाद के पत्रांक अर्थ (4) 2283-2356-दस-सौ (5) 81-82, दिनांक 2 जुलाई, 1981 द्वारा कोई आदेश निकाला गया है कि मान्यता प्राप्त तिथि के क्रमानुसार अनुदान नहीं दिया जायेगा ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है और किस आधार पर दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

ऐसा स्पष्ट निर्देश उक्त पत्र में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के गांधी विद्यालय इंटर कालेज, मारूफपुर, मर्यादपुर के प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र नाथ राय को प्रबन्धक का पद छोड़ने हेतु निर्देश

74--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा अधिनियम सेवा की शर्तों के चेप्टर तीन की धारा 5 के प्रतिकूल आजमगढ़ जनपद के गांधी विद्यालय

इंटर कालेज, मारूफपुर, मर्यादपुर, आजमगढ़ के प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र नाथ राय उसी जनपद के देवरहवा बाबा इंटर कालेज, मझवारा के प्रबन्धक हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, नियमों के प्रतिकूल कार्य करने के कारण श्री राय को प्रबन्धक का पद छोड़ने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

लालबाग सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय तथा समिति का पंजीकरण

75--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लालबाग सोसाइटी द्वारा संचालित कितने विद्यालय लखनऊ में वर्तमान समय में चलाए जा रहे हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति का पंजीकरण कब और कहां किया गया तथा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम (उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पंजीकरण का नवीनीकरण कब-कब कराया गया ? संस्था द्वारा संचालित कितने विद्यालयों को शासन द्वारा कब तक मान्यता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

लालबाग सोसाइटी द्वारा पांच विद्यालय वर्तमान समय में चलाये जा रहे हैं :--

1--लालबाग गर्ल्स इंटर कालेज--लखनऊ ।

2--सी० टी० नर्सरी ट्रेनिंग कालेज लालबाग--लखनऊ ।

3--प्रेस डेक्सि प्रा० स्कूल--लालबाग ।

4--एडना हर्चेन्टस नर्सरी स्कूल--लालबाग ।

5--एम्मा थाम्सन स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) लालबाग ।

उक्त समिति का पंजीकरण 7 जुलाई, 1978 को रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय में हुआ । पंजीकरण का नवीनीकरण 30-6-82 को हुआ । शासन द्वारा पहले चार विद्यालयों को मान्यता दी गई है ।

संजय गांधी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, अब्दुल्ला नगर, जिला हरदोई को प्रदान अस्थायी मान्यता

76--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, अब्दुल्ला नगर, जिला हरदोई को इस वर्ष अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है ? क्या यह सही है कि यह विद्यालय मान्यता की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्यालय को दी गई अस्थायी मान्यता को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । वर्ष 1981-82 में 1-7-81 से नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की गई । स्कूल मान्यता की निर्धारित शर्तें पूरी करता है । अतः अस्थायी मान्यता निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सूरज प्रसाद गर्ल्स इन्टर कालेज, झांसी में पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र

77—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सूरज प्रसाद गर्ल्स इन्टर कालेज, झांसी में पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विधायक झांसी का दिनांक 14-9-81 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूरज प्रसाद गर्ल्स इंटर कालेज, झांसी में पेय जल की व्यवस्था के सम्बन्ध में विधायक झांसी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है किन्तु पेय जल की समस्या के निदान हेतु उक्त कालेज के प्रांगण में एक हैन्ड पम्प की व्यवस्था कर दी गई है । उक्त हैन्ड पम्प एवं विद्यालय प्रांगण में स्थित कुए में लगी मोटर की सम्मिलित व्यवस्था से वर्तमान समय में विद्यालय में पेय जल की कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री रवि प्रताप वर्मा, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

78—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया (श्री आर० पी० श्रीवास्तव) के विरुद्ध पांच गम्भीर आरोप सिद्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन सा कदम उठाया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आरोप श्री आर० पी० श्रीवास्तव के विरुद्ध नहीं अपितु भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया श्री रवि प्रताप वर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये थे । प्रारम्भिक जांच के उपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए श्री वर्मा को शासन के आदेश संख्या 235/15-1-10 (2)-81, दिनांक 27 मई, 1982 के अन्तर्गत निलम्बित किया जा चुका है एवं उनके विरुद्ध सी० सी० ए० रूल के नियम 55 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल द्वारा परीक्षा शुल्क न वापस किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

79—कु० उर्मिला अग्निहोत्री तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के शाखा फैजाबाद ने दिनांक 19-5-81 को राजाज्ञा संख्या 1686/15-6-3 (6) 80, दिनांक 2-4-81 के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल द्वारा, जो परीक्षा शुल्क लिया गया था, को फैजाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा न वापस किये जाने की कोई नोटिस दी गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री देवदत्त शर्मा, प्रवक्ता, राजकीय इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के स्थानान्तरण को निरस्त करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही एवं पुनः मैनपुरी स्थानान्तरण किये जाने के आदेश

80--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिसम्बर, 1981 में श्री देवदत्त शर्मा, प्रवक्ता, राजकीय इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के स्थानान्तरण को निरस्त करने सम्बन्धी कोई पत्र श्री शर्मा के दो मेधावी पुत्रों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके महाविद्यालय बद्री विशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद के प्राचार्य डा० महिमाचरण सक्सेना द्वारा प्रेषित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । यह निर्णय लिया गया कि स्थानान्तरण निरस्त न किया जाय ।

81--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शर्मा जी का स्थानान्तरण अगस्त, 1981 में फतेहपुर के लिए कर दिया गया था जो जांच के बाद तत्कालीन शिक्षा मन्त्री द्वारा सितम्बर, 1981 ही निरस्त कर दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

82--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या श्री देवदत्त शर्मा को राजनैतिक कारणों से अक्तूबर, 1981 में पुनः मैनपुरी स्थानान्तरित कर दिये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मुख्य मन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र जिस पर मुख्य मन्त्री जी ने आदेश संख्या एस0 70/8, दिनांक 31-12-81 को शिक्षा सचिव को निर्देशित किया प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । मुख्य मन्त्री जी के निर्देशानुसार उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया गया ।

मुरादाबाद जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

--श्री अकबर हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद जिले में सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मुरादाबाद जिले के राजकीय बालिका विद्यालय, अमरोहा, सम्भल, रामपुर धोम्पर तथा मुरादाबाद में प्रधानाध्यापिका के 2 पद, प्रवक्ता का 1 पद, एल0 टी0 वेतनक्रम से 3 पद तथा सी0 टी0 वेतनक्रम के 3 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारणों की जानकारी की जा रही है।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, जिला पीलीभीत के प्रवक्ता अध्यापिकाओं की दक्षता रोक

84--श्रीमती कमला साहनी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज जिला पीलीभीत के प्रवक्ता अध्यापिकाओं की गत 8 वर्षों से दक्षता रोक पार नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? कब तक उसे पार करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैजाबाद के समस्त सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

85--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के समस्त सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 1645/15-6-79-28 (107)-77, दिनांक 11-4-79 को राजाज्ञा जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके अनुसार वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमा शंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें

86--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाशंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें शासन को 1 अप्रैल, 81 से 31 अगस्त, 81 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से कराई गयी हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ? क्या जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

प्रमुख शिकायत भ्रष्टाचार अपने पद का दुरुपयोग, अध्यापकों की नियुक्तियों में कुछ खास व्यक्तियों को विशेषज्ञ नियुक्त करना, निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करना, वेतन वितरण अधिनियम का उल्लंघन करना तथा अपने गृह जनपद के बारे में गलत सूचना देना है।

प्रारम्भिक जांच मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से कराई गयी। प्रथम दृष्टया कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये हैं।

जी हां।

उप विद्यालय निरीक्षक श्री प्रेम नाथ जलोटा द्वारा ध्वजारोहण के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती पत्र की जांच

87—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्याम चरन द्विवेदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 1981 को जहानगंज, जूनियर हाई स्कूल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण 12-00 बजे दिन में उप विद्यालय निरीक्षक, प्रेम नाथ जलोटा द्वारा करने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1981 को रजिस्ट्री द्वारा भेजा है? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां,

जांच के परिणामस्वरूप यह मालूम हुआ कि उपविद्यालय निरीक्षक, श्री प्रेम नाथ जलोटा 11-20 पर जूनियर हाई स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गये थे जिसका आमंत्रण प्रधानाध्यापक द्वारा उन्हें दिया गया था। ध्वजारोहण पहले ही हो चुका था।

एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की जांच

88—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर धरना तथा पत्र में प्रमुख शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाही

89—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों ने 25 जुलाई, 1981 से शिक्षा निदेशक के लखनऊ स्थित कार्यालय पर धरना दिया

था तथा इससे सम्बन्धित शिक्षा निदेशक को सम्बोधित श्री राम जतन सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ का पत्र दिनांक 1-5-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में कौन सी प्रमुख समस्यायें हैं और उनके समाधान के सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । दिनांक 1-5-81 के पत्र में प्रमुख शिकायतें अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति के विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ई (10) के अन्तर्गत कार्यवाही कराने, वेतन निर्धारण करने, अवशेष वेतन भुगतान करने, प्रोन्नति करने तथा प्रबन्धकीय विवाद को समाप्त करने से सम्बन्धित हैं । कुल शिकायतें 27 हैं जिनमें 12 शिकायतों को निराकृत कराये जाने की सूचना क्षेत्रीय अधिनियमों से प्राप्त हो चुकी है तथा शेष 15 शिकायतों को निराकृत करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

गांधी स्मारक उ० मा० विद्यालय, कोडिया, आजमगढ़ की अनियमितता से सम्बन्धित शिकायतों की जांच

90--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक उ० मा० विद्यालय, कोडिया, आजमगढ़ की अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17 अक्तूबर, 1980 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गई और इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा कराई गई ।

जांच में तीन अध्यापकों को अवशेष वेतन का भुगतान न होने, अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि की किस्त का भुगतान न होने, प्रबंध समितियों के सदस्यों द्वारा शिक्षकों को धमकाने एवं आतंकित करने और छात्रों में अनियमित धन की वसूली करने आदि की शिकायतें सही पाई गईं ।

दो अध्यापकों को वेतन भुगतान करा दिया गया है । शेष अनियमितताओं का निराकरण कराने के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेश दे दिये गये हैं ।

प्रबन्धक, राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़ की सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षति पूर्ति किये जाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

91--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17 अक्तूबर, 1981 के साथ प्रबन्धक, राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़ की सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति किये जाने से सम्बन्धित पत्र शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15 नवम्बर, 1981 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ के पत्र की जांच

92--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1980 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1980 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई है ? तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा निदेशक से सूचना प्रतीक्षित है।

वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल के हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें अवैधानिक रूप से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

93--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर के वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल के हरिजन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल दिवाकर आदि की सेवायें अवैधानिक रूप से समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1981 को जो पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र संलग्न कर शिक्षा राज्य मंत्री को दिया गया, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु उसके साथ वी0 के0 हायर सेकेन्ड्री स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवेदन-पत्र संलग्न नहीं था।

उक्त विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा अवैधानिक कार्य करने तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण विद्यालय प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16-डी के अंतर्गत कार्यवाही की गई तथा विद्यालय प्रबन्धतन्त्र को 16-डी (2) एवं 16-डी (3) के नोटिस दिये जा चुके हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा के अधिकारियों के स्थानान्तरण

94--प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 1981 से 30 अक्तूबर, 1981 के बीच बेसिक शिक्षा विभाग, बांदा के कितने अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए और इनमें से कितने निरस्त किए गये ? उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण करने तथा निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत अवधि में किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिल्सी, जनपद बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

95--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिल्सी, जनपद बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्थानीय विधायक, केशव राम द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1981 को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई तथा जांच के दौरान कितने आरोप सही पाये गये तथा क्या कोई कर्मचारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । शिक्षा निदेशक से इस मामले में जांच आख्य अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है । शिक्षा निदेशक को जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए पुनः निर्देशित कर दिया गया है ।

इस्लामिया स्कूल, अकबरपुर, फैजाबाद को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

96--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस्लामिया स्कूल, अकबरपुर, फैजाबाद जो 1967 से चल रहा है तथा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है, को आर्थिक सहायता न दिए जाने का क्या कारण रहा ? क्या सरकार उक्त इस्लामिया स्कूल को सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आवर्तक रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी से ।

राजकीय क्वींस इन्टर कालेज, वाराणसी में अनियमितताओं की शिकायतें

97--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्वींस इन्टर कालेज, वाराणसी में अनियमितताओं की शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को एक जुलाई, 1981 से 31 जुलाई, 1981 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्नगत अवधि में इस प्रकार का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषक इन्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा लिपिक की नियुक्ति में अनियमितताओं की शिकायत

98--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि लिपिक की नियुक्ति हेतु कृषक इन्टर-मीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा किए गये अनियमितताओं की शिकायत विधायक (श्री कुबेर भण्डारी) द्वारा दिनांक 4-11-81 को शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संलग्नक सहित प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री मान बहादुर सिंह, लिपिक, कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा फर्जी चेक काटने के विरुद्ध कार्यवाही तथा निलम्बन

99--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 से 25-2-80 तक के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा चेक बुक संख्या 3870 से बहुत से चेक काट कर के लाखों रुपये फर्जी तरीके से अध्यापिकाओं का प्राविडेंट फण्ड तथा बिल्डिंग का रुपया एवं दूसरे मदों का निकाल कर दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इस चेक बुक के पहले की कटी हुई चेक बुकों की जांच सी० आई० डी० से करायेगी और इस बात की भी जांच करायेगी कि जो चेक बुक ट्रेजरी से दिया गया था उसकी जगह फर्जी चेक बुकें कहां से और कैसे बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राप्त की हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

स्थिति यह है कि बुक संख्या 3870/077 से रु० 3,02,200 का आहरण श्री मान बहादुर सिंह, लिपिक, कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा फर्जी चेक जिस पर यही नम्बर अंकित था आहरित किया गया था । इस नम्बर का सही चेक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के चेक बही में मौजूद था । अर्जी ड्राल के कारण श्री मान बहादुर सिंह निलम्बित कर दिये गये हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच

100—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच करायेगी जो इन लोगों ने क्रमशः सोनिया व जिला कारागार के सामने आलीशान मकान वाराणसी में खड़ा किया है ? यह धन कहां से आया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी का अपना मकान 69-ए गांधी नगर, सिगरा, वाराणसी में है जिसे उन्होंने वर्ष 1970-71 में ऋण लेकर बनवाया था ।

श्री बांके सिंह, उपविद्यालय निरीक्षक के नाम जिला कारागार, वाराणसी के सामने कोई मकान नहीं है । जिला कारागार वाराणसी के सामने उनके पत्नी के नाम तीन कमरे का एक मकान है । उक्त मकान का भूखण्ड क्रय करने के लिए श्री सिंह के ससुर ने दिनांक 9-2-80 को श्री सिंह की पत्नी के नाम 12,000 रु0 का बैंक ड्राफ्ट दिया था । उक्त मकान का निर्माण श्री बांके सिंह के पिता के सेवा निवृत्ति से प्राप्त धन तथा खेती की आय से हुआ है ।

जनपद सहारनपुर में भदुसुआ ईसापुर, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के सेवा निवृत्त अध्यापक श्री जटा शंकर त्रिपाठी के अवशेष वेतन तथा पेन्शन का भुगतान

101—श्री जगदीश सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भदुसुआ ईसापुर, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में 19-10-68 को श्री जटा शंकर त्रिपाठी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवा निवृत किए गए और उनको अभी तक न पेन्शन दी गयी और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद

102—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् में इस समय चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? क्या शासनादेश के अन्तर्गत सेवारत कर्मचारियों के मरणोपरान्त आश्रितों को सेवा में नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद रिक्त नहीं है। शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के विषय में सेवारत कर्मचारी के मरणोपरान्त उसके किसी एक आश्रित के सेवा में नियुक्ति देने के जो आदेश जारी किये गये हैं वे बेसिक शिक्षा परिषद् पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद् एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। बेसिक शिक्षा परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 21-11-75 में परिषदीय कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में पद रिक्त होने की दशा में उसके एक आश्रित को उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है और उसके अनुसार रिक्ति उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यथा समय विचार किया जायेगा।

स्व0 श्री हुबई राम, सहायक अध्यापक के पुत्र श्री लालजी की स्कूल में नियुक्ति की मांग

103--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के अन्तर्गत स्व0 श्री हुबई राम, सहायक अध्यापक के पुत्र श्री लालजी की नियुक्ति ज्ञानपुर परिषद् के अतिरिक्त वाराणसी जनपद में कहीं भी उपलब्ध स्थान पर करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्व0 श्री हुबई राम सहायक अध्यापक के पुत्र श्री लालजी अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता नहीं रखते इस लिए अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है और तृतीय श्रेणी का पद जनपद वाराणसी में रिक्त नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर जनपद के ऐसे समस्त कार्यरत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की वरीयता सूची में श्री लाल जी का क्रम आने पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

ग्राम रामपुर खरहटा, जिला गोंडा में बेसिक शिक्षा परिषद् का जूनियर हाई स्कूल दूसरे गांव को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

104--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर खरहटा, वि0 क्षेत्र, वजीरगंज, जिला गोंडा में एक जूनियर हाई स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 1978 से चलाया जा रहा था और अब उसे स्थानान्तरित कर दूसरे गांव में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों एवं किसके आदेश से किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र नवम्बर, 1981 में शासन को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

ग्राम अहमदपुर पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के अहमदपुर पावन के मन्दिर तक के मार्ग को पक्का किए जाने की मांग

105—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहमदपुर पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद की अहमदपुर पावन के मन्दिर तक की सड़क जो अत्यधिक पुरानी एवं चालू सड़क है, को अब तक पक्की न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह सही है कि प्रश्नगत सड़क काफी पुरानी है। इस सड़क पर वर्ष 1979-80 में विकास खंड, चायल द्वारा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया गया था। धनाभाव के कारण मार्ग को अभी तक पक्का नहीं कराया जा सका है।

श्री उमाशंकर मिश्र, भूतपूर्व प्रधान निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विरुद्ध जांच

106—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (श्री उमाशंकर मिश्र) के विरुद्ध कितने जांच के मामले अभी तक सी0 आई0 डी0 तथा विभागीय स्तर पर विचाराधीन हैं ? उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री उमा शंकर मिश्र, भूतपूर्व निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के विरुद्ध एक जांच विभागीय स्तर पर चल रही है। उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के पद पर जनहित में पद स्थित किया गया था।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा बांदा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

107—श्री0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा द्वारा बांदा विधान सभा क्षेत्र में गत 3 वित्तीय वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कों व कितने भवनों का निर्माण कराया और कितने किलोमीटर सड़कें व कितने भवन निर्माणाधीन हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा बांदा विधान सभा क्षेत्र में गत 3 वित्तीय वर्षों में 21 भवनों तथा 12·5 किमी0 सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया गया।

वर्ष 1982-83 में इस समय इस क्षेत्र में 6 भवनों एवं एक स्टेडियम का कार्य निर्माणाधीन है। 8·5 किमी0 लम्बे मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में एम० ए० कक्षाओं में उर्दू की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था

108--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में एम० ए० कक्षाओं में उर्दू की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध महाविद्यालय में एम० ए० कक्षाओं में उर्दू की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वर्तमान खंड विकास अधिकारी, मल्लावां को दिया गया विकास खंड कार्यालय भवन का कमरा व वेतन से किराए की कटौती

110--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान खंड विकास अधिकारी, मल्लावां, जनपद हरदोई, विकास कार्यालय को अपना आवास बनाए हैं । यदि हां, तो क्या किराए की कटौती उनके वेतन से की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्तमान खंड विकास अधिकारी, मल्लावां को विकास खंड कार्यालय भवन का एक कमरा उनके आवास हेतु मल्लावां कस्बे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवास न मिलने की दशा में दिया गया है । इसके मासिक किराए के रूप में, उनके वेतन से, 10 प्रतिशत की दर से कटौती की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया ज्ञापन

111--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को शिक्षा मंत्री को दिनांक 11-2-82, 20-2-82, 18-1-82, 29-9-81, 11-9-81 तथा 31-8-81 को कोई ज्ञापन दिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापनों में संघ की मांग क्या है तथा मांगों के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 31-8-81 तथा 29-8-81 के तथाकथित ज्ञापनों को छोड़कर शेष ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुए। उपरोक्त ज्ञापनों में संघ की प्रमुख मांगें निम्न प्रकार हैं :

1--आयु सीमा की पाबन्दी समाप्त की जाय।

2--छात्र अध्यापक का निर्धारित मानक 40:1 से शिथिल कर 25:1 किया जाय।

3--प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में बी०टी०सी० प्रशिक्षितों की ही नियुक्ति की जाय।

4--निजी प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को समाप्त किया जाय अथवा उन्हें शासन द्वारा संचालित कराया जाय। यदि ऐसा सम्भव न हो तो ऐसे विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जायं।

5--आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले विकलांगों, मृतक अध्यापक पुत्र, स्वतन्त्रता सेनानियों की उपेक्षा न की जाय।

6--बेरोजगारी एवं भुखमरी को देखते हुए अधिक से अधिक बेरोजगार शिक्षकों को शीघ्र नियुक्त किया जाय।

7--बढ़ते हुये स्वचालित नर्सरी, सोटी मान्टेसरी, शिशु मन्दिरों आदि विद्यालयों पर अंकुश लगाया जाय।

8--बेरोजगारी भत्ता स्वीकार किया जाय।

9--पड़ोसी जनपदों में जहां रिक्तियां हों फैजाबाद के बेरोजगार प्रशिक्षितों को नियुक्त किया जाय।

उपरोक्त मांगों में से क्रमांक (5) तथा (6) पर अंकित मांगों के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा जनपद हेतु स्वीकृत अध्यापकों के पदों में से रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। नियुक्तियों में निर्धारित आरक्षण का पूरा ध्यान रखा है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के अधीन निदेशालय में उच्च प्रशासनिक पद तथा आरक्षण कोटा

112--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अधीन निदेशालय में कितने उच्च प्रशासनिक पद हैं? उन पर कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के प्रवक्ता प्रोन्नत किए गए हैं? क्या आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अधीन निदेशालय में उच्च प्रशासनिक पद कुल 7 हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पद को छोड़कर जो शासन द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति पर उत्कृष्ट श्रेष्ठता के आधार पर भरा जाता है, शेष सभी पदों पर प्रवक्ता

पद से प्रोन्नति देकर नियुक्ति नहीं की जाती है बल्कि ये पद राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों से स्थानान्तरण द्वारा भरे जाते हैं।

चूंकि निदेशालय के अधिकारियों का अभी तक कोई पृथक् संवर्ग नहीं है अतः उन पदों पर आरक्षण कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण प्रभाग के श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के पदों को सेक्शन डी में रखे जाने के विषय में शासनादेश तथा कृषि सेवा नियमावली बनाने पर विचार

113--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण प्रभाग के श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के पदों को सेक्शन डी में रखे जाने के विषय में फरवरी, 1981 में कोई शासनादेश हुआ था ? क्या इस सम्बन्ध में कृषि निदेशक से कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसके अनुसार सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां। अभियंत्रण से सम्बन्धित पदों के लिए।

जी हां।

उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल सर्विस क्लास-2 के नियम-4 में आवश्यक संशोधन का आलेख्य न्याय विभाग को विधीक्षण हेतु भेज दिया गया है।

114--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली बनाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश एवं कृषि निदेशक के प्रस्ताव के अनुसार भूमि संरक्षण प्रभाग (तीनों समादेश क्षेत्रों सहित) की श्रेणी-1 के पदों का वर्गीकरण उक्त नियमावली में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या उक्त नियमावली में प्राविधान करने का विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

जी हां। भूमि संरक्षण प्रभाग के पदों का वर्गीकरण उक्त नियमावली में कर दिया गया है। समादेश क्षेत्र के जिन पदों को क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सृजित किया गया और जो कृषि विभाग के संवर्ग में सम्मिलित नहीं हैं उनका वर्गीकरण उक्त नियमावली में नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमावली में आवश्यक प्राविधान कर दिया गया है।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नरेन्द्रदेव इन्टर कालेज, जलालपुर में वित्तीय अनियमितायें

115--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नरेन्द्रदेव इन्टर कालेज, जलालपुर में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 21-1-81

को कोतवाली फैजाबाद में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला, ताजपुर को ग्राम हाजीपुर भरुई ब्लाक, तहसील अकबपुर में स्थित भवन में लगाने का निर्णय तथा ग्राम में प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण

116--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइमारी पाठशाला, ताजपुर को ग्राम हाजीपुर भरुई ब्लाक, तहसील अकबरपुर कैंट में स्थित भवन में लगाने के सम्बन्ध में पूर्व जिला परिषद् एवं जिला अधिकारी, फैजाबाद एवं जिला शिक्षा स्तरीय समिति ने 10-6-81 को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया था तथा उक्त निर्णय के मुताबिक प्राइमरी पाठशाला, ताजपुर को ग्राम हाजीपुर भरुई में लगाया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्राइमरी पाठशाला, ताजपुर को ग्राम हाजीपुर भरुई ब्लाक व तहसील अकबरपुर कैन्ट में स्थित भवन में लगाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था परन्तु तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री के आदेश दिनांक 12 जनवरी, 1982 पर विद्यालय को ताजपुर मोहिउद्दीनपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

117--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या यह सही है कि करीब 80 हजार रुपये की लागत से एक भवन ग्राम हाजीपुर भरुई में निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 12-1-82 को एक आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को इस आशय से दिया गया कि प्राइमरी पाठशाला, हाजीपुर भरुई को ताजपुर प्राइमरी पाठशाला में स्थानान्तरित किया जाय ? यदि हां, तो क्या ग्राम हाजीपुर भरुई में 80 हजार रुपये की लागत से पूर्ण भवन का क्या होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । ग्राम हाजीपुर भरुई में लगभग 44 हजार रु0 की लागत से एक प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण हुआ है । यह हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है । इसलिये वहां की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा समिति ने निर्णय लिया कि हाजीपुर भरुई में जनहित में निर्बल वर्ग को प्रोत्साहन देने हेतु एक प्राइमरी पाठशाला खोला जाये । अतः जिला बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी, फैजाबाद की सहमति से ग्राम हाजीपुर भरुई में एक नई प्राइमरी पाठशाला स्थापित कर दी गई है । निर्मित विद्यालय भवन जब ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित हो जायेगा तो उसमें उक्त पाठशाला लगायी जायेगी ।

विकास खण्ड काकोरी, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक कच्ची सड़क को पक्का कराने का विचार

118—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड काकोरी, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक जाने वाली कच्ची सड़क पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रमशः दुर्गागंज से नवीपनाह अन्धा चौकी मार्ग तक, नवीपनाह अन्धा चौकी मार्ग से बनिया खेड़ा तथा बनियाखेड़ा से ग्राम जेहटा तक खडंजा बिछाने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को (काकोरी रेलवे स्टेशन से जेहटा तक) पक्का बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । तीन किलोमीटर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा तथा 1.8 किलोमीटर जिला परिषद् द्वारा ।

यह धन की उपलब्धता तथा डी0 आर0 डी0 ए0 के निर्णय पर निर्भर रहेगा ।

प्रदेश के अरबी तथा फारसी शिक्षण संस्थाओं को आवंटित धन, मान्यता तथा अनुदान

119—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए प्रदेश के अरबी तथा फारसी शिक्षण संस्थाओं के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया था तथा अलग-अलग किन-किन शिक्षण संस्थाओं से कितना-कितना धन आवंटित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में 37,00,000-तथा आयोजनेतर पक्ष में 1,20,15,256 संख्यावार सूचना एकत्र की जा रही है ।

120—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किन-किन अरबी तथा फारसी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

किसी भी संस्था को नहीं ।

अध्यापकों की सेवा नियमावली की व्यवस्था किये जाने के उद्देश्य से मान्यता तथा अनुदान की शर्तों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है । अतः फिलहाल नवीन संस्थाओं को मान्यता देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

121—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982–83 के लिए अरबी तथा फारसी की शिक्षा की तरक्की हेतु कुल कितना धन आवंटित किया गया है व किन-किन नये शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना प्रस्तावित है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा विभाग के आय-व्ययक में अरबी, फारसी मदरसों हेतु निम्नवत् प्राविधान है :

	रु0
(क) आयोजन गत पक्ष में	14,29,000
(ख) आयोजनेतर पक्ष में	1,21,00,000
योग ..	1,35,29,000

फिलहाल किसी भी संस्था को नहीं ।

मदरसा इसहकिया अरबिया मिफताहुल उलूम, जिला देवरिया को मान्यता व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग

122—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3–2–82 जो मदरसा इसहाकिया अरबिया मिफताहुलउलूम, ग्राम व पोस्ट देवरिया बुद्धू खां, जिला देवरिया को मान्यता देने व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उन्हें दिया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अर्द्धशासकीय पत्रांक 53 वि0 स0/15 (3)8–2–शिक्षा (3), दिनांक 19 जून, 1982 द्वारा माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत कराते हुए उत्तर प्रेषित किया गया ।

ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां के उत्तरी तरफ से नहर की पटरी व मुख्य सी0 सी0 रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड पर खंड़जा लगाने व पुलियों के निर्माण हेतु कृत कार्यवाही

123—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मन्त्री, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय के पत्र संख्या 1–2041, दिनांक 19–8–81 व वर्तमान क्षेत्रीय मन्त्री, गोरखपुर मण्डल, माननीय श्री गौतम के कार्यालय के पत्र संख्या 3007/82, दिनांक 4–2–82 के द्वारा विकास खण्ड, देसही देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा, देवरिया बुद्धू खां के उत्तरी

तरफ से नहर की पटरी व मुख्य सी0 सी0 रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड पर खंड़जा लगाने व आवश्यक जगहों पर पुलियों का निर्माण कराने हेतु जो आदेश क्रमशः अधिशासी अभियन्ता आर0 इ0 एस0, देवरिया व जिलाधिकारी, देवरिया को दिया गया था उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया व उस रोड को खड़ंजा कराने में अनुमानित व्यय क्या होगा तथा क्या आने वाली बरसात से पूर्व उस पर खड़ंजा लगवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य मन्त्री, ग्राम्य विकास का पत्र दिनांक 19-8-81 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देवरिया को प्राप्त हुआ था। पत्र प्राप्त होने पर संदर्भित मार्ग का सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया गया। इस मार्ग पर पुलिया व सोलिंग के कार्य हेतु लगभग 2.00 लाख रुपये का व्यय होना संभावित है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा मार्गों का चयन जिला कमेटी द्वारा हो जाने एवं कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही, कार्य सम्पादित किया जाता है।

प्रश्नगत मार्ग का न तो चयन ही जिला कमेटी द्वारा किया गया एवं न ही कार्य हेतु धनराशि ही अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को प्राप्त हुई। अतः प्रश्नगत मार्ग का कार्य नहीं किया गया है।

शिविर लिपिक बी0 एच0 ए0, देवरिया के विरुद्ध कार्यवाही

124—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा 8-4-82 का पत्र, जो शिविर लिपिक बी0 एच0 ए0, देवरिया के विरुद्ध है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया में पेयजल योजना के अन्तर्गत हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों हेतु क्रय किया गया हैन्ड पम्प

125—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1981-82 में पेयजल योजना के अन्तर्गत गांवों में लगाने हेतु हैन्ड पाइप कितना खरीदा गया है ? इसके लिए किससे कोटेशन सामान की प्रामाणिकता ली गयी है ? क्या यह सत्य है कि हैन्ड पाइपों के खरीद का भुगतान कर दिया गया है और अब तक गांवों में यह हैन्ड पाइप नहीं लगा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

देवरिया जनपद में वर्ष 1981-82 में पेयजल योजना के अन्तर्गत हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में हैन्ड पम्प लगाने हेतु 17102.7 मीटर पाइप खरीदा गया।

इसकी आपूर्ति डाइरेक्टर जनरल सप्लाई एवं डिसपोजल, नई दिल्ली के रेट कान्ट्रेक्ट संख्या एच0 डब्लू0-1/आर0 सी0-345/जी0 आई0 पाईप 81-82 कोड-345, दिनांक 10-7-81 के साथ पठित पत्र संख्या एच0 डब्लू0 आर0 सी0--345/पाईप/81-82 पी0 वी0 सी0 एम0 डी0 टी0--242, दिनांक 19-12-81 में दिये गये निर्देशों के आधार पर इस हेतु अधिकृत डीलर मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, देवरिया से कराई गई ।

जी हां, 16502-7 मीटर पाइप के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है तथा 600 मीटर पाइप का भुगतान करना शेष है । गांवों में अब तक 839 हैन्ड पम्प लगाये जा चुके हैं । शेष 931 हन्डपम्प लगवाये जा रहे हैं ।

जिला देवरिया के अन्तर्गत सड़कों पर प्रस्तावित ईंट सोलिंग का कार्य

126--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में किन-किन लिंक रोडों का खड़ंजा कराया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रत्येक लिंक रोड के खड़ंजा कराये जाने पर अलग-अलग प्रत्येक पर क्या अनुमानित व्यय होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला देवरिया के अन्तर्गत जिला परिषद्, देवरिया द्वारा वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 30 सड़कों, जिनकी लम्बाई 62.395 कि0 मी0 है, पर ईंट सोलिंग का कार्य प्रस्तावित है जिन पर 30.12 लाख रुपया व्यय होना प्रस्तावित है । सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 481 पर ।)

विकास क्षेत्र, देसही देवरिया, रामपुर कारखाना व देवरिया के अन्तर्गत हरिजन आवास निर्माण एवं हरिजन बस्तियों में हैन्ड पम्प लगाने हेतु आवंटित धन

127--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, देसही देवरिया, रामपुर कारखाना व देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में हरिजन आवास निर्माण एवं पीने के पानी के लिए हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु कुल कितना धन अलग-अलग उपरोक्त दोनों कार्यों हेतु शासन द्वारा आवंटित किया गया है तथा उसका आधार क्या रखा गया है व उपरोक्त कार्यों को कब से शुरू कराया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1982-83 में विकास खंड, देसही देवरिया तथा रामपुर कारखाना को क्रमशः 6,790.00 रु0 तथा 11,410.00 रु0 निर्बल वर्ग आवास के लिए शासन द्वारा आवंटित किया गया है । विकास खंड, देवरिया सदर को निर्बल वर्ग आवास हेतु कोई धन आवंटित नहीं किया गया है । पीने के पानी के लिए हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु वर्ष 1982-83 में शासन द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है ।

हरिजन आवास निर्माण हेतु शासन द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि कुल आहरित धनराशि का 60 प्रतिशत पिछड़े हुए विकास खण्डों में तथा 40 प्रतिशत अन्य विकास खंडों में विभाजित किया जाए ।

उपरोक्त कार्य वर्षा ऋतु के तुरन्त बाद शुरू कर दिया जायेगा ।

श्री कृष्ण इन्टर कालेज, मंगारी नेवादा, वाराणसी में छात्राओं की परीक्षा का केन्द्र बनाने की मांग

128—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इन्टर कालेज, मंगारी नेवादा, वाराणसी से 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा के छात्राओं की परीक्षा का सेंटर हटा दिया गया जबकि यह स्थान रेलवे स्टेशन ब्लाक सेंटर, पक्की सड़क तथा और सुविधाओं से परिपूर्ण है ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने व्यवस्थापक का प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ 8 दिसम्बर, 1981 को सेंटर बनाने हेतु दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सरकारी आदेश सेंटर बनाने हेतु फरवरी, 1982 में हुआ था और उसको लागू जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने नहीं किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया नहीं गया था अस्तु इस केन्द्र से छात्राओं का परीक्षा केन्द्र हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां।

व्यवस्थापक के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्त्ता का कथित पत्र परिषद् द्वारा गठित उप समिति के समक्ष रखा गया था । समिति ने विचारोपरान्त उसे अस्वीकृत कर दिया ।

जी नहीं, इस विद्यालय को केन्द्र बनाने हेतु कोई सरकारी आदेश नहीं हुआ था । प्रश्नकर्ता का एक पत्र, जिस पर शिक्षा मन्त्री जी के आदेश अंकित थे, परिषद् को फरवरी, 1982 में प्राप्त हुआ था, जिसे परिषद् की उप समिति के समक्ष रखा गया था । समिति ने विचारोपरान्त उसे अस्वीकृत कर दिया ।

चेक बुक संख्या 3870 के भुगतान की जांच

129—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री 19 जनवरी, 1982 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि चेक बुक संख्या 3870 से कितने रुपया के चेक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने काटे थे क्या उक्त चेक बुक को पकड़ा गया ? यदि हां, तो उक्त चेक बुक कहां से और कैसे प्राप्त हुई थी ? जांच का परिणाम क्या है ? क्या यह सही है कि 25 फरवरी, 1980 तक इस चेक बुक के अलावा और भी चेक बुकें फर्जी इस्तेमाल की गई थीं उसकी भी जांच की गयी या की जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

चेक बुक संख्या 3870 से 38,58,264.74 रुपया के चेक काटे गये हैं ।

जो नहीं, वरन एक फर्जी चेक उसी चेक बुक नम्बर का ट्रेजरी में प्रस्तुत हुआ था जो शंकास्पद प्रतीत होने पर ट्रेजरी द्वारा रोक लिया गया।

जो नहीं, फर्जी चेक बुक का इस्तेमाल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

जांच पुलिस (सी0 आई0 डी0) द्वारा हो रही है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है।

सरकार द्वारा विदेशी मदिरा का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय

130—श्री विजय सिंह राना—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1982 से सरकार द्वारा विदेशी मदिरा का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के निर्णय के बाद क्या शासन द्वारा फुटकर प्रमुख विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं को जमा माल की आपूर्ति कब से की गई है और इसमें विलम्ब किये जाने का कारण क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

131—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

132—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

133—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, बिल्सी, जनपद बदायूं के अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के सी0 डी0 एफ0 का भुगतान

134—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, बिल्सी, जनपद बदायूं के अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के जुलाई 1974 से मई, 1977 तक सी0 डी0 एफ0 का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में विद्यालय के अध्यापिकाओं द्वारा वित्त मंत्री व शिक्षा निदेशक व प्रावीडेन्ट कमिश्नर, मंडलीय विद्यालय निरीक्षक, बदायूं, जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं को 31-7-1981 को कोई शिकायती पत्र दिया गया ? यदि हां, तो अध्यापिकाओं कर्मचारियों का बकाया सी0 डी0 एफ0 का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया तथा कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राइमरी कृष्णा पाठशाला, बुलन्दशहर के भवन के पूर्णतया जीर्ण व जर्जर होने की शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाही

135—श्री छत्तर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बुलन्दशहर नगर के मोहल्ला देवी पुरा स्थित भवन मन्दिर के पास प्राइमरी कृष्णा पाठशाला के भवन के पूर्णतया जीर्ण व जर्जर होने के कारण वहां पढ़ रहे 125-150 छात्र एवं छात्राओं का जीवन असुरक्षित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विधायक प्रश्नकर्त्ता से प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

"नो आब्जेक्शन" सम्बन्धी कार्य को शिक्षा (3) अनुभाग में हस्तान्तरित करने के आधार

136—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सचिव के संदर्भित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 1981 जिसके द्वारा "नो आब्जेक्शन" सम्बन्धी सभी प्रकरणों को शिक्षा अनुभाग 3 को हस्तान्तरित किया गया का आधार क्या था और शिक्षा सचिव का उक्त आदेश किस तिथि से प्रभावी हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

"नो आब्जेक्शन" सम्बन्धी कार्य को शिक्षा (3) अनुभाग हस्तान्तरित करने का आधार प्रशासकीय था । प्रश्नगत आदेश 28 अगस्त, 1981 को सचिव द्वारा पत्रावली में पारित किये गये परन्तु औपचारिक आदेश 17 सितम्बर, 1981 को जारी किया गया । पत्रावलियां शिक्षा (3) अनुभाग से भेजने का कार्य शिक्षा सचिव के पत्रावली में आदेश पारित करने के बाद शुरू हो गया परन्तु जो आदेश पहले हो गये थे उनके औपचारिक आदेश शिक्षा (6) अनुभाग से जारी किये गये ।

कृषक औद्योगिक पाल इण्टर कालेज, हरिहरपुर (बस्ती) की प्रबन्ध समिति द्वारा एल0 टी0 से प्रवक्ता वेतन क्रम में अध्यापकों की पदोन्नति तथा सेलेक्शन ग्रेड

137—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषक औद्योगिक पाल इण्टर कालेज, हरिहरपुर (बस्ती) की प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1979-80 में ज्येष्ठता सूची का निर्धारण किये बिना छात्र संख्या और मानक का ध्यान रखे बिना तथा आरक्षण के नियम का पालन किये बिना ही एल0 टी0 से प्रवक्ता वेतन क्रम में अध्यापकों की पदोन्नति की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

138--राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषक औद्योगिक पाल इण्टर कालेज, हरिहरपुर (बस्ती) की प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1981 में ज्येष्ठता सूची के निर्धारण के बिना ही एल0 टी0 तथा प्रवक्ता वेतन क्रम में सेलेक्शन ग्रेड हेतु पदोन्नति कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

139-140--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रगति आश्रम हाई-स्कूल, बालागंज लखनऊ को जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की कक्षाओं तक शिक्षण प्रदान करने की मान्यता

141--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज लखनऊ को कक्षा 1 से 5 जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की कक्षाओं तक शिक्षण प्रदान करने की मान्यता किस-किस वर्ष और किसके आदेश से दी गई और सम्बन्धित आदेशों के पूर्ण विवरण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर की एम्बेसेडर कार को सिटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में रहने का औचित्य

142--हुकम सिंह--

क्या ग्राम विकास मन्त्री को जानकारी है कि जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर की एम्बेसडर कार वर्ष 1981 से 1982 में परिषद् के काम में न ली जाकर सिटी मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की ड्यूटी में रही ? यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं किसके आदेश से हुआ और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । स्थानीय निकायों द्वारा सम्पादित कार्यों पर प्रभावी दृष्टि रखने एवं प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने तथा इस दिशा में सम्यक् नियंत्रण/पर्यवेक्षण रखने के हित में जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष को आवंटित एम्बेसडर गाड़ी उनके निर्देशाधीन प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय की ड्यूटी में रही, जो सिटी मजिस्ट्रेट भी है । अतः इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में चना बीज की व्यवस्था तथा कृषकों को वितरण

143--श्री हुकम सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में मुजफ्फरनगर जनपद में बीज के लिए कितना कुन्टल चना दिया गया और उसमें से अक्टूबर; 1981

तक विकास खंडों के अनुसार कितना-कितना चने का बीज किसानों को वितरित किया जा चुका था और कितना चना विकास खंडों पर शेष रहा ?

श्री यशपाल सिंह--

वर्ष 1981-82 में मुजफ्फरनगर के लिये 313.20 कुन्टल चना बीज की व्यवस्था की गई थी ।

अक्टूबर 1981 तक 13.61 कुन्टल बीज कृषकों में वितरित हुआ अक्टूबर के पश्चात् 123.59 कुन्टल बीज वितरित हुआ ।

174.00 कुन्टल बीज विकास खंडों पर अवशेष रहा ।

श्रीमती कमला देवी सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की जांच तथा वेतन का भुगतान

144---श्री सन्त बक्स रावत---

क्या प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 140 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग या शासन ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि चिकित्सा अवकाश के बाद कार्य पर उपस्थित होने पर वेतन तब तक न दिया जाय जब तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न हो जाय ? क्या यह सही है कि जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र सहायक अध्यापिका द्वारा 10/80 को भेजा गया था उसकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो क्या प्रमाण-पत्र संदिग्ध पाया गया ? यदि नहीं, तो दूसरा प्रमाण-पत्र मांगे जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के अध्यापिका का स्थानान्तरण

145---श्री सन्त बक्स रावत---

प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 141 के क्रम में शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अध्यापिका का स्थानान्तरण किया गया है वह जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद में कितने वर्षों से तैनात थीं ? स्थानान्तरण आदेश किस दिनांक को कार्यालय द्वारा जारी किया गया एवं स्थानान्तरण किस विद्यालय को किया गया ? इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा प्रशासनिक कारण था जो कि उस अध्यापिका को मध्य सत्र में स्थानान्तरित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0 गंजबसनी, जिला वाराणसी के फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्टीफिकेट की जांच

146---श्री ऊदल---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीरी प्रधान गांव फगुइयां, ब्लाक चन्दौली को एक दरख्वास्त प्रश्नकर्ता ने तारीख 14 अप्रैल, 1982 को

अपने पत्र के साथ माननीय शिक्षा मन्त्री को दी है जिसमें फगुइयां के निवासी सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0 गजबसनी, ब्लाक सकलडीहा, जिला वाराणसी में कार्य कर रहे हैं उन्होंने फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सर्टीफिकेट हासिल कर बी0 टी0 सी0 किया और नियुक्ति भी करा ली, आज भी कार्य कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो उनसे वसूली करने 420 का मुकदमा कायम न करके उन्हें तनख्वाह बेसिक शिक्षा, अधिकारी, वाराणसी दिये हैं और 5,000 रु0 पुनः बकाया देने का आदेश दिया है ऐसा क्यों ? क्या सरकार पूरे तथ्य सदन की मेज पर रखेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र सचिवालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

इस प्रकार की शिकायत सर्वप्रथम माह अगस्त, 1978 में प्राप्त हुई थी जो विस्तृत छान-बीन के पश्चात् अन्ततोगत्वा निराधार पाई गई ।

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में शासन द्वारा स्वीकृत राजकीय कन्या हाई स्कूल

147--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, तह0 व जिला वाराणसी में एक राजकीय कन्या हाई स्कूल सरकार ने स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो उसको कब से चालू किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, पिंडरा, जिला वाराणसी की चहार दीवारी व लैट्रीन बनाने की योजना

148--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या प्राइमरी पाठशाला पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में चहारदीवारी व लैट्रिन नहीं बनवाया गया है सिर्फ इमारत ही बनाया गयी है ? यदि हां, तो सरकार चहारदीवारी तथा एक लैट्रिन बनवाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राइमरी विद्यालयों में चहारदीवारी व लैट्रीन बनाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कछवा, मिर्जापुर के अवशेष वेतन का भुगतान

149--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

कछवा, मिर्जापुर जिनकी सेवा जुलाई, 1958 में समाप्त कर दी गई थी, के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने 18 नवम्बर, 1977 को अपना निर्णय दे दिया है ? क्या यह सही है कि इसके बाद भी न तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है और न उनके 91,915.50 रुपये अवशेष का भुगतान ही किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं और यह भुगतान कर कब तक करा दिया जायेगा और कब तक इन्हें कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री चन्द्रशेखर दत्त पान्डेय, चित्रकूट इंटर कालेज, कर्वी, जनपद बांदा का वेतन निर्धारण संशोधित करने का प्रकरण

150--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री चन्द्रशेखर दत्त पान्डेय, चित्रकूट इंटर कालेज, कर्वी, जनपद बांदा का वेतन निर्धारण संशोधित करने का प्रकरण जून, 1979 में शिक्षा निदेशक को भेजा गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या प्रमुख कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम नाथ इंटर कालेज, रुझेई, उन्नाव में व्यापक अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें तथा जांच

151--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नाथ इंटर कालेज, रुझेई, उन्नाव में व्यापक अनियमितताओं आदि के विरुद्ध शिकायतें मार्च, 1981 से दिसम्बर, 1981 के बीच उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं, उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं और क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय महाविद्यालय, अल्मोड़ा के शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष श्री के0 सी0 जोशी की पेंशन का भुगतान

152--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, अल्मोड़ा के शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष, श्री के0 सी0 जोशी ने 1978 में अवकाश ग्रहण कर लिया है किन्तु उन्हें अभी पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, यह ठीक है कि श्री जोशी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। श्री जोशी दिनांक 1-7-1949 से 30-6-1972 तक अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत थे और राजकीय महाविद्यालय, अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1-7-72 से राजकीय सेवा में अस्थायी तौर पर इस शर्त पर नियुक्ति दी गयी थी कि शासकीय सेवा में उनका स्थायी विलीनीकरण तभी सम्भव होगा जब वे अन्ततः लोक सेवा आयोग/शासन द्वारा अनुमोदित कर दिये जाते हैं। लोक सेवा आयोग ने उन्हें राजकीय सेवा में स्थायी बिलीनीकरण के लिए अभी अपनी अन्तिम सहमति नहीं दी है जिसके कारण राजकीय सेवा में उनका स्थायीकरण अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। नियमानुसार अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन अनुमन्य नहीं होती। फिर भी श्री जोशी को उनके अशासकीय महाविद्यालय में की गयी सेवाओं के आधार पर लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत निदेशालय के आदेश दिनांक 26-3-80 द्वारा पेंशन को स्वीकृत कर भुगतान के आदेश महाविद्यालय को दे दिये गये।

श्री रमा शंकर पाण्डे, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध जांच

153--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध चल रही जांच पूरी हो गई है? यदि हां, तो उनके प्रमुख बिन्दु क्या हैं? उन पर दिनांक 30-4-82 तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री रमा शंकर पाण्डे, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध अनेकों शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनमें माननीय सदस्य के भी शिकायती पत्र थे। इन्हें मूलरूप में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को जांच एवं आख्या हेतु भेजा गया। शिक्षा निदेशक ने इन शिकायती पत्रों की जांच मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से कराई। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर की आंशिक जांच आख्या शासन को जुलाई, 1982 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई किन्तु जांच आख्या स्पष्ट नहीं है। अतः शिक्षा निदेशक को इस सम्बन्ध में विस्तृत आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को भेजने के लिए कहा गया है।

श्री सांवले सिंह, सहायक अध्यापक, रामनाथ इन्टर कालेज, रुझेई, उन्नाव के पत्र पर कृत कार्यवाही

154--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सांवले सिंह, सहायक अध्यापक, रामनाथ इन्टर कालेज, रुझेई, जनपद उन्नाव को गत दो वर्षों से वेतन भुगतान न किये जाने से सम्बन्धित उनका कोई पत्र 20 फरवरी, 1982 से 20 अप्रैल, 1982 के बीच शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। पत्र मूल रूप में शिक्षा निदेशक को भेजकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में आजमगढ़ में परीक्षकों की अनियमित नियुक्ति

155—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 196 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख शिकायतें क्या थीं तथा शिकायतकर्त्ता को किस तिथि को समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु बुलाया गया था तथा समिति की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रमुख शिकायतें जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 में आजमगढ़ जनपद में परीक्षकों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में थी। शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न है। शिकायतकर्त्ता से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 29-2-80 द्वारा शिकायतों के सम्बन्ध में स्पष्ट नाम या सूची, यदि कोई हो, समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था।

जांच रिपोर्ट है कि शिकायत में उल्लिखित तथ्य आधारहीन हैं।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 483 पर)

गांधी स्मारक उच्च मा० विद्यालय, नन्दगंज, गाजीपुर के प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था की भूमि को अवैध तरीके से रजिस्ट्री किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

156—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्था की भूमि को अवैध तरीके से रजिस्ट्री किये जाने के कारण प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बाबा बरुआ इन्टर कालेज, परइया आश्रम, फैजाबाद केन्द्र में कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान

157—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बाबा बरुआ इन्टर कालेज, परइया आश्रम, फैजाबाद केन्द्र पर कार्य किये कक्ष निरीक्षकों को 1980 और 1981 के पारिश्रमिक का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1980 की परीक्षा के कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मार्च, 1982 में ही किया जा चुका है। वर्ष 1981 की परीक्षा के कक्ष

निरीक्षकों के पारिश्रमिक के देयक को पारित करके संस्था के प्रधानाचार्य को दिनांक 3-3-1982 को वितरण हेतु उपलब्ध करा दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक आचार्य जे0 बी0 कृपलानी उ0 मा0 वि0, जमालपुर, बलिया के अवशेष वेतन का भुगतान

158--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, आचार्य जे0 बी0 कृपलानी उ0 मा0 वि0, जमालपुर, बलिया के 25-7-72 से 4-8-75 तक के अवशेष वेतन का भुगतान शिक्षा निदेशक द्वारा 27-4-81 को जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को भुगतान आदेश दिये जाने के बाद भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अध्यापक के अवशेष के भुगतान के विरुद्ध विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के यहां अपील किए जाने के फलस्वरूप भुगतान नहीं किया जा सका विषय अपील में है अतः अपील पर निर्णय के बाद ही भुगतान किया जा सकेगा ।

मोहम्मद यूनुस, सहायक अध्यापक, गांधी स्मारक इ0 का0, मारूफपुर, आजमगढ़ की पदोन्नति के आदेश एवं अवशेष वेतन का भुगतान

159--श्री पंचानन राय

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्सिफ (द्वितीय) मोहम्मदाबाद गोहना आजमगढ़ के न्यायालय से मुकदमा नं0 208/78 मु0 यूनुस बनाम उ0 प्र0 सरकार में 22-2-80 को आदेश हुआ है कि मोहम्मद यूनुस सहायक अध्यापक, गांधी स्मारक इ0 का0 मारुफपुर, आजमगढ़ की पदोन्नति का आदेश दो माह में निर्गत कर दिया जाय और उनके अवशेष का भुगतान कर दिया जाय क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में 30-4-82 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक इसका अनुपालन हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

एम0 पी0 पी0 इंटर कालेज, बलरामपुर, गोंडा में प्रबन्ध समिति के गठन में अनियमितता से संबंधित शिकायतें व प्रस्ताव

161--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 पी0 पी0 इंटर कालेज, बलरामपुर, गोंडा में प्रशासन योजना की अवहेलना तथा प्रबन्ध समिति के गठन में

अनियमितताओं से संबंधित संस्था के अध्यापकों का 28-12-81 का प्रस्ताव तथा अन्य शिकायतें शासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है, जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 28-12-81 का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ लेकिन अन्य शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्य शिकायत विद्यालय की प्रशासन योजना में किये गये संशोधन के संबंध में है। इस मामले में मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा जांच की गई।

मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने पहले प्रशासन योजना में किये गये संशोधन को निरस्त कर दिया है।

हिन्दू इन्टर कालेज चांदपुर, जनपद बिजनौर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही

162--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू इंटर कालेज चांदपुर, जनपद बिजनौर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही गत चार वर्षों से चल रही है। यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी की जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेश्वर राय, प्रवक्ता इंटर कालेज, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के आश्रितों को प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान

163--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री राजेश्वर राय, प्रवक्ता, इन्टर कालेज, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर की मृत्यु 1958 में हो गयी किन्तु उनके आश्रितों को 30-4-82 तक प्राविधायी निधि के राजकोय अंश का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

प्राविधायी निधि के राजकीय अंशदान से संबंधित 888·10 रु0 की ग्रान्ट इन एड का बिल तथा अन्य प्रपत्र विद्यालय से दिनांक 22-6-82 को प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर के रजिस्टर्ड पत्रांक लेखा/3285/82-83, दिनांक 24-6-82 द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है स्वीकृति प्राप्त होते ही इस धनराशि का भुगतान स्व0 श्री राय के आश्रितों को कर दिया जायेगा।

श्री राम नरेश राय, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, बढ़वागोदाम, जनपद आजमगढ़ को भविष्य निधि तथा पेंशन का भुगतान

164--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि श्री राम नरेश राय, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, बढ़वागोदाम, विकास क्षेत्र खरदहा, जनपद आजमगढ़ चार वर्ष पूर्व अवकाश ग्रहण कर चुके हैं किन्तु उन्हें 30-4-82 तक न तो प्राविधायी निधि का भुगतान हुआ है और न ही पेंशन का भुगतान प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, प्रश्नगत प्रधान अध्यापक को भविष्य निधि का भुगतान दिनांक 28-1-82 को किया जा चुका है तथा पेंशन का भुगतान भी दिनांक 29-1-82 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 कर्मचारी संघ का शासन से हुआ समझौता

165--श्री पंचानन राय--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 कर्मचारी संघ के साथ 25-4-82 को शासन का कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)--

जी नहीं।

गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु आयोग का गठन

166--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु आयोग गठित किये जाने सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का गठन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आयोग का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? आयोग के गठन में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में आयोग के सचिव के पद पर शासन द्वारा नियुक्ति की जा चुकी है। जहां तक अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न है प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के निदेशक मन्डल की बैठक में हुए निर्णय

167—श्री पंचानन राय—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के निदेशक मन्डल की बैठक दिनांक 29-10-81 में प्रधान प्रबन्धक सहायक प्रचार अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक के पदों की समाप्ति का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को हटाये न जाने क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के निदेशक मन्डल की कोई बैठक दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 को आयोजित नहीं की गई थी ?

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की किश्तों का भुगतान

168—श्री पंचानन राय—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि के कितनी किश्तों का भुगतान हो चुका है ? यदि पूरी किश्तों का भुगतान नहीं हुआ है तो उसके क्या प्रमुख कारण हैं और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के मुख्यालय तथा पर्यटक आवास गृह इलाहाबाद के कर्मचारियों को दो किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यालय तथा इलाहाबाद पर्यटक आवास गृह के कर्मचारियों के शेष किश्तों एवं अन्य पर्यटक आवास गृहों के समस्त कर्मचारियों के पूर्ण देय धनराशि के चेक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के कार्यालय से प्राप्त हो गये हैं, जिनके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

भुगतान में विलम्ब का कारण निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के आंकड़ों का मिलान रहा है।

गांधी विद्या निकेतन इंटर कालेज, बूड़पुर रमाला मेरठ के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिकायतों पर जांच

169—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों पर जांच के आदेश शिक्षा निदेशक को कब किये गये और जांच कब तक पूरी की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन द्वारा दिनांक 30-1-82 को जांच के आदेश दिये गये थे। शिक्षा निदेशक को शीघ्र जांच की कार्यवाही पूरी करके रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए पुनः निर्देशित कर दिया गया है।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारूफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ की संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा गबन से सम्बन्धित शिकायती-पत्रों की जांच

170--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम नरेश राय, प्रधान अध्यापक बेसिक प्राइमरी पाठशाला, आजमगढ़ के भविष्य निर्वाह निधि के राजकीय अंश का भुगतान

171--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश राय को भविष्य निर्वाह निधि के राजकीय अंश का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

परिषदीय अध्यापक की भविष्य निर्वाह निधि में राजकीय अंश नहीं होता है ।

172--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

173--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री अमरनाथ सिंह, अध्यापक, राजकीय इंटर कालेज, जखिनी, वाराणसी के पेंशन तथा बकाया वेतन का भुगतान

174--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री अमरनाथ सिंह ने राजकीय इंटर कालेज, जखिनी, वाराणसी से अध्यापक के रूप में 30 जून, 1981 को अवकाश ग्रहण कर लिया है, किन्तु इनका वेतन आज भी बकाया है तथा पेंशन का निर्धारण अभी नहीं हुआ है ? यदि हां,तो यह कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, बकाया वेतन के भुगतान एवं पेन्शन के नियमानुसार निर्धारण हेतु तुरन्त निर्णयात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद फर्रुखाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निगम के विरुद्ध की गयी अध्यापकों की नियुक्ति

175—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग तथा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 के अन्तर्गत जारी कठिनाई निवारण आदेश में स्थायी पूर्णकालिक रिक्तियों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को गुण विषयक अंक के आधार पर करने को दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद फर्रुखाबाद में उक्त नियम विरुद्ध नियुक्त अध्यापकों को वेतन का भुगतान कैसे किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग तथा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 के अन्तर्गत जारी कठिनाई निवारण आदेश में स्थायी पूर्णकालिक रिक्तियों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति नहीं, चयन करने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को गुण विषयक अंक के आधार पर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा स्थायी पूर्णकालिक रिक्तियों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति करने के निर्देश भ्रमवश प्रबन्धकों को दे दिये गये थे और प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त किये गये 22 अध्यापकों को वेतन का भुगतान दिसम्बर, 81 से मार्च, 1982 तक किया गया था। उक्त अनियमितता के प्रकाश में आने पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उसे निराकृत करा दिया गया है। अब स्थायी पूर्णकालिक रिक्तियों पर नियम के विरुद्ध किसी का भुगतान नहीं हो रहा है।

रतनसेन महाविद्यालय बांसी, बस्ती के अध्यापकों द्वारा दिया गया धरना तथा मांगे

176—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतनसेन महाविद्यालय बांसी बस्ती के अध्यापकों ने अपनी सोलह सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी बस्ती के कार्यालय के समक्ष जनवरी, 1982 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में धरना दिया था ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

सोलह सूत्री मांगें संलग्न सूची 'क' में दी गई हैं। जिला अधिकारी, बस्ती द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिये आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 486 पर।

श्री रामकृष्ण पान्डेय, सहायक कृषि निरीक्षक, सिराथू, जनपद इलाहाबाद को बकाया वेतन का भुगतान

177—श्री रामेश्वर प्रसाद—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री रामकृष्ण पांडेय, सहायक कृषि निरीक्षक, सिराथू, जनपद इलाहाबाद को माह दिसम्बर, 1981 तथा फरवरी,

1982 के वेतन का भुगतान खंड विकास अधिकारी, सिराथू द्वारा अब तक नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने वेतन की धनराशि सरकार से सम्बन्धित माहों में ही आहरित करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? एवं श्री पाण्डेय के वेतन का भुगतान करने के आदेश भी तुरन्त देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

(1) जी हां, श्री रामकृष्ण पाण्डेय, सहायक कृषि निरीक्षक सिराथू जनपद इलाहाबाद माह दिसम्बर, 1981 तथा फरवरी, 1982 के वेतन का भुगतान खंड विकास अधिकारी, सिराथू द्वारा नहीं किया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) मुख्य विकास अधिकारी इलाहाबाद को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे मामले की पूर्ण जांच कर वेतन भुगतान के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय लें ।

जनपद देवरिया में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल का निर्माण एवं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित गठित समिति

178--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में 82-83 के वर्ष में कितने नये प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल बनवाना प्रस्तावित हैं ? क्या इसका चयन करते समय जन प्रतिनिधियों (विधायकों) की संस्तुति को प्राथमिकता दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद देवरिया में वर्ष 1982-83 में जिला योजना के अन्तर्गत 20 (बीस) नये प्राइमरी एवं 2 (दो) जूनियर हाई स्कूल बनना प्रस्तावित हैं । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार नये बनने वाले विद्यालयों का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है ।

जिला स्तर पर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समिति गठित की गई है, जिसमें सभी सांसद एवं विधायक सदस्य हैं । इस समिति की संस्तुतियों को मार्ग-दर्शन के रूप में जिले के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के स्थल के चयन हेतु माना जाता है ।

जनपद गाजीपुर के मरदह विकास खंड में अपूर्ण कूपों के निर्माण के सम्बन्ध में जांच

179--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य

विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 अपूर्ण कूपों को पूर्ण करने का उत्तर-दायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही कब से चल रही है तथा वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जांच की कार्यवाही दिनांक 4 अप्रैल, 1981 से प्रारम्भ कर दिनांक 29 अप्रैल, 1982 को पूरी कर ली गई है ।

श्री जगदीश नारायण लाल, आंकिक, विकास खंड, महाराजगंज को वेतन का भुगतान तथा पुर्नस्थापित किये जाने का औचित्य

180--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नारायण लाल को वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2-5 के मूल नियम 54(4) के अधीन पुनर्स्थापित किये जाने के पूर्व कोई नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था ? यदि नहीं, तो इस नियम के अन्तर्गत पुर्नस्थापित किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

कोई नोटिस नहीं दी गई । न्याय विभाग की राय के अनुसार श्री जगदीश नारायण लाल को पुर्नस्थापित करके 3 वर्ष का वेतन भुगतान किया गया था, विभागीय कार्यवाही भी प्रगति पर है ।

स्वर्गीय श्री सुरेश राय, सहायक आंकिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, आजमगढ़ को पेंशन, सामूहिक जीवन बीमा तथा जी0पी0एफ0 का भुगतान

181--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री सुरेश राय, सहायक आंकिक जिला पंचायत राज कार्यालय, आजमगढ़ की मृत्यु कार्यरत रहते हुए 17 जुलाई, 1981 को हो गयी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आज तक उनके सामूहिक जीवन बीमा, जी0 पी0 एफ0 तथा अन्य देयों का उनके आश्रितों को भुगतान नहीं किया गया है और पेंशन का निर्धारण भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री सुरेश राय, सहायक आंकिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, आजमगढ़ की मृत्यु कार्यरत रहते हुए 17 जुलाई, 1981 को हो गई। श्री राय के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

सामूहिक जीवन बीमा तथा जी० पी० एफ० के भुगतान हेतु आवश्यक प्रपत्र क्रमशः भारतीय जीवन बीमा निगम तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को फरवरी, 1982 में प्रेषित किये जा चुके हैं। सामूहिक जीवन बीमा के पत्रादि निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ तथा जी० पी० एफ० का प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्तर पर लम्बित हैं।

पेंशन, आनुतोषिक, जमानत की धनराशि का भुगतान स्वर्गीय श्री सुरेश राय की पत्नी श्रीमती मुनाकी देवी को किया जा चुका है।

हरैया–अबांब सम्पर्क मार्ग की भूमि के सम्बन्ध में पैमाइश तथा परगनाधिकारी, मुहम्मदाबाद के न्यायालय में दायर मुकदमा

182—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र, 1982 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सम्पर्क मार्ग की भूमि के सम्बन्ध में पैमाइश कब करायी गई? परगनाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना के न्यायालय में मुकदमा कब दायर किया गया?

श्री बलराम सिंह यादव—

सम्पर्क मार्ग हरैया–अबांब के लिए विवादित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक, 14–11–80 को कानूनगो, मुबारकपुर, दिनांक 26–11–80 को कानूनगो मुहम्मदाबाद तथा दिनांक 27–8–81 को परगनाधिकारी मुहम्मदाबाद की उपस्थिति में उपरोक्त दोनों कानूनगों एवं लेखपालों द्वारा पैमाइश की गई थी।

परगनाधिकारी मुहम्मदाबाद के न्यायालय में दिनांक 3–10–81 को चन्द्रभान बनाम गांव सभा के अन्तर्गत धारा 29/41 का वाद दाखिल किया गया था। यह वाद अदम पैरवी में दिनांक 4–3–82 को खारिज हो चुका है।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान शिक्षण शाखा की निर्धारित अर्हतायें तथा पदोन्नति

183—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अन्तर्गत आरक्षित कोटे के अध्यापकों को पदोन्नति न करने और शिक्षा विभाग० द्वारा आरक्षण आदेशों को विफल करने विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 3? नवम्बर, 1981, 2 जनवरी, 1982 तथा 11 मई, 1982 उन्हें प्राप्त हुये? यदि हां, तो उक्त पत्रों में क्या–क्या शिकायतें की गई हैं और इन पर क्या–क्या कार्यवाही की गई है? उक्त वेतनमान में कोटा पूर्ति करते हुए कितने विभागीय

एल0 टी0 एवं प्रवक्ता पदधारक अस्थायी अध्यापकों को शासन के आदेशानुसार अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में मार्च, 1982 से जून, 1982 तक तदर्थ रूप से पदोन्नति किया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? जबकि उक्त वेतनमान में आरक्षित कोटा केवल चार प्रतिशत मात्र ही पूरा हो सका है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1981 तथा 11 मई, 1982 प्राप्त हुये। इन पत्रों में मुख्यतया यह शिकायत की गई है कि शिक्षा विभाग अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान की पदोन्नति की समस्त रिक्तियों पर सामान्य वर्ग के अध्यापकों को पदोन्नत करता जा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे की पूर्ति की दिशा में कोई भी आशाजनक प्रगति नहीं हो पाई है। शिकायतों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) शिक्षण शाखा की भर्ती की अर्हतायें राजाज्ञा सं0 ख-1/3/1/69-15, दिनांक 9 सितम्बर, 1969 में निर्धारित की गई है तथा उनका केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल किया जाना उचित नहीं है। मार्च, 1982 से जून, 1982 तक कोटा पूर्ति हेतु पदोन्नति शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

जनपद गोरखपुर स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में इन्टर कक्षा में अंग्रेजी तथा हाई स्कूल में विज्ञान विषय की मान्यता पर विचार

184—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में इन्टर कक्षा में अंग्रेजी विषय की मान्यता एवं हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय की मान्यता हेतु सम्बन्धित विवरण के साथ कोई पत्र स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को गत वर्षों से 27-1-82 तक भेजा गया है ? यदि हां, तो यह मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान वर्ग की मान्यता का आवेदन-पत्र आवश्यक शर्तों की पूर्ति न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। इन्टर-मीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय की मान्यता का आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन है, जिस पर निर्णय लिए जाने में अभी कुछ समय लगेगा।

अमर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बढ़या चौक, गोरखपुर के अध्यापकों का नियमितीकरण तथा आडिट

185—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि अमर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बढ़या, चौक, गोरखपुर में फरवरी, 1977 में जिन अध्यापकों का नियमितीकरण किया गया वे अध्यापक फरवरी, 1977 से पहले उक्त विद्यालय में कार्यरत नहीं थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय का आडिट कितने दिन से नहीं कराया गया है ? क्या उन्हें उक्त विद्यालय का आडिट कराने के लिए श्री हरिकेश बहादुर, सदस्य, लोक

सभा का पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

फरवरी, 1977 में किसी अध्यापक का नियमितीकरण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 1982 में विद्यालय का आडिट किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में पिछड़े वर्ग की छात्रायें तथा प्रदान की गई छात्रवृत्ति

186—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में शिक्षा सत्र 1980-81 व 1981-82 में पिछड़े वर्ग की कितनी छात्रायें थीं उनके क्या-क्या नाम थे ? क्या यह भी बतलायेंगे कि उक्त अवधि में किन-किन छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई ? उनके क्या-क्या नाम हैं ? क्या यह भी सत्य है कि पिछड़े वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उनको छात्रवृत्ति दिलाने के लिए कौन सी कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

187—श्री राजकुमार राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

188—श्री राजकुमार राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री राम जूनियर हाई स्कूल, सराय गनेश, जिला आजमगढ़ को मान्यता तथा अनुदान सूची में न लाने का कारण

189—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम जूनियर हाई स्कूल, सराय गनेश, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, जो वर्ष 1975 से ही जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त कर चुका है, को स्थायी अनुदान सूची में न लाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सभी अध्यापक प्रशिक्षित होने की निर्धारित शर्त पूर्ण न करने के कारण विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका।

190-191--श्री राज कुमार राय--

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144-145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, जौनपुर की मैट्रन श्रीमती गंगा देवी श्रीवास्तव के पेन्शन, जी0 पी0 एफ0, तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

192--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, जौनपुर की मैट्रन, श्रीमती गंगादेवी श्रीवास्तव को दिनांक 31-8-80 से अवकाश ग्रहण के पश्चात् पेन्शन तथा अन्य देय धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और वह कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमती गंगा देवी श्रीवास्तव के पेन्शन, जी0 पी0 एफ0 तथा ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है । जीवन बीमा का प्रपत्र स्वीकृति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया गया है ।

तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर की परीक्षाओं में केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति

193--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर की परीक्षाओं में जनवरी, 1982 के स्नातोत्तर तथा विधि संकाय की परीक्षाओं के लिये प्राचार्य के स्थान पर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने केन्द्राध्यक्ष को नियुक्त किया था, जो वरिष्ठतम प्राध्यापक नहीं थे ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वरिष्ठतम प्राध्यापक के सम्बन्ध में विवाद विद्यमान होने के कारण कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रध्यापक को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

194--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त

195--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

196--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खन्ड बाजार शुकुल की वार्षिक आय, का प्रमुख स्रोत, ग्रामवासियों पर बकाया कर तथा ग्राम सभा के कोष का आडिट

197--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर की वार्षिक आय कितनी है और उसकी आय

स्रोत क्या है ? ग्रामवासियों पर बकाया कर कितना है ? उसकी वसूली के लिए क्या उपाय किये गये ? दिनांक 13 दिसम्बर 1981 को ग्राम सभा के कोष में कितना धन था ? ग्राम सभा के कोष का आडिट कब कराया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खन्ड बाजार शुकुल की वार्षिक आय लगभग 922 रुपए है । ग्राम सभा की आय का प्रमुख स्रोत पंचायत कर ही है । वर्तमान समय में ग्राम वासियों पर लगभग 822 रु0 का कर बकाया है । पंचायत कर की वसूली के प्रयास खंड विकास अधिकारी द्वारा किये जा रहे हैं । दिनांक 13 दिसम्बर, 1981 को ग्राम सभा के कोष की स्थिति निम्न प्रकार थी :--

	रु0
1--प्रधान के पास नकद	19·59
2--डाकखाने में जमा	112·23
3--वित्त निगम में जमा	100·00
योग ..	231·82

198--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम मंगरौरा, जिला सुल्तानपुर में सड़कों का निर्माण

199--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंगरौरा, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुलतानपुर में वर्ष 1979-80, 1980-81 के दौरान कितनी सड़कें बनायी गयी हैं ? वह कितनी लम्बी और चौड़ी हैं ? वह सड़कें किसके द्वारा बनवाई गई हैं ? क्या यह सही है कि यह सड़कें अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्यों ? तथा कब तक बनवा दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम मंगरौरा, विकास खंड जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1979-80 में एक कच्ची सड़क जाफरगंज से गढ़ा मंगरौरा 3·3 कि0 मी0 लम्बी और 20 फीट चौड़ी बनाई गई है । यह सड़क विकास खंड जगदीशपुर द्वारा श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाई गई है । इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्ष 1980-81 में मंगरौरा ग्राम में कोई सड़क उक्त योजनान्तर्गत नहीं बनवाई गई ।

ग्राम रसूलपुर जिला सुल्तानपुर में पुलिया, कूप मरम्मत, मुख्य गली में खड़ंजा लगाने की योजना

200--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1982-83 में सड़कें, पार्क पुलिया,

खेल का मैदान, रास्तों एवं गलियों में खड़ंजे बिछाने, कुओं की मरम्मत एवं सफाई कराने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम रसूलपुर विकास खंड बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1982-83 में एक पुलिया निर्माण, दो कूप मरम्मत तथा गांव की एक मुख्य गली में खड़ंजा लगाने का कार्य प्रस्तावित है । ग्राम में पार्क, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था की कोई योजना नहीं है ।

विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

201—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के विकास खंड जगदीशपुर में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया है और कौन-कौन प्रस्तावित हैं ? अधूरी और प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ? क्या इन सड़कों की शीघ्र निर्माण के लिए मंत्री जी आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक सड़कें बन जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खंड जगदीशपुर जनपद सुल्तानपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में कोई सड़क निर्मित नहीं की गई । वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में निर्मित तथा प्रस्तावित मार्गों की सूची संलग्न है ।

अधूरी और प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुल्तानपुर को विचारार्थ भेजा दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 488 पर ।)

प्रबन्धक, स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर को प्रोन्नति में आरक्षण देने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर का पत्र

202—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने अपने पत्रांक पृ0 सं0 डिग्री 26252-53/81-82, दिनांक 25-3-82 द्वारा प्रबन्धक, स्वावलम्बी इन्टर कालेज विशुनपुरा, गोरखपुर को प्रोन्नति में आरक्षण देने हेतु लिखा है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

स्नातक वेतनक्रम में स्थान रिक्त न होने के कारण प्रोन्नति नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में अनुसूचित जाति के सहायक शिक्षक तथा पदोन्नति

203—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इ0 का0 विशुनपुरा में कुल कितने अनुसूचित जाति के सहायक शिक्षक हैं ? क्या यह सत्य है कि इस विद्यालय में मात्र एक ही सी0 टी0 वेतन क्रम का अध्यापक है ? यदि हां, तो इनको पदोन्नति आरक्षण के आधार पर कब तक दी जायेगी ? यदि ऐसा नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

केवल एक ।

जी हां ।

पद रिक्त होने पर ज्येष्ठता और अर्हता के आधार पर की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में सी0 टी0 एवं जे0 टी0 सी0 वेतन क्रम में कार्यरत अध्यापकों की नियुक्ति

204—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर स्थित स्वावलम्बी इ0 कालेज, विशुनपुरा में इस समय कौन-कौन शिक्षक सी0 टी0 वेतन क्रम में कार्यरत हैं ? इनकी प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि क्या है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र क्या रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सी0 टी0 वेतन क्रम में कार्यरत अध्यापकों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 490 पर ।)

205—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इंटर कालेज विशुनपुरा में वर्ष 1962 से वर्ष 1970 तक किन-किन अध्यापकों की जे0 टी0सी0 या बी0 टी0 सी0 वेतन क्रम में नियुक्ति की गयी ? नियुक्ति के समय इनकी योग्यता (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी) क्या रही है ? क्या यह भी सत्य है कि इनमें से एक की नियुक्ति एस0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र पर की गई जो उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं है और इसी प्रमाण-पत्र पर अनुभव का लाभ देकर बाद में सी0 टी0 में पदोन्नति कर दी गयी ? यदि हां, तो शासन ने इस गंभीर मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूची संलग्न है ।

जी हां । (एस० टी० सी०) प्रमाण-पत्र प्राइमरी कक्षाओं (1 से 5) के शिक्षण के लिए मान्य हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 440 पर ।)

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी चिकित्सालय में विद्युत आपूर्ति न होने तथा चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 10 मिनट)

श्री प्रभू नारायण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, 301 पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले 301 हो जाने दीजिये उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अति लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी चिकित्सालय सारे दिन विद्युत आपूर्ति न होने के कारण भीषण गर्मी से पीड़ित मरीजों की चीखों से गूंजता रहता है तथा शाम होते ही प्रतिदिन अन्धकूप अंधेरे में डूब जाता है । चिकित्सालय में यह सिलसिला लगभग एक सप्ताह से चल रहा है । यही नहीं बल्कि इस विद्युत के अभाव से चिकित्सालय में लाखों रुपये की दवाइयों सहित 18 बोतल खून खराब होने तथा इस दौरान 20 मरीज भी मर चुके हैं जिन्हें सम्भवतः उचित उपचार के द्वारा बचाया जा सकता था । चिकित्सालय की स्थिति पिछले 6 महीनों से दयनीय है । डाक्टरों की मरीजों के प्रति उपेक्षा अति अव्यावहारिकता के कारण 660 पलंग के अस्पताल में लगभग 400 पलंग हमेशा खाली रहते हैं । पैथालोजी विभाग के अक्षम कर्मचारियों के कारण मरीजों के मलमूत्र, थूक आदि की जांच 11 दिन तक होती ही नहीं है । उदाहरण रूप से 13 जुलाई, 1982 को महिला श्रीमती रेखा भानमती की स्थिति व्यवस्था उपचार न होने के कारण संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गयी ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले दिनों स्वयं अस्पताल को देखा था परन्तु सुधार हेतु जो भी आदेश दिये थे अभी तक किसी का पालन नहीं हुआ है । वार्डों के शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, घोर गन्दगी का वातावरण व्याप्त है । जो भी सड़कें चिकित्सालय के अन्दर की हैं प्रायः टूट चुकी हैं । प्राचार्य एवं अधीक्षक महोदय ने चिकित्सालय का निरीक्षण करना बन्द कर दिया है । चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है । इन सब परिस्थितियों के कारण मरीजों को क्षेत्र के चिकित्सालय से विश्वास समाप्त हो गया है । एक्सरे का प्रबन्ध चिकित्सालय में बन्द है, मरीजों का एक्सरे बाहर से करवाना पड़ता है । लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज का चिकित्सालय बूचड़खाना बन गया है । बुन्देलखंड का मरीज मध्य प्रदेश के निकट के चिकित्सालय की ओर भाग रहा है । राष्ट्रीय प्रोग्राम भी शिथिल एवं शून्य हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है। अतः मेरी शासन से मांग है कि शीघ्र ध्यान देकर स्थिति पर नियन्त्रण प्राप्त करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा दिये गये सभी आदेशों को अविलम्ब क्रियान्वित किए जायें। एक्सरे, कार्डियोग्राम एवं पैथालोजी हृदय रोग विभाग, ब्लड बैंक के विभाग जो बन्द हैं, सुचारु रूप से चलाया जाये।

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली, जनपद सीतापुर की कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। सीतापुर जनपद में लक्ष्मी शुगर मिल, महोली जो कि अपने कार्य कलापों से पूरे इलाके के किसानों और मिल मजदूरों को तहस-नहस कर रहा है किसान और मजदूर दोनों खून के आसूं बहा रहे हैं। श्री राम नरेश यादव, भू0 पू0 मुख्य मंत्री के मंत्रित्व काल में महोली मिल सेठ लोगों के हाथ से लेकर सरकार के नियन्त्रण में लायी गयी। सन् 1977-78 में जो स्थिति शुगर मिल की थी, सेठ के समय में, उससे बदतर स्थिति आज महोली मिल की हो गयी है। जैसी जानकारी मिली है, उसके अनुसार महोली मिल के 45,000 किसानों का लगभग 4 लाख कुन्टल गन्ना खेत में खड़ा है। लगभग दो करोड़ रुपया किसान के गन्ने का बकाया है। लगभग 70 लाख रुपया किसान का पिछला बकाया है। इस तरह इलाके का पूरा किसान लुट चुका है। यही नहीं 17-2-82 तक गन्ने की खरीद 9 लाख 70 हजार आठ सौ 64 कुन्टल की गयी है और पेराई 9 लाख 81 हजार एक सौ कुन्टल की की गयी। इस प्रकार दस हजार दो सौ 36 कुन्टल गन्ने की चोरी किसान की की गयी। दूसरी तरफ मजदूरों के साथ बड़ा जुल्म किया गया। 52 कर्मचारी इस वर्ष नौकरी से निकाल दिये गये जो सीजन में काम करते थे वह 20-20 साल के कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मिल के अन्दर ठेकेदारी प्रथा चला कर मजदूरों से काम लिया जा रहा है। जिसमें अधिक मात्रा में मजदूर नेताओं के और अधिकारियों के खेतों पर काम करते हैं। तीसरी तरफ मिल की स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर हो गयी। पिछले वर्ष तक मिल का उत्पादन 17 सौ बोरे प्रतिदिन था और इस वर्ष 12 सौ के लगभग रहा। एक करोड़ साठ लाख रुपया नवीनीकरण पर खर्च किया गया। मिल को तोड़ कर बर्बाद किया गया। महोली मिल की शक्कर पूरे देश में मशहूर थी लेकिन आज महोली मिल की शक्कर खांडसारी यूनिट से भी रद्दी हो गयी। इन तमाम कार्यवाहियों के पीछे मिल के रिसीवर और वहां के स्थानीय नेता का हाथ है। जानकारी मिली है कि मिल में जो पत्थर आता है उसके कमीशन तोड़-फोड़ की बचत और दस हजार दो सौ छत्तीस कुन्टल गन्ने की चोरी के बचत से स्थानीय नेता और उसके पिछलगुओं को संतुष्ट करने का काम रिसीवर महोदय ने किया है। रिसीवर महोदय ने पूरे मिल को बर्बाद करके सीतापुर जनपद के पैंतालिस हजार किसान, डेढ़ हजार मजदूर और महोली कस्बे के लगभग दो सौ दुकानदारों की हत्या करने का प्रयास किया है और इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य धन कमाना और स्थानीय नेता को पूरे तौर से कोठी बनवाकर खेतों में मजदूर भेजकर जीप और पेट्रोल देकर तथा समय-समय पर अन्य सुविधायें देना रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द वर्मा--]

मेरी सरकार से मांग है कि महोली मिल की पूरी जांच सी0 बी0 आई0 से कराकर उचित कार्यवाही करें ।

बिसवां जनपद सीतापुर के तहसील प्रांगण में शहीदों के स्मारकों की उपेक्षा के कारण जनमानस में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

दिनांक 15-8-82 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने को तत्पर था, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिसवां, सीतापुर के तहसील प्रांगण में शहीदों के दोनों स्मारक जमीन पर पड़े हुये थे, उनमें से एक के ऊपर मोरंग व गारा पड़ा था तथा मजदूर व अन्य लोग उन पर पांव रखे कार्य कर रहे थे ।

अत्यन्त अफसोस से हमें पढ़ रहा है कि विगत 15 अगस्त, 1981 को इन स्मारकों की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करवाया था । इन स्मारकों पर संपूर्ण बिसवां निवासी फूल चढ़ाते हैं व यहीं पर तहसील में 26 जनवरी व 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है । अधिकारीगणों के इन स्मारकों की उपेक्षा के कारण वहां जनमानस में घोर असन्तोष व्याप्त है, कहीं गांव व गली में न होकर यह स्मारक मुख्य तहसील प्रांगण में है । शहीद राष्ट्र को देने के लिए ही पैदा होते हैं, और वे राष्ट्र पर अपना जीवन बलिदान कर गये। हम उन्हें कुछ न दे पाये सिवाय उन्हें याद करने के और वह भी न कर उनके स्मारकों पर पैर रख कर खड़े हों, इससे ज्यादा शर्मनाक बात शायद राष्ट्र द्रोह ही हो सकती है ।

मैं आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस अधिकारी के कारण यह गंभीर घटना हुई हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करें ताकि बिसवां में बढ़ रहे असंतोष को रोका जा सके एवं राष्ट्रद्रोही कार्य में संलग्न व्यक्तियों को सबक मिल सके ।

सधन्यवाद ।

राजकीय इंटर कालेज, मथुरा की इमारत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एवं सम्मानित सदन के संज्ञान में मथुरा जनपद की अतिलोक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समस्या को शासन से तुरन्त हल करने की मांग करता हूं ।

राजकीय इंटर कालेज, मथुरा की अति प्राचीन इमारत जीर्ण शीर्ण होने के कारण त्याग दी गयी है और आज हजारों छात्रों की कक्षायें खुले में वृक्षों के नीचे चल रही हैं । छात्रगण जमीन में बैठ कर पढ़ रहे हैं । अधिक धूप होने पर अथवा वर्षा होने पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है । आज कल वर्षा में बच्चे भीगते हुए अपने घरों को चले

जाते हैं, जिसके कारण काफी बच्चे अपने घरों में बीमार पड़े हुए हैं। एक तरफ अध्ययन एवं अध्यापन कार्य बिना इमारत के ठप्प पड़ा हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो स्थायी इमारत बनायी जा रही है वह अतिघटिया किस्म की है और शिक्षा बोर्ड के मानकों के प्रतिकूल है। इसको लेबर शिक्षा विभाग के अधिकारियों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच तनाव बना हुआ है। विद्यालय में फर्नीचर की व टाटपट्टियों की कोई व्यवस्था नहीं है। 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जमीन में बैठने के लिये बाध्य होना पड़ता है। इन कारणों से उक्त विद्यालय में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है और बच्चे आम रास्ते पर आकर शोरगुल एवं नारेबाजी करते रहते हैं।

आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि इस दिशा में शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाये जायं, जिससे हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधेरे में जाने से रोका जा सके।

आगरा में आर0 बी0 एस0 इन्टर कालेज, बिचपुरी तक बस चलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना—

महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि इस ओर शासन न तुरन्त ध्यान नहीं दिया तो जनता में एक व्यपक आंदोलन खड़ा हो जायेगा और स्थिति प्रशासन के लिये दुष्कर हो जायेगी।

आगरा जनपद में विकास खंड बिचपुरी पर ग्रामीणों ने अपनी दो मांगों—आर0 बी0 एस0 इन्टर कालेज, बिचपुरी में समीपवर्ती गांवों के छात्रों को प्रविष्टि दिया जाय तथा पुलिस चौकी बिचपुरी तक चलने वाली बसों को कालेज परिसर तक पहले चलाया जाता था, वहां तक चलाया जाय। जिलाधिकारी और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिये गये वचन व आश्वासन पर 8 दिन बाद लोगों का यह आमरण अनशन समाप्त कराया गया। किन्तु अनशन के तुरन्त बाद रोडवेज अधिकारी अपने आश्वासन से मुकर गये और बसें पुनः पुलिस चौकी तक ही चल रही हैं। जबकि हर बस पर सुरक्षा के लिये 5 सिपाही और एक सब इंसपेक्टर चल रहा है।

वास्तविकता यह है कि आगरा बिचपुरी मार्ग के रूट नं0 3 पर रोडवेज कर्मचारियों की मनमानी चलती है। यहां छात्रों के साथ झगड़े की कभी सच्ची और कभी झूठ रिपोर्ट इस आधार पर लिखायी जाती है, छात्रों के नाम पर किराये की वसूली को सरकारी वसूली में न दिखाकर कर्मचारियों की जेबों में चली जाय और वह अधिकारियों की निरीक्षण आख्या से बच सके।

अतः यहां कर्मचारियों ने बसों को अपने धंधे का आधार बना लिया है। इसके विरोध में जनता में भारी रोष है और यदि मामले का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो जनता विवश होकर आन्दोलन पर उतर आयेगी तब स्थिति अनियंत्रित हो जायेगी।

अतः मैं मांग करता हूं कि शासन इस दिशा में तुरन्त प्रभावी कदम उठाकर उक्त मांगों के अनुरूप व्यवस्था करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री गौरी शंकर भैय्या का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 301 में तुरन्त दी थी । मेरे पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा है । लोग पत्ती खा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है । आप बैठें ।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर मंत्री द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने श्रीमन्, 26 फरवरी, 1982 को जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के सम्बन्ध में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 में एक सूचना सदन में दी थी । लेकिन आज तक मुझे किसी भी प्रकार का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है । जबकि इस सम्बन्ध में मैंने 2 पत्र आपको लिखे हैं । हम इस सदन के बहुमूल्य समय में अविलंबनीय लोक महत्व के ऊपर ध्यान आकृष्ट करते हैं तो निश्चय ही हमें आश्वा मिलनी चाहिये और स्पष्टीकरण प्राप्त होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसे लिखाकर दे दें । इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राना--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, शासन को 301 के अन्तर्गत उत्तर देना चाहिये लेकिन उत्तर नहीं मिलता है । नियम 301 बिल्कुल निष्क्रिय हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय मोहन सिंह को बुलाया है ।

पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों द्वारा काले बिल्ले लगाकर बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था सम्बन्धी करण पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये जो प्रक्रिया सम्बन्धीकरण हैं उसके अध्याय--9/153

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें है कि "दर्शक दीर्घा में किसी तरह का उत्पात या प्रदर्शन नहीं किया जायगा।" यह सामान्य नियम की कोटि में है इसलिये यह सभी पर लागू होता है। इसी तरह से 157 के (23) में है कि "समाचार-पत्रों और समाचार संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अपने साथ समाचार-पत्र दीर्घाओं में छड़ी-छाता तथा अन्य ऐसी वस्तुओं को ले जाने की अनुमति न होगी जिन्हें सभा मंडप, सभा कक्षों अथवा दीर्घाओं में ले जाना निषिद्ध है।" इसके बाद 158 के सामान्य नियम में है कि कोई अस्त्र-शस्त्र, छड़ी, छतरी, पुस्तक, समाचार-पत्र आदि वस्तुयें किसी भी दीर्घा में नहीं ले जाया जा सकेंगी। यह हमेशा अपेक्षा की जाती है। लेकिन यदि ऐसी प्रदर्शन किया जाय जिसकी ओर हमारी दृष्टि जाना अवश्यंभावी हो जाय तो उसके अनुसार आपका ध्यान दिलाना जरूरी हो जाता है। समाचार पत्र दीर्घा देखें। आप मार्शल के बाद देखेंगे क्योंकि आपकी दृष्टि मार्शल की होती है। हमारे पत्रकार बन्धु जो पत्रकार दीर्घा में हैं प्रदर्शन की शक्ल में काले बिल्ले लगाकर बैठे हैं। उनका विरोध बिहार में पारित प्रेस बिल के विरोध में है। तो ऐसी स्थिति में श्रीमन्, जो प्रेस गैलरी में पत्रकार बैठे हैं, यह काला बिल्ला लगाकर बैठे हैं, क्या उन्हें आप ऐसी हालत में बैठने की इजाजत देंगे, वैसे मेरी राय में आपको इजाजत देनी चाहिये क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार ने इनके साथ बर्बरता का काम किया है, इसलिए इनका इस रूप में यहां बैठना और किसी भी तरह का प्रदर्शन करना उचित ही होगा और हम भी उनके साथ हैं। इसलिए मैं नियमों का हवाला देते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

हमने तो उधर देखा नहीं, अगर आपने देखा है तो आपने नियमों का पालन जरूर किया है।

प्रदेश में बने अधिनियमों के विधिमान्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमने औचित्य के प्रश्न से सम्बन्धित एक सूचना दी है। आज से पिछले दो वर्षों से उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिनियय बन रहे हैं और उन अधिनियमों के अनुसार संसदीय माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता शासित होती है। इस सम्बन्ध में मैं यह तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस अवधि में जितने भी अधिनियम बने हैं। वह सारे अवैधानिक हैं और विधि मान्य नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को इन सब पर पुनः विचार करना चाहिए। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई भी विधेयक अधिनियम के रूप में कैसे करता है। हमारा उत्तर प्रदेश ट्रविन सदनों पर आधारित है, यहां जो भी विधेयक पारित योगा वह दोनों सदनों अर्थात् विधान सभा और विधान परिषद् में पास होने के बाद नियमानुसार राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

हम विधान परिषद् के किसी भी कार्य-कलाप को यहां उजागर नहीं करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हां मान्यवर, आप पहले हमारी पूरी बात सुन लें जो मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि नियमों में व्यवस्था है कि पहले दोनों सदनों में पास होने पर तब महामहिम राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे और तब अधिनियम बन जायेगा। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस ओर यह तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं कि--

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं क्या इसके लिए अदालत का रास्ता नहीं खुला है, कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस संबंध में कृपया मेरी पूरी बात सुन लें। मेरा कहना यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (3) में यह व्यवस्था है कि विधान परिषद् का गठन कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप फिर उसी पृष्ठभूमि में आ रहे हैं यह प्रश्न न्यायालय में उठाया जा सकता है। आपका सुझाव सुनने के लायक है लेकिन यहां हमारे सदन में नहीं, अदालत में।

भूतपूर्व गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा स्वर्गीय त्रिवेनी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

कल मेरे सामने एक प्रश्न आया था और मैंने वचन दिया था कि विशेषाधिकार के जितने मामले मेरे सामने हैं जल्द से जल्द उसका निर्णय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके तहत दो निर्णय कल सुनाये थे। आज हम फिर दो निर्णय आपको सुना रहे हैं। वैसे मैंने निर्णय तो सभी तैयार कर दिये हैं लेकिन अगर एक ही दिन बोलूं तो आपका हक मारा जायेगा।

माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह, श्री कुबेर भन्डारी, श्री सरदार सिंह तथा श्री दशरथ गंजन सिंह ने दिनांक 25-2-82 को तत्कालीन गृह मंत्री माननीय श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा माननीय सदस्य श्री त्रिवेनी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्यों की सूचना का आधार दैनिक समाचार-पत्र 'आज', 'पायनियर', 'अमृत प्रभात', 'दैनिक जागरण' तथा अन्य प्रमुख समाचार-पत्र थे, जिनमें माननीय श्रीमती बख्शी तथा श्री त्रिवेनी द्वारा विधान सभा सदस्य माननीया श्रीमती महारानी दोहरे के प्रति किये गये कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किया गया था। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में माननीया श्रीमती बख्शी तथा माननीय श्री त्रिवेनी से जानकारी मांगी गयी थी, जो प्राप्त हो गई थी। माननीय सदस्यों की सूचना तथा प्राप्त जानकारी का अध्ययन करने के पश्चात् मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। माननीय सदस्यों की सूचना भी समाचार-पत्र पर आधारित है और इस पीठ से यह कई बार निर्णय हो चुका है कि समाचार-पत्रों

में छपे समाचार के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री त्रिवेनी अब हमारे बीच में भी नहीं रह गये हैं। अतएव, मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

गोन्डा के पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी सूचना विधान सभा के पिछले सत्र में श्री अकबाल हुसेन, सदस्य, विधान सभा ने गोंडा के पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्य का कहना है कि तुलसीपुर पुलिस ने उन्हें अकारण दिनांक 10-1-82 को बन्दी बनाया, उनकी पिटाई की और उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया तथा बाद में उन्हें भारतीय दन्ड विधान की धाराओं तथा क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत मुल्जिम बनाकर दिनांक 11-1-82 को जेल भेज दिया जिसका रिमान्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, बलरामपुर ने दिनांक 23-1-82 तक किया। माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार विधान सभा, जिसका सत्र उस समय चल रहा था, में, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने दिनांक 14-1-82 को न्यायालय जे० एम० बलरामपुर को प्रार्थना-पत्र भेजा जिस पर न्यायालय ने यह आदेश किया कि—

> "....प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, गोन्डा को इस आशय से भेजा जाय कि नियमानुसार उचित कार्यवाही करें। यदि ऐसा सम्भव हो तो प्रार्थी को विधान सभा में जाने की उचित व्यवस्था करा दें...."

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का आगे कहना है कि पुलिस अधीक्षक, गोन्डा द्वारा विशेष अभियोजन अधिकारी, गोंडा से आख्या मांगे जाने पर उक्त अधिकारी ने 21 जनवरी, 1982 को अपनी आख्या इस संस्तुति के साथ भेजी कि प्रार्थी को लखनऊ भेजा सकता है और यह आख्या पुलिस अधीक्षक को भेजी गई परन्तु पुलिस अधीक्षक ने उस आख्या तथा न्यायालय की बात नहीं मानी और माननीय सदस्य को विधान सभा में भाग लेने के लिए जानबूझकर नहीं भेजा क्योंकि दिनांक 14-1-82 को उन्होंने (पुलिस अधीक्षक ने) श्री अकबाल हुसेन को टेलीफोन पर जेल में बताया था कि—

"जब तक मेरा चलेगा मैं विधान सभा में आप को जाने नहीं दूंगा।" अपनी शिकायत के समर्थन में माननीय सदस्य ने अधीक्षक, जिला जेल, गोंडा द्वारा उन्हें दिनांक 4-2-82 को लिखे गये एक पत्र और उस पर उसी दिन लिखी गई अपनी टिप्पणी की फोटोस्टेट प्रति तथा सदन के वर्ष 1982 के प्रथम सत्र के लिए इस सचिवालय द्वारा उन्हें भेजे गये आह्वान पत्र की प्रति संलग्न की है। इस संबंध में तत्कालीन माननीय गृह मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई थी जो 7 अप्रैल, 1982 को उनके दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस पत्र में जहां एक ओर माननीय सदस्य द्वारा सन्दर्भित

[श्री उपाध्यक्ष--]

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, बलरामपुर के आदेश को स्वीकार किया गया है वहीं दूसरी ओर यह बताया गया है कि ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने यह भी मत व्यक्त किया था कि "प्रार्थी को इस कार्य हेतु (अर्थात् विधान सभा में उपस्थिति हेतु) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, गोंडा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा न्यायिक आदेश दे कर जिला कारागार, लखनऊ 31 मार्च, 1982 तक की अवधि हेतु स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि वहां से प्रार्थी को रोजाना विधान सभा में लखनऊ पुलिस द्वारा ले जाया जाय तथा शाम को वहीं से कारागार में पहुंचा दिया जाय।" माननीय मन्त्री के पत्र में आगे बताया गया है कि उक्त राय के आधार पर पुलिस अधीक्षक, गोन्डा ने ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को न्यायालय में सुस्पष्ट आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र देने का निदेश दिया और तदनुसार ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, गोन्डा के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर माननीय सदस्य के 14-1-82 के प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के लिये माननीय न्यायालय ने 3 फरवरी, 1982 की तिथि निर्धारित की तथा दिनांक 3-2-82 को माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि श्री अकबाल हुसेन को चार-चार हजार रुपये की दो जमानतें तथा उसी राशि का एक बंधनामा देने पर छोड़ दिया जाय जिसके फलस्वरूप माननीय सदस्य को 12 फरवरी, 1982 को जिला कारागार, गोन्डा से मुक्त किया गया। इन तथ्यों के आधार पर तत्कालीन गृह मन्त्री ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक, गोन्डा ने न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया और माननीय सदस्य को अनधिकृत रूप से विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित नहीं किया। इसके अतिरिक्त उक्त पत्र में पुलिस अधीक्षक, श्री यशपाल सिंह के इस कथन से भी अवगत कराया है कि वह दिनांक 14 जनवरी, 1982 को पुलिस सप्ताह के समारोह के संबंध में जनपद लखनऊ में थे और उस दिन उनकी माननीय विधायक से टेलीफोन पर कोई वार्ता नहीं हुई।

मैंने माननीय सदस्य की शिकायत तथा शासन से प्राप्त वस्तु स्थिति की जानकारी तथा समान मामलों में पूर्व के दृष्टान्तों एवं निर्णयों पर सम्यक रूप से विचार किया है। कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 217 के अनुसार ब्रिटेन की स्थिति के आधार पर भारत में गिरफ्तारी से छूट फौजदारी अपराधों में नहीं होती। इस विधान सभा में भी पूर्व में अध्यक्ष पीठ से इस आशय के निर्णय दिये जा चुके हैं कि फौजदारी के मामलों में उनके केवल यह अधिकार है कि गिरफ्तारी की सूचना मिलनी चाहिये, तथा यदि ऐसे किसी मामले में गिरफ्तार किसी सदस्य के मुकदमें के बीच रिमाण्ड नहीं हुआ या अन्य बेउन्वानियां हुई तो उनके आधार पर किसी तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठ सकता है। अतः उपर्युक्त कारणों से मैं विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 28 अगस्त, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इनका विभाग बदल गया है क्या ?

श्री अम्मार रिजवी—

नहीं, यह सामूहिक जिम्मेदारी की वजह से है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 10 सूचनायें प्राप्त हुई थीं और सभी अस्वीकृत की गयीं किन्तु उनमें से केवल सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव, माता प्रसाद पान्डेय, ऊदल, राजेन्द्र कुमार गुप्त, रेवती रमण सिंह, हुकम सिंह, कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भन्डारी, मुख्तार अनीस और हरी किशन श्रीवास्तव की सूचना जिसका विषय जनपद बहराइच के अन्तर्गत थाना हुरदी के इंचार्ज श्री गोपाल सिंह द्वारा नव-निर्वाचित प्रधान की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, शासन को केवल वक्तव्य देने का निर्देश देता हूं ।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मेरा इससे भी ज्यादा जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या एक आदमी की मौत के मुकाबले में यह जरूरी है ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्य चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे ।) पहले वक्तव्य हो जाने दें । जब उससे आपका समाधान न हो तब फिर दूसरा तरीका अपनाइयेगा ।

श्री मसरूर जाफरी—

पहले आप मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को सुन लें । इस तरह से जल्दी में निर्णय लेना ठीक नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप वक्तव्य से सन्तुष्ट न हों तो आगे कार्यवाही की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

(व्यवधान)

आप विराजें । मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो आप बोल रहे हैं, कुछ भी लिखा न जायगा ।

(व्यवधान)

विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने सदस्यों को शान्त रखे ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष --

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री मसरूर जाफरी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री मसरूर जाफरी--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शान्त हो जाइये ।

(व्यवधान)

जो बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, किसी का कुछ भी लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने के कारण व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है । आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, धान घोटाले के बारे में सी0 बी0 आई0 की रिपोर्ट आ गई है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस पर सदन में वक्तव्य दे और उस पर कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रदेश में सूखा या बाढ़ या पैसा या गल्ला, यह सब इन्सान के लिये है और जहां इन्सान के मरने का प्रश्न आए तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा किसी की अहमियत नहीं है, इसलिये मैंने उस विषय पर वक्तव्य का निर्देश दिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने के कारण व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, प्रदेश में सूखा व्याप्त है । आप सुन नहीं रहे हैं ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह 50 हजार का घपला है । जब तक आप सुन नहीं लेंगे । आप मौन साधे कब तक बैठे रहेंगे ? आप मौन साधे रहेंगे और हम लोग खड़े रहेंगे ।

एक सदस्य--

इस मसले पर विचार होना चाहिये । इसमें मन्त्रि मन्डल के सदस्य भी लिप्त हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में कोई वक्तव्य दिलाना मेरे विवेक पर है । आदमी की जान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मैंने उसको प्राथमिकता दी है । कार्य-स्थगन की सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है । वक्तव्य के लिए मैंने सरकार को कह दिया है अगर आप सन्तुष्ट नहीं होंगे तो आगे कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

(श्री रुद्र प्रताप सिंह सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मुख्तार अनीस अपने-अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982†

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

---

†दिनांक 12 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जिस समय राष्ट्र विरोधी तत्व उभर रहे थे उस समय यह विधेयक लाया गया था और यह अधिनियम 1971 में लागू भी कर दिया गया है ।

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

2—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 निरसित हो जायगा । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1971 का निरसन ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री हुकम सिंह—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री खैरुल बशर—

हम लोग सदन त्याग करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आप मंत्रियों की रक्षा कर रहे हैं ।

(श्री खैरुद्दीन बशर सदन त्याग कर चले गए।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हुकम सिंह जी, आपको क्या आपत्ति है ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, आपने आइटम नं0 10 पुकारा और श्री गुलाब सेहरा जी ने प्रस्ताव किया और बैठ गए। इन्होंने कोई विशेष कारण इस विधेयक के लाने का नहीं बताया है। इन्होंने कोई कारण देना मुनासिब नहीं समझा।

इनके पास कोई कारण नहीं है। यदि ये कोई कारण बताते तो हम उस पर अपना विचार रखते। इनके पास कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई थीं जिस कारण यह विधेयक इनको लाना पड़ा, यह जानने का मौका इन्होंने हमको नहीं दिया। जैसे ही इन्होंने उस पर विचार करने का प्रस्ताव रखा, वैसे ही उसके पारण का प्रस्ताव भी रखने लगे। बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी कारण के ये इस विधेयक को पास करना चाहते हैं और हमें अपने अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम इस पर बोलना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलना चाहते थे, यह तो ठीक है लेकिन जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया, उस समय आपको पता नहीं क्या हुआ ?

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

जब पारण का प्रस्ताव आए, तब बोलिए। जो मिस कर गए, वह कर गए।

(अनुमति मिलने पर)

*श्री हुकम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जो निरसन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और उसके पहले राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक पास किया गया था। यह किन परिस्थितियों में किया गया, क्या खास कारण थे, कौन सी परिस्थितियां सरकार के सामने आ गयीं

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

कि दो महीने में ही यह आ गया। क्या इस बीच सारे राष्ट्र विरोधी तत्व उधर बैठ गए और उनके निरसन के लिए इसको आपको लाना पड़ा उनको आपको सुरक्षा देनी है इसलिए आपको इसकी जरूरत पड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह---]

भी परिस्थितियां थीं उनके बारे में आपको यहां पर प्रकाश डालना चाहिए था। आखिर आपने बिना कुछ सोचे समझे इस माननीय सदन का बहुमूल्य समय क्यों नष्ट किया कि एक विधेयक आप पहले ले आये और फिर 2/4 महीने के अन्दर ही उसका निरसन विधेयक ले आए। यह कौन सी नादिरशाही का राज है या तानाशाही हो रही है कि जब चाहे बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के विधेयक आप सदन में ले आए। मैं इसका विरोध करता हूं कि जिस प्रकार यह सरकार बिना किसी सोचे-समझे विधेयक पास करती, हजारों और लाखों रुपया प्रदेश का खर्च होता है और हजारों लाखों रुपया निरसन विधेयक लाकर यहां पर खर्च होता है। प्रदेश की अन्य जरूरी चीजों के लिए हमें सदन का बहुमूल्य समय नहीं मिल पाता है और ऐसे अनर्गल विधेयकों पर यह समय नष्ट हो जाता है जब कि यह सरकार इस हालत में नहीं है कि यह कोई कारण दिखा सके कि ये इस विधेयक को क्यों ला रही है, इनके पास कोई परिस्थिति नहीं थी जिन्हें ये दिखा सकते। मान्यवर, यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो निरसन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या परिस्थितियां हैं यह बिलकुल साफ नहीं है। आज ये इस बात का नाम लेकर राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक को निरसित करने जा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट, 1980 इसके स्थान पर बन गया। वह काला अधिनियम है जिसके माध्यम से सम्पूर्ण देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, वह ऐक्ट जो है वह मीसा से भी खतरनाक है। उसमें भी कारण बताने की व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर कोई जिलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के व्यक्ति को भी आरोपित करना चाहे तो वह भी हो सकता है जूरिस-प्रूडेन्स के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसके विरुद्ध भी यह लागू होगा और वह भी किसी न्यायिक दन्डाधिकारी के सामने जायेगा। यह जनतंत्र के खिलाफ है। इसमें सरकार की मंशा साफ नहीं है।

इस प्रदेश से यह लोकतंत्र और प्रजातंत्र विरोधी काले कानून को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन अगर उस केन्द्रीय कानून की आड़ में जो गलाघोंटू कानून है उसको लागू करने के लिए यह कर रहे हैं तो अपनी मंशा साफ कर दें। इनका उद्देश्य इसके पीछे क्या है वह जरा बता दें। इन शब्दों के साथ में अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात को साफ करे।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो निरसन विधेयक इस समय प्रस्तुत किया गया है इसमें सिवाय सत्तापक्ष के दिमाग दिवालिएपन के अलावा और कुछ नहीं है। इस सदन का समय कभी यह अधिनियम लाकर और उस पर बहस कराकर और कभी उसे वापस लेकर बरबाद करते हैं कभी कहते हैं काउन्सिल से रिजेक्ट हो गया इसलिए वापस ले रहे हैं और कभी कहते हैं चूंकि नेशनल लेविल पर इस तरह का विधेयक बन गया है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। कल को यह भी कह सकते हैं कि यह जो ला-एन्ड आर्डर का प्रश्न है यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं रही। तो मेरी समझ में बात नहीं आती है कि जब केन्द्र में यह जेरेग्रौर था तो फिर क्यों जरूरी समझा गया और यहां पर उस समय पुट किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। यह बतायें कि अब क्या वजूहात हैं जिसमें यह निरसन कर रहे हैं। इनको भविष्य में कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर केन्द्र भी इस तरह का विधेयक ला रही है तो उस चीज को यहां पर कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पूरे वजूहात हमारे सामने आने चाहिए जिसे जानने का हमारा पूरा अधिकार है कि क्यों यह निरसन विधेयक ला रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जब विधेयक मैंने विचार के लिए रखा तो उसके कारण मैंने बताए थे। मान्यवर, यह राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक पहले 1970 म यहां पर लाया गया था और वह 1970 से लागू कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर कहीं पर राष्ट्रीय वस्तुओं का अपमान होता हो तो उसके निवारण के लिए विधेयक लाया गया था। इसे रिपील करने की बात इसलिए आई है कि 1980 में केन्द्र सरकार ने एक नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट 1980 में बना दिया है इसलिए अब इस ऐक्ट का यहां पर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है इसीलिए इसको यहां प्रस्तुत किया गया है।

एक बात मैं यहां पर और कहना चाहता हूं कि यह जो डर या हऊवा खड़ा किया गया है वह बेबुनियाद है। श्रीमन्, यह 1971 में लागू हुआ था तब से आज तक इसमें कोई व्यक्ति निरुद्ध नहीं हुआ। इससे हमारी मंशा यह नहीं है हम किसी को परेशान करना चाहते हैं....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी निरसन के कारण दे दीजिए।

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

रियासत साहब जब आप खड़े हों और मंत्री जी बैठ जायं तो आप प्रश्न कर सकते हैं अन्यथा नहीं। बाद में जब वह बैठ जायेंगे उस समय एक आध सवाल कर लीजिएगा।

श्री गुलाब सेहरा—

तो इस पर एक ऐसा वातावरण पैदा करना, जिसका कहीं कोई सवाल ही नहीं है, कतई उचित नहीं है। यह राष्ट्र विरोधी अधिनियम सन् 1971 से लागू होने के बाद आज तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि इसके अन्तर्गत किसी को निरुद्ध किया जाता। इसमें कोई निरुद्ध आदेश आज तक नहीं किया गया और न कोई किसी प्रकार की कार्यवाही हुई। प्रश्न यह है कि जब प्रदेश स्तर पर कोई एक्ट बन जाय और उसी के अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकार भी कोई कानून बना ले तो यहां का ऐक्ट अपने आप आटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। उसी के अन्तर्गत इसे रिपीट किया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने कहा कि 1971 के बाद इसको कहीं इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या मैं यह मान लूं कि जो आपके अधिकारीगण हैं, उनकी जो इस तरह की हरकत हैं, उसमें उसको कग्नीजेंश लेने का अधिकार है, ऐक्शन लेने का अधिकार है। मिसाल के तौर पर

[श्री रियासत हुसैन---]

आज ही भार्गव जी ने अपने यहां की एक घटना का नियम 301 के अन्तर्गत उल्लेख किया है । वह बिलकुल इसी ऐक्ट के अन्तर्गत आता है, जो शहीद स्मारक के ऊपर रखकर चिनाई का कार्य हो रहा है । तो क्या मैं यह मान लूं कि आप इसे इसीलिए वापस ले रहे हैं कि इसको इम्पलीमेंट करने वाली आप की जो मशीनरी है, वह इस तरह के विधेयकों पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, नहीं करना चाहती है, उसी को सेफ करने के लिए, उसी के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए आप इसे यहां पर इस तरह से ले आये हैं ? आप अपनी इफीशिएंशी को छिपाने के लिए इसे लाये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा---

हम तो वापस ले रहे हैं ।

श्री हुकम सिंह---

जो कानून केन्द्र से पास हो जाता है, तो प्रदेश का कानून आटोमेटिकली रिपीट हो जाता है, तो फिर इसको लाने का क्या औचित्य है ? इससे आपने एक बड़ा भारी कन्फ्यूजन क्रियेट कर दिया है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आटोमेटिकली रिपीट हो जाता है तो आज यह निरसन विधयक लाने का क्या औचित्य है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर कि नियमों में यही व्यवस्था है कि जो सेन्ट्रल ऐक्ट होता है उसको प्रदेश सरकार अपने यहां जैसे का तैसा लागू नहीं करती है, उसमें परिवर्तन करने का भी उसको अधिकार है । तो आप इसको जैसे का तैसा लागू करने जा रहे हैं या स्टेट द्वारा उसमें कुछ अमेन्डमेंट पर भी आप विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा---

वह सेन्ट्रल ऐक्ट पास हो चुका है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982†

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

---

†दिनांक 12 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्रीमन्, 1971 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज की स्थापना हुई और 1972-73 में इस सदन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेजों की स्थापना नहीं होगी और उसी में सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, जिसमें छात्रों ने अपना पैसा जमा कराया था, उसका पुनः परीक्षण कराया गया और उन्हें विभिन्न मेडिकल कालेजों में भर्ती करा दिया गया। उसमें बहुतों का पैसा वापस हो गया और कुछ लोगों की दरख्वास्तें नहीं आई थीं, अब उनका पैसा वापस होना है। तो जो उनका पैसा शासन में जमा है, उनका पैसा वापस कर दिया जाय इसलिए इसका 31 मार्च तक का समय बढ़ाने का यह संशोधन यहां लाया गया है। इस संशोधन विधेयक में यह मांग की गई है कि समय सीमा को 31 मार्च, 1982 तक कर दिया जाय, इसलिए इसको प्रवर समिति के समक्ष रखने की कोई औचित्य नहीं है। यह एक पुराना विधेयक है। इसके द्वारा बच्चों का पैसा वापस करना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो संशोधन है इसको माननीय सदस्य मान लें और अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लें।

(1 बजकर 10 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, पहले जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो अनुभव किया कि इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं लेकिन जब विस्तार में मैंने इसे देखा तो पाया कि शासन ने इसमें बड़ी चालाकी से एक संशोधन कर दिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि 1976 में वाराणसी में जो मेडिकल कालेज खुला वह गलत ढंग से खोला गया था। आप अपनी प्रतिभा का परिचय देकर मेडिकल कालेज में दाखिला लें, उसमें हम निर्बल वर्ग के लोगों का आरक्षण करें, यह तो ठीक है लेकिन पैसे के बल पर आरक्षण लेना, मैं इसका विरोध करता हूं और इस का नतीजा यह हुआ कि जिनके पास पैसा था उन्होंने दे दिया और उनका एडमिशन हो गया, सरकार ने उसको बन्द कर दिया, यह अच्छा काम किया, सरकार ने उन बच्चों को फीस वापस करने के लिए जो तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, उससे भी हम सहमत हैं लेकिन जो संशोधन उपखंड (ग) में कर दिया है जिसमें लिखा है कि "निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों को बेच देगा और 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व ऐसी संस्था खोलने, संगठित करने या चलाने के सम्बन्ध में उस व्यक्ति द्वारा उपगत बकाया दायित्व, यदि कोई हो, का उन्मोचन और ऐसी कार्यवाही करने में व्यय को चुकाने के पश्चात् उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा।"

मान लीजिए विद्यार्थी की जमा राशि 1 लाख रुपये थी। तो उसमें से 60 हजार रुपया काट कर 40 हजार रुपया दे दिया जायेगा। इस प्रकार से उसे पूरा पैसा वापस नहीं किया जायेगा। दूसरे आपने इसमें 31 मार्च, 1982 तक की तारीख बढ़ाने के लिये लिखा है। विधेयक आज पास करेंगे तो जिस दिन से विधेयक पर राज्यपाल की सहमति होगी वह तारीख इसमें होनी चाहिये। दूसरे समाज विरोधी लोग परिसम्पत्ति को बेच देंगे और फिर जो पैसा बचेगा उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

बांट दिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि जिस लड़के का जितना पैसा जमा है, परिसम्पत्तियों को बेच कर उसका पूरा पैसा वापस दिया जाना चाहिये।

अब इस मौके का लाभ उठाकर एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। एक समवर्ती बात और पैदा हो गयी है। इसी तरह का एक मामला एक इंजीनियरिंग कालेज का मामला गोरखपुर में पकड़ा गया। मैंने इसको समाचार पत्र में दिया था कि इस तरह से एक निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर में खोला गया, वहां के छात्रों की स्थिति उसी प्रकार से पैदा हो गयी थी, जिस प्रकार से सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज के छात्रों की पैदा हो गयी थी। इसी तरह से उस इंजीनियरिंग कालेज के छात्र जो बच गये थे, उनका भी अलग-अलग इंजीनियरिंग कालेज में ऐडमिशन कर लिया जाय। उसी तरह से कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, सुल्तानपुर पर भी शासन ने विचार किया और उनके लड़कों का भी ऐडमिशन किया गया। इस तरह से इन-इन कालेज के लड़कों का भी ऐडमिशन ले लिया जाय। मैंने प्रवर समिति में भेजने के लिए इसलिए मान्यवर, दिया है कि प्रवर समिति इस मामले पर विचार करेगी। मैं चाहता हूं कि लड़कों को बुलाकर उसमें बातचीत की जानी चाहिए कि कोई मानक तय हो जिस प्रकार से शासन ने इससे पहले उदार कदम उठाया था, उसी प्रकार से इन कालेजों के बच्चों के बारे में शासन उदार कदम उठाकर विचार करे। इसलिए मान्यवर, मैंने प्रवर समिति में भेजने के लिए सुझाव दिया है। जिस-जिस बच्चे का जितना-जितना पैसा बचा है, अगर शासन उसको वापस करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा।

*श्री मित्रसेन--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपनी प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में प्रकाश डाल कर और उस पर जो शंका की चीज रही है, उस पर उन्होंने कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जैसा माननीय सदस्य हमारे गुप्ता जी ने शंका व्यक्त की है, वह अपनी जगह सही है कि ऐसी संस्थायें जो प्रदेश के अन्दर जिन्हीं लोगों द्वारा खोली जाती हैं प्राइवेट सेक्टर में और उनसे छात्रों के प्रति शोषण होता है, लूट की जाती है. इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और जिन छात्रों का आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है, उसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज के लिए किया गया। जिस प्रकार से इसमें संदेह किया जा रहा है वह अपनी जगह सही है।

यदि माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि उन छात्रों का पैसा वापस कर दिया जायेगा और भविष्य में ऐसी संस्थायें खोलने की अनुमति प्रदेश में नहीं दी जायेगी और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजा दी जायेगी क्योंकि हम लोगों को प्रदेश की जनता में एक विश्वास पैदा करना है कि भविष्य में इस प्रकार से शोषण नहीं होने पायेगा। हमारे दिमाग में एक शंका बनी हुई है। माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। जो संस्थायें इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार की लोग चलाने की कोशिश करते हैं और हजारों छात्रों का शोषण करते हैं उन पर रोक लगनी चाहिये। मंत्री जी यह आश्वासन दें कि जिन छात्रों का शोषण किया गया उनका सारा पैसा वापस किया जायेगा। तब तो हम अपने संशोधन को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं।

*श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी की नीयत अच्छी मालूम होती है मगर तजुर्बे यह बतला रहे हैं कि अभी एक विधेयक का निरसन हुआ, इसके पहले भी एक विधेयक आया था मैंने उसको प्रवर समिति को भेजने को कहा था लेकिन आप नहीं माने और कौंसिल में जाकर उसमें संशोधन हो गया और दुबारा विधान सभा में हमको उस संशोधन को पास करना पड़ा। अगर उसी वक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया गया होता तो वह चीज यहीं हो जाती। दुबारा विधान सभा को उस संशोधन को स्वीकार करने की नौबत न आती। इन सब तजुर्बों को देखते हुये माननीय मंत्री जी को स्वयं चाहिये कि इसको प्रवर समिति को सौंप दें 31 मार्च तक का समय है कोई जल्दी नहीं है। टाइम 31 मार्च दिया है जैसी दफ्तरों की कारगुजारी है जल्दी में इसको कर दिया जाय और जिसका पैसा जमा है उसको पता भी न चले इन्ट्री रजिस्टर में गलत हो इसलिये एक महीने के लिये न सही 15 दिन के लिये भेज दें। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं स्टेट हज कमेटी में मेरे गांव का एक नाम है। सट्टूनगला के एक हाजी की दरख्वास्त थी उनका नाम था कल्लू वल्द नजीर, रजिस्टर में इसको कर दिया गया कल्लू वल्द जसीर और गांव का नाम बदलकर कर दिया गया साकेट जंगला। इस तरह की गलती हो सकती है 71 का मामला है। जिन लोगों का रुपया जमा है हो सकता है उसमें से सिफर हट गया हो। इस महीने के लिये इसको भेज देंगे तो सब चीज साफ हो जायेगी लोगों को मालूम हो जायेगा। जिनका पैसा जमा है उनको पूरा समय मिल जायेगा। जो तजुर्बे अब तक के हैं उनसे फायदा उठाकर अच्छा होगा अगर माननीय मंत्री जी इसको एक महीने के बजाय 15 दिन के लिये भेज दें। ताकि जिसका पैसा जमा है उसको वापस हो जाय। यह एक अच्छा काम है, इसलिये कुछ दिनों के लिये यदि यह प्रवर समिति में चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। यह विधेयक और महाखूबसूरत हो जायेगा। इसमें कहीं भौंडापन न आ जाये इसलिये आप इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री लोकपति—

जहां पर इस समय हमारे नेता जी बैठे हैं, एक वक्त हमारे रियासत हुसैन साहब बैठे थे, और जिस समय डाक्टर सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज वाला विधेयक आया था उस समय उन्होंने उसे प्रवर समिति में भेजने की बात नहीं कही थी। अगर इसे प्रवर समिति में ही जाना था तो उसी समय जाता, इस समय तो केवल इतनी सी बात है कि जिन 8 बच्चों का पैसा रह गया है वह दे दिया जाये।

श्री रियासत हुसैन—

वह हम कब कह रहे हैं कि न दिया जाय?

श्री लोकपति—

अधिकांश बच्चों का वापस हो गया है, केवल 8 बच्चे ऐसे रह गये हैं जिनको नहीं मिला है। उसके लिये सिर्फ तारीख बढ़ाने की बात है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लोकपति--]

माननीय गुप्ता जी ने कहा कि जो पैसा जमा था उससे तमाम उपकरण आदि खरीद लिये गये। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो पैसा था वह निदेशालय में जमा है। वह देने की बात है। मेरा अनुरोध है कि आप इसे स्वीकार करें और अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने जो शंका प्रकट की थी उसका जवाब नहीं आया। मैंने यह कहा था कि मूल विधेयक की धारा (ख) और (ग) के स्थान पर जो अब नयी धारा (ग) रखा जा रहा है उसमें यह है "(ग) निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों को बेच देगा और 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व ऐसी संस्था खोलने, संगठित करने या चलाने के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा उपगत बकाया दायित्व, यदि कोई हो, का उन्मोचन और ऐसी कार्यवाही करने में उपगत व्यय को चुकाने के पश्चात् उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकद में परिवर्तित करेगा।"

इसका क्या मतलब हुआ? जो खर्चा हुआ है वह सब काटने के बाद जो शेष बचेगा वह बटेगा। उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उनकी लायबिलिटी सरकार को नहीं लेनी चाहिये था। यह जो प्राविधान आपने किया है उसकी कोई सफाई आपने नहीं दी है। वह हम चाहते हैं।

श्री लोकपति--

मान्यवर, जिस समय इनका अधिग्रहण हुआ, सम्पूर्णानंद कालेज समाप्त किया गया, उन बच्चों को भिन्न-भिन्न कालेजों में रखा गया, उस समय के आय-व्यय के अन्दर वह अतिरिक्त सीटें नहीं थीं, वह क्रिएट की गयी थीं और अतिरिक्त सीटों का खर्चा देने की बात थी। संभवतः इसकी जानकारी इस समय नहीं है। जहां तक जानकारी है उसमें वह परिस्थिति नहीं आयी थी, वह साधारण व्यय में चला गया। इसलिये बच्चों के पैसों में कटौती नहीं हुई है। जहां तक अन्य कालेजों की जो बात कही गयी है उसमें प्राविधिक शिक्षा के अंदर, इस सदन की जो भावना है उसको मैं अवगत करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्षमा करें।

श्री अधिष्ठता--

अब सवाल नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी शंका का निवारण नहीं हुआ है और एरियर के बारे में उत्तर नहीं दिया है।

श्री लोकपति--

कालेज का कोई एरियर नहीं है, बच्चों का है। पहले कालेज में जो अध्यापक थे और कर्मचारी थे उसकी शासन ने जिम्मेदारी नहीं लिया था। विद्यालय की जो पूंजी थी, इस विधान सभा में उस समय जो निर्णय

हुआ या जो विधेयक पारित हुआ उसके अन्तर्गत संपत्ति से बच्चों का पैसा वापस करने को कहा गया था लेकिन अन्य लोगों को वापस करने की जिम्मेदारी नहीं थी ।

श्री धनी राम वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब सवाल नहीं कर सकते हैं । मंत्री जी का भाषण और उत्तर हो गया है, इसलिए अब मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी शंका को समाधान नहीं किया गया है, इसलिए मैं वापस नहीं लेता हूं क्योंकि यदि आपकी बात सही है तो धारा (ग) को रिप्लेस क्यों किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता--

श्री मित्रसेन जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरी शंका का निवारण मंत्री जी ने नहीं किया है इसलिए मैं वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 1973 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 में, उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ख) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1976" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1982" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों को बेच देगा और 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व ऐसी संस्था खोलने, संगठित करने या चलाने के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा उपगत बकाया दायित्व, यदि कोई हो, का उन्मोचन और ऐसी कार्यवाही करने में उपगत व्यय को चुकाने के पश्चात् उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982†

आबकारी मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, एक नियमावली थी केन्द्र सरकार की, जिसके आधार पर कोई ड्यूटी नहीं लगायी जा सकती है यह निर्णय हाई कोर्ट ने कुछ लोगों की अपील पर दिया । उसके बेसिस पर जो असंगतियां थीं उनको दूर करने के लिये यह ऐक्ट लाये हैं । राजस्व की हानि न हो, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आबकारी, मादक वस्तुओं का जो इस्तेमाल करते हैं उन चीजों पर भारी टैक्स लगने चाहिये । सरकार उन चीजों पर टैक्स वसूल करें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन दूसरी बात यह है कि शासन विधि के अनुसार ही चलेगा । जैसा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि उनकी नियमावली/अवधि मान्य हो गयी है । इस बात पर विचार नहीं किया गया कि उस नियमावली को बनाने वाले कौन थे । विधि के अनुसार वह नहीं बनायी गयी थी इसलिये वह नल एंडवायड कर दी गयी । दूसरी आप बनाने जा रहे हैं । लेकिन इतने दिनों के बाद, 1969 में यह बनायी गयी थी और आज हम 1982 में बैठे हुए हैं । तबसे लेकर अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ । मैं इसके लिए सरकार की निंदा करता हूं । मैं कई बार कह चुका हूं कि इस प्रकार का कोई टैक्सेशन मेजर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होना चाहिये । कोई कराधान भूतलिंगी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिये । आपने एक प्राविधान कर दिया आप उसे पास भी संख्या के आधार पर करा लेंगे और वह 1 जुलाई, 69 से लागू होगा, यह मेरी वैधानिक आपत्ति है इसीलिये मैंने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है । आप नोटिस जारी कर देंगे कि आपको इतना रुपया देना होगा । तो इसी पर मेरी आपत्ति है । जहां मैं इस बात का पक्षधर हूं, अफीम, भांग, मदिरा पर पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिये लेकिन आपकी सरकार नहीं मानती तो टैक्सेशन करें इसका मैं पक्षधर हूं लेकिन इसका तरीका यह नहीं होना चाहिये कि जिस तरीके से चाहा कानून बदल दिया । यह बात सही है कि आज इक्साइज विभाग में खुला भ्रष्टाचार है । जैसा कि मोहन सिंह ने कहा था कि

---

†दिनांक 27 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

भ्रष्टाचार इसलिये है कि शासन की अग्र पंक्ति में बैठे हुये लोगों के हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुये हैं।

माननीय गुलाब सिंह जी का मामला सामने है, ब्रह्मदत्त जी का मामला सामने है। बेचारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने माननीय गुलाब सिंह जी को निकालने का साहसी प्रयास किया भी था और अखबार वालों से कह भी दिया था कि हमने श्री गुलाब सिंह को मंत्रि-मंडल से निकाल दिया है, लेकिन कुछ समय बाद हमने देखा कि वह फिर अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं, तो इससे तो यह बात जरूर साफ हो गयी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें निकालना जरूर चाहते हैं, लेकिन जो गुलाब सिंह जी को बड़े-बड़े वरिष्ठ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बेचारे कुछ नहीं कर सके। तब हमने एक प्रेस कांफ्रेंस में बयान दिया कि जब उनके ऊपर मुकदमा दायर हो चुका है और यह मुकदमा किसी और ने नहीं सरकार ने दायर किया है और सरकार ने जब उन्हें दोषी पाया है, तभी मुकदमा दायर किया है तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रि-मंडल में रहना नहीं चाहिए। जब माननीय विश्वनाथ जी को हार कर निकालना ही पड़ा तब उनको भारी पड़ा और इतना भारी पड़ा कि उनको ही निकलना पड़ा।

श्री अधिष्ठाता--

मान्यवर, संशोधन से सम्बन्धित बात करिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सत्ता में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह बड़े-बड़े लोगों के संरक्षण की देन है और जो इन बड़े लोगों के खिलाफ कार्य करने का साहस करता है तो उसको निकलना पड़ता है। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि उसको करीब 4सौ 40 लाख लीटर शीरा आवंटित करने का प्रस्ताव हो गया, यह तो कहिए कि उस समय माननीय मन्त्री जी आड़े आ गये और ऐसे व्यक्ति को एलाट हुआ जिसका लखनऊ के अलावा और जगहों पर भी फैक्ट्री है और जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता होती है, उन्हें न देकर जिन्हें जरूरत नहीं होती उन्हें एलाट किया जाता है। और यही नहीं जैसा कि अभी शराब का घोटाला पकड़ा गया और न जाने उसमें कितने लोग पकड़े गये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय, गुप्त जी आज आप बजाय संशोधन पर बोलने के किसी दूसरे सब्जेक्ट पर जा रहे हैं, जो अपत्ति है आपको उस पक्ष पर बोलिए। यह सारी चीजें उस वक्त बोलिएगा जब आम चर्चा का समय हो।

श्री मित्रसेन--

प्रसंग-संगत बात है, इसलिए कहना पड़ रहा है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा, बात तो मद की चल रही है और बात आप अफीम पर कर रहे हैं, इसलिए गुप्त जी का बहकना जायज है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उसमें बड़े-बड़े लोग हैं, उन पर ऐक्शन होना है और जिस आदमी के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ नहीं हो रहा है ।

(शोर)

अब मैं अफीम पर आता हूं ।

क्या आपने ऐसी कोई एजेन्सी अपने डिपार्टमेन्ट में बनायी है कि जिसके माध्यम से एक भी ऐसा काश्तकार जो इसकी खेती करता है, वह कानून की परिधि से बच जाय । न जाने कितना सामान पैदा हो जाता है जो कानून की परिधि में नहीं आता । शासन के लोग एलान कर चुके हैं कि न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं है । इसीलिये विधेयक के अन्त में कहा है कि, धारा 3-(1) देखें, इसके अनुसार कोई भी गन्दे से गन्दा काम कानून के खिलाफ कोई काम आप कर डालेंगे तो भी किसी आदमी को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा । कानून विधि के अनुसार होना चाहिये, हमने संसदीय पद्धति अपनायी है, इसका मतलब यह है कि अगर कार्यपालिका कोई गलत काम करती है तो न्यायपालिका उसे देखती है । हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार है कि वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है । लेकिन विधेयक की धारा 3-(2) में आपने लिखा है कि—

"किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश पोपी हेड (संशोधन) नियमावली, 1969 इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन बनायी गयी समझी जायगी और उसी प्रकार विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।" जिन सिद्धान्तों को लेकर उस नियमावली को गैर कानूनी घोषित किया था, वही चीजें इसमें भी मिला दीं । मैंने अभी नियमावली देखी नहीं है, लेकिन आपको क्या हक है यह बात लिखने का कि,

"3-(2)--उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त उपधारा में निर्दिष्ट नियमों के अधीन उद्गृहीत या संगृहीत समस्त शुल्क विधिमान्य रूप से उद्गृहीत और संगृहीत समझे जायेंगे और तद्नुसार--(क) ऐसे शुल्क की वापसी के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो चलायी जायेगी और न जारी रखी जायेगी, "

इससे तो अच्छा था कि आप यह प्रस्ताव पास कर देते, क्योंकि आपकी लोकसभा में भी बहुमत है आप सक्षम हैं कि न्यायपालिका को खत्म किया जाता है । विधेयक में इसके बाद धारा 3(1) (ख) कहती है कि--

'कोई न्यायालय या प्राधिकारी ऐसी किसी डिक्री या आदेश को प्रवर्तित न करेगा जिसमें किसी ऐसे शुल्क की वापसी का निदेश दिया गया हो ।'

इसमें आपने न्यायालय के क्षेत्र को बार कर दिया । अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है, सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति गलत काम करवाता है तो भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते । यह कौन नहीं जानता है कि आबकारी काण्ड में आबकारी विभाग के कितने लोगों की सांठगांठ हुई थी । उन्हीं लोगों का प्रेशर आज है । इस विधेयक के अनुसार आपके डिस्क्रेशनरी प्रोसेज के खिलाफ भी कोई आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

जहां मैं इस बात का समर्थक हूं कि टैक्स होना चाहिये, टैक्स कड़ाई से वसूल करना चाहिये, राजस्व सरकार को मिलना चाहिये, वहीं अगर कानून के साथ काम करने में कोई बाधा है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाना न्यायपालिका की व्यवस्था के प्रति आपके काले दृष्टिकोण का परिचायक है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं बल देता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये। प्रवर समिति में करने से जिससे कि कानूनी हत्या न हो और इन मुद्दों पर विचार किया जा सके।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस सदन में जब कोई विचार होता है तो जो यह चित्र महात्मा गांधी का यहां पर लग रहा है जिससे सभी सम्मानित सदस्य प्रेरणा लेने लगते हैं। अब चाहे वो शराब वा अफीम से सम्बन्धित बिल हो, उसकी परिधि वाईड होती जाती है। जैसा कि अभी राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि इसका एक्ट बना, नियम बनाये एक्जीक्यूटिव ने और उन्हीं नियमों के आधार पर टैक्स की वसूलयाबी की गयी। उसके बाद कोर्ट ने रुलिंग दी कि उन नियमों में कुछ कमी रह गयी है। तो फिर से नियमों को रेगुलराइज कर दिया जाय, तो यदि हमसे रुपया नियम के विरुद्ध ले लिया गया है तो आप हमारे उस रुपये को वापस कर दीजिये।

श्रीमन्, यह अफीम और शराब का मामला है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहिये कि यह अफीम, चरस और गांजा तथा शराब सब उनकी ही है क्योंकि जनता पार्टी के शासन काल में तो इसे समाप्त कर दिया गया था तब तो यह उनकी ही रही। चाहे वो बोतल पियें, चाहे रंगीन पियें, चाहे चरस खायें चाहे अफीम खायें। क्योंकि श्रीमन् जब आप यहां पर "हां" कहने के लिये कहते हैं कि "हां" की संख्या कितनी है तो ये नशे की गिरफ्त में हो कर "हां" की संख्या पर हाथ उठा देते हैं क्योंकि इन्हीं का तो सब है, हमारा कुछ नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन छोटी-छोटी चीजों की वजह से समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, इसको माननीय मंत्री जी को देखना है। यह ठीक है, चरस और अफीम से टैक्सेशन ले रहे हैं परन्तु इस पर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट डिटेल में मिलना चाहिये था कांस्टीट्यूशन के मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि 1 रुपए तक लिया जा सकता है, बाहर जाने वालों से 25 पैसे तक लिया जा सकता है। यह एक फाइनेन्शियल बिल की शक्ल में आना चाहिये 199 के अन्तर्गत और हमको यह डिटेल में मिलना चाहिये था। इसकी इसमें कमी है इसको आप अपने उत्तर में बता दें तो अच्छा है कि हमें कम से कम यह तो मालूम हो जाय। इस चीज से जिससे पूरा नेशन के मारेल पर गलत असर पड़ता है या पड़ रहा है। यह देश के 66 करोड़ का इनडीविजुअल का मामला है, यह किसी के मकान या कोठी का मामला नहीं है न हम यह कह रहे हैं कि एशियाड के खेल के लिये क्यों इतने पैसे खर्च करके काम हो रहा है बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि यह पूरे नेशन का मामला है और 66 करोड़ इनडीविजुअल का कलेक्शन है जिसके नामे नेशन में इस बिल के जरिये 66 से 70 करोड़ रुपए एक्साइज में वसूल किये और उसके बाद नियम बदलने को कह दिया। क्या आप अपना कैरेक्टर इतना गिरा देंगे? तो आप यह नेशन नहीं बना रहे हैं बल्कि नेशन को बिगाड़ रहे हैं। जो मारेल आप बना रहे हैं इससे देश नीचे की ओर जा रहा है, उठ नहीं रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस वाले हैं, किसी को पकड़ कर लाते हैं और अगर उनको उससे हजार, दो हजार रुपये नहीं मिलते तो यह मंत्री जी वाली धारा ही उसके काम आती है जिसके अन्तर्गत उसे बन्द कर देते हैं। 10 5 दिन के अन्तर्गत अगर उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं आता और हजार, दो रुपये नहीं दे जाता तो अफीम, चरस, गांजा या बोतल के नाम पर उसे जेल खाने भिजवा दिया जाता है जेल में जाने पर उसकी मुलाकात तरह-तरह के मुलजिमों से होती है जिनमें 396 के मुलजिम भी होते हैं, 420 वाले भी होते हैं। अब वे हजरत सोचते हैं कि जेल तो आखिर हो ही आया, अब अगर जाऊंगा तो कहीं लम्बी मार के जाऊंगा। इस तरह से बहुत से लोग जेल से गलत सबक सीख कर भी आ जाते हैं जो समाज के लिये बड़ा ही नुकसान देह साबित होता है। वे सोचते हैं कि जब जेल के दरवाजे तक पहुंच ही गये और डिब्बों में खाना खा ही लिया तो अब क्या परवाह है।

माननीय मंत्री जी कम से कम इतना तो बता ही दें कि इस टैक्सेशन से आपको कितना रुपया मिलेगा और सन् 69 से लेकर अब तक कितना रुपया अपने वसूल किया है जिसका आप नियमीकरण करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो इससे आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो इसमें आमदनी बढ़ाने की बात न कर उस आमदनी को घटाने की बात करें। क्योंकि हलाल के पैसे से बरकत होती है, नाजायज किस्म के पैसे से बरकत नहीं होती। क्योंकि गलत किस्म के पैसों से जो पुल, स्कूल या सड़कें आदि बनती हैं वे बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। 100 साल चलने वाली इमारत 20 साल में ही गिर कर नीचे आ जाती है। नेशनलहाईवे हो या कोई और सड़क हो, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मुझे सिर्फ यह कहना है कि अफीम का जिक्र करते-करते आप उसी में लिप्त न हो जायं।

श्री रियासत हुसैन--

अफीम, चरस, गांजा, शराब वगैरह के बारे में तो हमें महात्मा गांधी से प्रेरणा मिली है कि एक घूट भी नहीं पीना चाहिये।

एक सदस्य--

आपको क्या पसन्द है ?

श्री रियासत हुसैन--

आप से जब बचे तब तो मेरे पसन्द की बात आती है लेकिन जब आपसे बचेगी ही नहीं तो मेरे पास आने की नौबत ही कहां से आयेगी।

एक सदस्य--

इनको तो मुरारजी वाली पसन्द है।

श्री रियासत हुसैन--

इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है । लेकिन मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक्साइज का मुहकमा आपके पास है, कहीं ऐसा न हो कि टूरिस्ट विभाग तक यह चीज पहुँच जाय और किसी टूरिस्ट को इस चीज के लिये टूरिस्ट सेंटर में दाखिला लेना पड़े और आपकी बदनामी हो ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, अफीम संशोधन विधेयक पर जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें ।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की है ।

मैं कुछ बिन्दुओं पर विशेष रूप से आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, अफीम की खेती के ऊपज पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, यह अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे जो मंशा है वह अच्छी नहीं समझ में आ रही है क्योंकि प्रदेश सरकार की कोई पकड़ नहीं है अफीम की खेती के ऊपर जो खेती होती है वह सारी केन्द्र सरकार की ही लाइसेंस प्रणाली के आधार पर होती है । किसानों को लाइसेंस लेने के लिये जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उससे मन्त्री जी भी परिचित होंगे । आज कोई किसान ऐसा नहीं है जो बिना 100-200 रु० प्रति ऐरी दिये लाइसेंस पाता हो । आज इनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे यह आंकलन कर सकें कि किस खेत में कितनी अफीम पैदा होती है, कौन किसान कितनी अफीम का उत्पादन करता है ? इसके लिये यह आवश्यक है कि मन्त्री जी कोई ऐसी इकाई बनायें जिससे यह पता लगा सके कि प्रदेश में अफीम का कितना उत्पादन हो रहा है । ऐसी भी सूचना मिली है कि जिन स्थानों पर अफीम की खेती होती है वहां तो बोते ही हैं लेकिन जहां लाइसेन्स नहीं हैं वहां पर भी लोग बोते हैं ।

अफीम की खेती मुख्यतः बाराबंकी जनपद, लखनऊ जनपद, गाजीपुर और कुछ अन्य जनपदों में भी होती है, बरेली में भी होती है । किसानों को इसके लिये मात्र 200-300 रुपये प्रति किलो का भाव दिया जाता है जब कि आज प्रदेश की सारी जनता जानती है कि अफीम का ब्लैकमार्केट का भाव 1000-1500 से 2000 प्रति किलो का है । तो क्या किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है ? नहीं मिल रहा है । पहले किसान अफीम की खेती करने के लिये उत्सुक था लेकिन आज गन्ना 5000-6000 (पांच छै हजार) प्रति बीघे लाभ दे रहा है, ऐसी स्थिति में अफीम की खेती किसान को महंगी पड़ रही है और उसे समुचित लाभ नहीं मिल रहा है । शासन जहां एक ओर टैक्स लगा रहा है वहीं किसानों के लिये भी ध्यान दे कि उसको समुचित लाभ मिले और किसान का कितना उत्पादन होता है, कितनी वसूली होती है, वही सही दर्शाया जाय । इस पर भी विभाग को ध्यान देना चाहिये । किसानों को राहत देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से बराबर इस विधान सभा के माध्यम से भी कई बार माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं । किसान की खेती दैवी आपदाओं ओलावृष्टि या अति-वृष्टि से नष्ट हो जाती है । ऐसे किसान जिनकी खेती पूर्णतः नष्ट हो जाती है उनको किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है । अगर दुर्भाग्यवश कोई

किसान एक बार चीरा लगा ले और थोड़ी सी अफीम लगा दे तो उसको दोबारा लाइसेंस भी नहीं मिलता । तो इन सब बातों पर सरकार को विचार कर लेना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री फखरे आलम—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अमेंडमेंट का बिल मैं देख रहा था तो इसको देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकार यह चाहती है कि रूल आफ ला खत्म हो जाये और अदालतों के अख्तियारात को खत्म कर दिया जाय । आप जो कानून चाहें वह बनायें, आपकी समझ बहुत कम है और उसी हिसाब से कानून बनायेंगे और किसी को उस पर एतराज हो तो वह अदालत में जाकर उसको चैलेंज करेगा । आपने यह कह दिया कि किसी न्यायालय में उसके बारे में कुछ नहीं होगा इसके माने यह हैं कि अगर पहले से कहीं चैलेंज कर दिया है तो वह मुकदमा भी खत्म हो जायेगा इसको आपने रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट दे दिया । मान्यवर, एक शेर है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं ।

रगों पे ये जब उतरे जहरे गम तब देखिए क्या हो ।

अभी तो तल्खिए काम या दहन को आजमाइश है ।

मान्यवर, आप इस विधेयक के द्वारा अदालतों के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं ।

जिक्र आया जो कल कयामत का

बात पहुंची तेरी जवानी पर ।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड नहीं होना चाहिए । इसीलिए इसको निकाल दिया जाय । जो तरमीम माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पेश की है उसको आप मान लें । इस प्रकार से किसी के साथ ज्यादती हो सकती है । अगर जुडीसियरी सुप्रीम नहीं रहेगी तो काम नहीं चल सकता है । किसी इन्डीविजुअल को कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा । इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूं । माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस तरमीम को मान लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस प्रश्न पर विस्तार के साथ प्रकाश डाल चुका हूं और जो कुछ कहना था वह कह चुका हूं । एक बात की और याद दिलाना चाहता हूं । इसमें किसी वाद-विवाद या उत्तर प्रति उत्तर का सवाल नहीं है । शासन किसी विधि के अनुसार चलेगा या मनमानी ढंग से चलेगा । क्या आप बिलकुल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बन्द कर देंगे । हम और आप रहें या न रहें लेकिन जो पार्लियामेंटरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं और संसदीय संस्थायें हैं उनकी जो परम्परायें हैं वह हमेशा हमेशा रहेगी । उन पर कोई हमला नहीं होना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें और जरूर करेंगे ।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं । इस विधेयक में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है । यह 1969 में 25 पैसा प्रति किलो स्टेट से बाहर जाने पर था और 50 पैसा प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्या भूषण--]

किलो अपने प्रदेश में इस्तेमाल करने पर था और 50 पैसा प्रति किलो जो दूसरे प्रदेश में उत्पादित है उसको हमारे प्रदेश में आयात किया जा रहा है उस पर है। यह शुल्क 1969 में लागू किया गया था। भारत सरकार की नियमावली के अनुसार उसमें निर्धारित सीमा नहीं दी गयी है।

भारत सरकार ने यह सीमा निर्धारित नहीं की थी कि प्रदेश सरकार कोई ड्यूटी लगा सकती है। 1969 में जब यह बना तथा कुछ लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने उसे रोक दिया और कहा कि नियमावली में परिवर्तन करें। इस तरह से इस एक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है। कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों ने अफीम का उत्पादन किया 1969 से आज तक, उस उत्पादन पर टैक्स लगा और वह उनसे वसूल कर लिया गया। उसके वापस होने का प्रश्न नहीं उठता। उनका माल प्रदेश के अन्दर रहा और प्रदेश के बाहर भी गया। इस पर नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है बल्कि उसके अन्तर्गत जो असंगतियां थीं जिनकी वजह से यह कोर्ट में चैलेंज होता था, न्याय विभाग के परामर्श से उन असंगतियों को दूर किया जा रहा है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस अपने प्रवर समिति में लिये जाने के संशोधन को वापस ले लें और इसको पारित करें क्योंकि इसमें बहुत रुपया इन्वाल्व है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने एक आरोप की सफाई तो दे दी। मैंने यह नहीं कहा कि आप न बढ़ायें। मैं तो चाहता हूं कि आप बढ़ायें। आपत्ति मुझे इस बात पर है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह संशोधन पेश किया गया और अगर कोई आदमी एरियर्स के लिये कोर्ट में जाये तो यह उसको बार न करे। इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश में यथाप्रयोज्य अफीम अधिनियम, 1878 का संशोधन करने और अफीम पर उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह दिनांक 1 जुलाई, 1969 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

अधिनियम संख्या 1, सन् 1878 में नई धारा 5-क से 5-ग बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित अफीम अधिनियम, 1878 का, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

अफीम पर उत्पाद शुल्क

"5-क--(1) उत्तर प्रदेश में उत्पादित अफीम पर दो रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की ऐसी दर से, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण और संदाय किया जायगा, और अफीम के विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं ।

2--जब तक उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी न की जाय, तब तक उत्तर प्रदेश में उत्पादित पोस्त-शीर्ष (पोपी हेड) पर उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण और संदाय निम्नलिखित दर से किया जायगा, अर्थात्,--

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात किये गये पोस्त-शीर्ष पर .. पच्चीस पैसे प्रति किलोग्राम

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित पोस्त शीर्ष से भिन्न पोस्त शीर्ष पर .. पचास पैसे प्रति किलोग्राम

अफीम पर प्रति-शुल्क

5-ख--(1) उत्तर प्रदेश के बाहर उत्पादित किन्तु उत्तर प्रदेश में आयातित अफीम पर, ऐसी दर से, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, प्रति-शुल्क का उद्ग्रहण और संदाय किया जायगा, और ऐसी अफीम के विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचित शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में उत्पादित उसी प्रकार की अफीम के लिए निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी ।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी न की जाय, तब तक उत्तर प्रदेश के बाहर उत्पादित किन्तु उत्तर प्रदेश में आयातित पोस्त-शीर्ष पर पचास पैसे प्रति किलोग्राम की दर से प्रति-शुल्क का उद्ग्रहण और संदाय किया जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

5-ग--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 5-क और 5-ख के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।"

वैधीकरण

3—(1) किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पोपी हेड (संशोधन) नियमावली, 1969 इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन बनायी गयी समझी जायगी और उसी प्रकार विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट नियमों के अधीन उद्गृहीत या संगृहीत समस्त शुल्क विधिमान्य रूप से उद्गृहीत और संगृहीत समझे जायेंगे और तदनुसार—

(क) ऐसे शुल्क की वापसी के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो चलायी जायेगी और न जारी रखी जायेगी, और

(ख) कोई न्यायालय या प्राधिकारी ऐसी किसी डिक्री या आदेश को प्रवर्तित न करेगा जिसमें किसी ऐसे शुल्क की वापसी का निदेश दिया गया हो ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ग्राम सिसवा, थाना मोहना, जिला बस्ती में पुलिस तथा असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ कथित बलात्कार के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा उस पर चर्चा

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

ग्राम सिसवा, थाना मोहना, जनपद बस्ती की दिनांक 23 अप्रैल, 1982 की घटना के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से भिन्न-भिन्न कथन (बरजन) प्राप्त हुये ।

सर्वप्रथम दिनांक 23 अप्रैल, 1982 को थाना मोहना के दो सिपाहियों ने थाने पर प्रथम सूचना लिखाई कि वे दिनांक 23 अप्रैल, 1982 को सम्मन बनाम प्रहलाद लोध आदि व वारन्ट गिरफ्तारी श्याम लाल आदि साकिन सिसवा के तामील के लिये ग्राम सिसवा पहुंचे। वारन्टी श्याम लाल पुत्र हरिहर को बुलाया और वारन्ट दिखाकर कहा कि उसका जमानती वारन्ट है किसी को बुलवा कर अपनी जमानत करा लें। श्याम लाल से यह बातचीत हो ही रही थी कि भगवान दत्त, राजेन्द्र आदि आ गये और राजेन्द्र उर्फ कण्डोले ने इस पर आपत्ति की। सिपाही श्याम लाल को लेकर थाने की तरफ चले। भगवान दत्त ने पास खड़े लोगों को सम्बोधित कर प्रेरित किया कि मुलजिम को छुड़ा लें। इस पर सब लोग सिपाहियों पर टूट पड़े और उन्हें मारा। लोगों ने मुलजिम श्याम लाल को छीन कर भगा दिया तथा सरकारी राइफल व घड़ी व सिपाहियों की साइकिलें मारपीट कर छीन ले गये। इस सूचना पर अपराध सं0 32/83, धारा 395/332/224 भा0 द0 वि0 पर पंजीकृत किया गया।

2—तत्पश्चात् श्री भगवान दत्त, नवनिर्वाचित प्रधान के आवेदन-पत्र दिनांकित 23 अप्रैल, 1982 में यह कहा गया कि ग्राम सिसवा में दिनांक 22 अप्रैल, 1982 को करीब 6 बजे शाम को मोहना थाना के दो सिपाही गांव में बन्दूक लेकर पहुंचे और गांव के पश्चिम गंगोत्री स्त्री समपाती उर्फ सम्पत्ति के घर में घुसकर जबरदस्ती गंगोत्री के साथ बलात्कार करने लगे। गंगोत्री के चिल्लाने पर उसके पति समपाती उर्फ सम्पत्ति ने गुहार किया। गुहार सुनकर गांव के कुछ लोगों ने दोनों सिपाहियों को बलात्कार करते हुए पकड़ा और उन्हें बदमाश समझ कर पिटाई किया और डकैत समझ कर बन्दूक भी छीन ली। बाद में ग्राम हरिवंशपुर के निवासी राम उजागर पाठक ने कहा कि यह थाने के सिपाही हैं और दरोगा जी इन लोगों पर नाराज हैं और सिपाहियों को सजा देने वाले हैं इसलिये बन्दूक उन्हें दे दें। उन्होंने कहा कि मामले को दरोगा जी से कह कर खत्म करा देंगे। इस पर लोगों ने बन्दूक उन्हें दे दी। ठीक एक बजे रात को थाने के दरोगा अपने साथ थाना मोहना, ककरहवा चौकी व लौटन चौकी की सारी फोर्स लेकर तथा साथ में कुछ दलालों और गुण्डों को लेकर आये। इन लोगों ने सिसवा गांव के 32 घरों को लूटा और 8 महिलाओं के साथ बलात्कार किया।

3—उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद के एक शिकायती-पत्र दिनांकित 24 अप्रैल, 1982 के अनुसार 23 अप्रैल, 1982 को करीब 2 बजे दिन में 2 सिपाही उसके घर पर आये। उस वक्त प्रार्थी घर पर मौजूद नहीं था और प्रार्थी की औरत से प्रार्थी के बारे में पूछा। इस पर प्रार्थी की औरत ने बताया कि कहीं गये हैं थोड़ी देर में आयेंगे। इस पर दोनों सिपाही प्रार्थी के घर में घुस गये और प्रार्थी की औरत को बेइज्जत करने की गरज से पकड़ने लगे। इस पर प्रार्थी की औरत ने गुहार किया जिस पर गांव के बहुत से लोग आ गये तथा आवाज सुनकर प्रार्थी भी मौके पर आ गया। प्रार्थी के गांव के लोग मुलजिमान को पकड़ने लगे जिससे मुलजिमान को साधारण चोटें आईं परन्तु वह पकड़े नहीं जा सके और भाग गये।

4—श्री राजेन्द्र प्रसाद की एक अन्य दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र के अनुसार भूतपूर्व ग्राम प्रधान हीरा उपाध्याय से उनकी रंजिश चली आ रही थी। उसी

[श्री गुलाब सेहरा—]

रंजिश के कारण श्री हीरा उपाध्याय द्वारा लिखाये गये एक फर्जी मुकदमें की तफतीश में दो सिपाही उसके घर पर आये तथा उसकी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे खलिहान में हैं। इस पर पुलिस वालों ने घर में घुसकर उसके साथ नाजायज सम्बन्ध करना चाहा। प्रार्थी की पत्नी के शोर पर गांव के लोग इकट्ठा हो गये। पुलिस वालों ने फायरिंग किया, आवाज सुनकर प्रार्थी खलिहान से आया। सारे गांव के निवासी पुलिस पर आक्रमण कर चुके थे। पुलिस फायरिंग करती हुई भाग कर निकल गई। लगभग 5 घंटे बाद थानाध्यक्ष तथा छः सिपाही, भूतपूर्व प्रधान तथा बहुत से लोगों के साथ रात्रि के सात बजे आये और उनके शब्दों में "छापा पकड़कर सारे गांव की सम्पत्ति लूट कर और बलात्कारी के तहस-नहस कर दिये हैं।" इस पत्र में उन्होंने कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया जिनके यहां से उनके द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार लगभग 10 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचा।

5—दिनांक 3 जून, 1982 को भूतपूर्व विधायक, श्री शिवलाल मित्तल, पुलिस अधीक्षक, बस्ती से मिले और उन्होंने सिसवा ग्राम में हुई घटनाओं के विषय पर शिकायत की जिस पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने दिनांक 8 जून, 1982 को ग्राम सिसवा का दौरा किया और तदोपरान्त मैजिस्टोरियल जांच का आदेश दिया।

6—दिनांक 11 जून, 1982 को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् ने भूतपूर्व गृह मन्त्री जी से भेंट की और उनसे ग्राम सिसवा में हुई घटना के बारे में शिकायती-पत्र दिया। इस पर विशेष जांच कोष्ठक को मामले की जांच के आदेश उसी दिन दिये गये। विशेष जांच कोष्ठक द्वारा की जा रही जांच को अपराध अनुसंधान विभाग ने ले लिया और अब पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग कर रहा है। यह जांच चल रही है।

7—मैजिस्ट्रेट ने अपनी जांच के सिलसिले में 69 गवाहों के बयान लिये जिनमें 17 महिलायें थीं। उन्होंने शिकायत से सम्बन्धित सभी घरों का निरीक्षण किया और सम्बन्धित अभिलेख भी देखे। उनके समक्ष 18 व्यक्तियों ने सम्पत्ति की क्षति की शिकायत की और कुछ महिलाओं ने बलात्कार की शिकायत की। गवाहों में श्री भगवान दत्त और श्री राजेन्द्र प्रसाद भी थे। मैजिस्ट्रेट ने अपने समक्ष उपलब्ध बयानों, परिस्थितियों आदि से सम्पत्ति की हानि की शिकायत में बल पाया परन्तु बलात्कार की घटना सन्देहात्मक पाई।

8—पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र ने भी इस मामले को देखा था और प्रशासनिक आधार पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की। 2 पुलिस उप निरीक्षक तथा 14 पुलिस कर्मी निलम्बित एवं स्थानान्तरित किये गये। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। सिसवा के कुछ निर्धन परिवारों को आर्थिक एवं अन्य सहायता दी जा चुकी है।

9—अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही जांच के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, बस्ती जनपद के सिसवा गांव में 23 अप्रैल की रात्रि को जो घटना पुलिस और क्षेत्रीय गुण्डों के द्वारा घटित की गई, वह उत्तर प्रदेश के प्रशासन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जानी चाहिये और लिखी जाएगी। मान्यवर, यहां पर जो बयान मुख्य मंत्री की तरफ से आया है और जिसमें यह बात बताई गई है कि इस घटना में विभिन्न वर्जन बताये गये हैं, मैं उसकी तफशील में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस सिलसिले में, चूंकि मैं उसी जनपद का निवासी हूं, अपनी पूर्ण जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं कि जिस थानेदार के नेतृत्व में यह कुकृत्य किया गया है, उसका मुझे काफी जानकारी है। उस थानेदार के काले कारनामों के बारे में, माननीय मुख्य मंत्री जब उस पीठ पर बैठा करते थे, मैंने इस सदन में उन पर काफी आरोप लगाये थे। उनके विभिन्न प्रकार के कुकृत्यों और गुण्डई के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाते हुए मैंने उन पर कार्यवाही करने का निवेदन किया था। लेकिन जब पुलिस प्रशासन में बैठे हुये लोगों को अपने उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता रहे तो इस प्रकार की बातों पर घटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उस सिरवा गांव में 10 तारीख को गांव पंचायत का चुनाव हो चुका था और वहां के चुनाव में इस बार भगवान दत्त प्रधान चुने गये थे और श्री हीरा उपाध्याय इस बार चुनाव हार गये थे। वह उपाध्याय बहुत समय से उस गांव के प्रधान चुने जाते थे और वहां पर उनका वर्चस्व स्थापित था और उसकी वजह से वह पुलिस के खास आदमी समझे जाते थे। ग्राम समाज की जो सम्पत्ति थी, जो तालाब था, उसका वह बराबर पुलिस की साजिश से दुरुपयोग किया करते थे। वहां पर एक गड्ढा था, जिसको मैंने स्वयं देखा है। गांव के उस तलाब पर प्रहलाद लोध और तमाम पुलिस के गुन्डे काबिज थे और उस तालाब की मछली मारकर वह पुलिस वालों को खिलाया करते थे। जब नये प्रधान आए तो उन्होंने इस अनियमितता को देखा और कहा कि यह वैधानिक व्यवस्था नहीं है।

अतः जो हमारे गांव समाज की मछली है उसे इस गांव के लोग खुशी से मारकर ले लें। इस पर भूतपूर्व प्रधान, श्री हीरा उपाध्याय को बड़ी तिलमिलाहट हुई। इस पर उक्त प्रहलाद लोध ने मोहना थाने में एक मुकदमा लिखाया। इस पर दो सिपाही रामबदन और दिनेश मिश्र 23 को 12 बजे दिन में उस गांव में आते हैं। वहां पर चूंकि थानेदार का आतंक व्याप्त था और यह कोई साधारण आतंक नहीं था, असाधारण आतंक था। इसके पहले स्वयं मैंने जनवरी माह में इनके खिलाफ एक मीटिंग का ऐलान किया था, उस दिन बाजार नहीं लगने दिया गया था और 20 रिक्शों को बुलवाया गया था और जो बाजार करने आए थे उनसे कह दिया गया था कि तुम अपना सामान वापस लदवा कर तुरन्त यहां से चले जाओ। हमारे राम रतन जी जो लोक सभा के लिए हमारे लोकदल के उम्मीदवार थे उनको भी इन दरोगा ने पिटवाया था और उसके गुन्डों द्वारा मेरे रिक्शे और लाउड स्पीकर को तोड़ डाला गया था। चूंकि वह रमेश चन्द्र, एस0 डी0 एम0 ऐसे विशेष प्रकार के एस0 पी0 थे, जिनको कई दरोगाओं की कमाई के बल पर चला करती है। उन्होंने हमेशा उनको प्रोटेक्शन दिया। हमने इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था, जिसका मेरे पास 31 मई को जवाब आया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बी0 एन0 राय और साथियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवा रहा हूं।

मान्यवर, 31 मई का पत्र मुझे मिला। यही नहीं गांव वालों ने 120 रजिस्टर्ड पत्र शासन को भेजे कि यह दरोगा, श्री विरेन्द्र राय क्रिमिनल आदमी है और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर लोगों को मरवा देगा और उनके घरों को लुटवा रहा है। दरोगा की चरित्र पंजिका रंगी पड़ी है और सत्ता पक्ष के लोग उनको जबरिया

[श्री माता प्रसाद पांडेय--]

थाना इंचार्ज बनवाना चाहते हैं। वहां पर श्री हनुमान प्रसाद एक एस0 पी0 थे जो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं लेकिन उनको वहां से हटवा दिया गया। मोहना में इस दारोगा का इतन आतंक है कि कोई आदमी इनके सामने नहीं पड़ता था। जब सिपाही राजेन्द्र पाठक को पकड़ने गये तो वह भय से भाग गया यह सोच कर कि अगर उसको पकड़ लिया गया तो एन्काउन्टर दिखाकर मार दिया जायेगा वह एक पश्चिमी नाले की तरफ छुप गया। वहां पर नेपाल का बार्डर है और वहां पर खूब जोरों से तस्करी होती है। वहां पर एक डकैत भी है जिसको पुलिस संरक्षण दे रही है। मैंने जब इस चीज को अखबारों के जरिये उजागर किया तो मुझे जान से मार डालने की धमकी भरे पत्र मिलने लगे। पुलिस ने एक फायर किया, जब किसी आदमी पर गोली चली तो लोग इकट्ठे हुए और उनसे हाथा-पायी हुई। वह थानेदार जिसका इतना आतंक था उसके अन्डर का सिपाही मारा जाये, वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वह तिलमिला उठा और उसने सारे ग्रामीण लोगों को इकट्ठा किया, उनको पिटवाया और ट्रैक्टर और ट्राली लेकर दल बल के साथ अर्थात पूरी फोर्स के साथ वे गांव में रात को पहुंच गये और वे लोग कितने बहशी और क्रूर हो सकते हैं कहा नहीं जा सकता। उन्होंने लूट-पाट शुरू की और 4 आदमी होरी, पंचम यादव आदि ने जिस-जिस के घर को बताया खूब लूटपाट की। सबसे पहले भूज का घर पड़ता था। उसके घर में एक खूबसूरत महिला थी जिसे देखकर उनका दिल तिलमिला उठा। सावित्री ने रो-रो कर बताया कि उसके साथ क्या गुजरी।

मैं तो पत्रकारों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सही तस्वीर समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने लाये। राजेन्द्र पाठक, उसकी 1-1, 2-2 साल की बच्ची और उसकी बहू की ननद को जला देने की धमकी दी। मैं चाहता था कि सदन की एक कमेटी बैठे जो मौके पर जाकर जांच करती कि वहां पर क्या-क्या कुकृत्य हुए हैं। सुबह होने पर जब वे पुलिस वाले वापस हुए तो वह महिला भाग कर दूसरे गांव में एक धोबी के घर गयी।

(व्यवधान)

वह औरत रो-रो कर दूसरे गांव में गयी, तो धोबिन की औरत ने उसको धोती दिया। उसने धोती हम लोगों को दिखाई। यह एक सामूहिक, संगठित बलात्कार है। इस बलात्कार में न पंडित का घर बचा है, न भूज का घर बचा है, सबके घर में यह बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद वे लोग उनका सामान लाद कर ले गये। मान्यवर, यही नहीं लोगों ने क्षेत्रीय विधायकों से शिकायत की।

मान्यवर, एस0 डी0 एम0 से मिले। मुझसे जो वहां का एस0 पी0 रमेश चन्द्र था नहीं पटती थी। वह मुझे मार डालने की साजिश रखता था, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलने गया। यह घटना वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहली मई को ही लोगों को बताया। 14 मई को जन मोर्चा ने मोटे अक्षरों में इस सिसवा काण्ड के बलात्कार को छापा। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग इस पर पर्दा डालना चाहते हैं ताकि इनके चुनाव पर असर न पड़े। मान्यवर, इसलिए इसको छिपाया गया। एस0 डी0 एम0 9 मई को वहां पर गये, मैं नहीं कह सकता कि एस0 डी0 एम0 ने वहां की घटना को कितना स्वीकार किया। मान्यवर, वहां पर डी0 आई0 जी0 जाते हैं उनको सारी जानकारी होती है, लेकिन यह सारी घटना पर, यह सारे कर्म पर पर्दा डालने वाला रमेश चन्द्र आज सी0 आई0 डी0 में बैठा हुआ है। मान्यवर, आज जिस प्रकार की यह

घटना घटी, इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं घटी थी। मान्यवर, इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी और लज्जा की क्या बात हो सकती है ? आज बस्ती जिले में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके जीवन का केवल अवलम्ब पुलिस की दलाली हो गयी है।

(शेम-शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

आज इस सरकार द्वारा सबसे पहले प्रोटेक्शन का उनको पवित्र बनने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और मान्यवर, इससे पुलिस का मनोबल और बढ़ जाता है। मान्यवर, आज मैं सत्ताधारी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से इसकी जांच करावें, जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। मान्यवर, एक बात वहां की कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, यह हमारी बात नहीं है, यह सदन के सम्पूर्ण गरिमा की बात है कि सारे तथ्य पर पर्दा न डाला जाय। वह रमेश चन्द्र जो दो बोतल शराब पीकर मस्ती में बैठा रहता था, वह आज सी0 आई0 डी0 में बैठा हुआ है। उसी के माध्यम से जांच हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि उस रमेश चन्द्र को सी0 आई0 डी0 से हटाकर अविलम्ब उस पर मुकदमा चलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सिसवा जैसे कान्ड पर इस सदन में चर्चा हो रही है। इसमें दो राय नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जहां कहीं भी साक्षी उपस्थित करने की स्थिति आवे, जिस प्रकार से साक्ष्य संकलित हो सकें, हों, सदन के सामने या इन्ट्रोगेट करने वाले अधिकारी के सामने उस साक्ष्य को रखें, मैं संयोग से सिसवा हो आया हूं और हमारे पक्ष के बहुत सारे सदस्य विधान परिषद् के सदस्य, हमारे प्रदेश की अध्यक्षा, श्रीमती मोहसिना किदवई और बहुत से लोग हो आये हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और इरादे से कह रहा हूं कि उधर विपक्ष के लोग जो कुछ कह रहे हों, हम उसके प्रतिवाद में कुछ कहें।

जो कुछ हुआ है उसको नकारने का हमारा इरादा नहीं है लेकिन इस सन्दर्भ में इतना सदन के समक्ष आपकी आज्ञा से जरूर कह देना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ चाहे जितना बुरा हुआ उसको विपक्ष के लोगों ने इतना अतिरंजित कर दिया कि सिसवा कान्ड जिस गांव में हुआ और उस गांव के समीपवर्ती गांवों के रहने वालों को इतना टियूटर किया गया कि अगर कोई अधिकारी सही बात को जानना चाहे तो वह नहीं जान सकता है। चाहे जब भी कोई गया वहां पर दूसरे दल के लोग लोकल कार्यकर्ता उन घरों में इतनी अधिक संख्या में बैठे मिले, जिससे लगता है कि वह सही बात को आने देना ही नहीं चाहते हैं। जब मैं गया मेरे साथ पत्रकार भी गये थे कुछ ऐसे लोग थे जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

सही नतीजे पर पहुंचना चाहते थे लेकिन वहां सही बात आने ही नहीं पाती थी। जिसको कुछ व्यथा है, जो सताये गये हैं वह इतना बढ़ाचढ़ा कर कह चुके हैं इतना नमक मिर्च लगा चुके हैं कि सही तथ्य आने ही नहीं देना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि विरोध पक्ष के लोग किसी चीज को बढ़ाने में बहुत माहिर हैं।

श्री मित्रसेन--

यह बढ़ाने में और आप घटाने में माहिर हैं।

एक सदस्य--

यह दरोगा के रिश्तेदार हैं।

श्री राज कुमार राय--

हम रिश्तेदार आपके भी हो सकते हैं किसी और के भी हो सकते हैं लेकिन जो सही बात है उसको कहने में हम हिचकेंगे नहीं। कभी आप कल्पनाथ का रिश्तेदार कहते हैं कभी हमारा कहते हैं आपको कहना है कहिये। मान्यवर, जब कोई घटना होती है तो उस पर निर्णय लेने वाला अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करता है कि नैसर्गिक रूप में यह सम्भव है या नहीं है। इसमें जो दो व्यक्ति हैं कन्डोले और दूसरा एक व्यक्ति इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है इसको आप चाहे होम डिपार्टमेंट से मंगाकर देख लें या पुलिस के अनुसार मान लें। इनके नाम वारन्ट था पुलिस वहां गयी उन लोगों ने उनकी बन्दूकें छीन ली उस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। जब कोई कागनीजेबिल अफेन्स होता है और रिपोर्ट होती है तो पुलिस उस मामले में हस्तक्षेप करती है। क्या यह सही नहीं है कि बन्दूक उन लोगों ने छीना और अपने वकील के घर बस्ती ले गये और वहां उस वकील ने उससे कहा कि इस तरह से तुम फंस जाओगे, बन्दूक को फेंक दो। क्या विपक्ष इससे इनकार कर सकता है कि जिस दरोगा की वे बात कह रहे हैं वह दरोगा उस दिन वहां गया ही नहीं? जो पहली दरख्वास्त उन लोगों ने दी उसमें इन बातों का जिक्र नहीं है।

(व्यवधान)

यह सब केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिये किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त। चूंकि अन्य कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये माननीय सदस्य कृपया 5-7 मिनट से अधिक समय न लें।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, सिसवा कांड के ऊपर अपने विचार रखने से पहले मेरा सर शर्म से झुक रहा है और इसलिये झुक रहा है कि जिस देश के अन्दर एक नारी की इज्जत को लेकर, उसे बचाने के लिये, इतना बड़ा महाभारत हुआ, महायुद्ध हुआ, आज उसी देश के अन्दर यह हालत हो जाये कि रेलों के अन्दर बलात्कार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, हवाई जहाज के अन्दर बलात्कार हो, जेलों में बलात्कार हो, थानों के अन्दर हवालातों में बलात्कार हो ।

(व्यवधान)

और इतनी संगीन घटनाओं के बाद यह कहा जाय कि विपक्ष इसको कुछ का कुछ बना रहा है या पक्ष उसको कुछ बना रहा है, यह सुन कर मेरा सर शर्म से झुक गया है । सवाल यह पैदा होता है कि क्या मैं यह समझूं कि जिस तरह से नारायणपुर कांड के बाद श्री बनारसी दास चले गये, इस सिसवां कांड के बाद उसका असर यह हुआ कि यह माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह चले गये, उससे हम लोगों को कुछ सबक नहीं सीखना है ? यह चीज हमको सबक सिखाती है कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं है, उसके यहां देर है, अन्धेर नहीं है और हर माननीय सदस्य को इन घटनाओं से सबक सीखना चाहिये । शासन की पकड़ आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 तक होती है, मगर असली एग्जीक्यूटिव पावर सिपाहियों के हाथ में, एस0 आई0 और एस0 ओ0 के हाथों में होती है । रिपोर्ट तो थाने में जाने कितनी लिखायी जाती हैं पर क्या सब जगह यही होता है ? अगर इसी को रूल आफ ला कहते हैं तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर आज होता क्या है । कहीं किसी सिपाही से बन्दूक छीन ली, कहीं किसी के कहने पर दरोगा जी ने किसी को आवाज दे दी कि तुमको थाने में बुलाया है । लेकिन इस तरह के जब कांड हो जाते हैं तो उनसे सबक सीखने की जरूरत है । इसमें मुख्य मंत्री को सोचना होगा, चूंकि वह जुडीशियल माइन्ड रखते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है, उनके हाथों में प्रदेश की बागडोर है, उनको बिगड़े हुये हालात मिले हैं, जिनको वह स्वयं जानते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिये माननीय सदन का समय इसमें नष्ट नहीं करना चाहिये ।

आप शासक हैं आप इसको गहराई से सोचें कि सिसवा कांड जो हुआ सो हुआ लेकिन इस तरह का अब दूसरा कांड न हो । इस बात पर अब विचार करने की जरूरत नहीं है कि सिसवा कांड हुआ कि नहीं, यदि यह सोचेंगे तो 263 लोगों की आबादी का यह गांव है, 8 किलोमीटर पर बार्डर है, वहां पहुंचना आसान नहीं है और प्रदेश में ऐसे हजारों गांव हैं, जहां लोग रह रहे हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं होता है । इस कांड की शिकायत डेढ़ महीने बाद श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जब गृह मंत्री से किया तब विशेष जांच के आदेश दिये गये । इसके बाद गृह सचिव ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही इसमें हुई और जब अधिक हल्ला हुआ तो उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही की गयी है । तो डेढ़ महीने इस घटना को छुपाया गया, जिसमें कोई जुल्म बचा नहीं जो न किया गया हो, जिसके सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पान्डेय ने अभी बताया था । तो सवाल यह है कि डेढ़ महीने तक इस कांड को क्यों छुपाया गया । दरोगा जो इंचार्ज था उसको क्या कोई राजनैतिक शरण मिली है कि नहीं, इस पर सोचना होगा । जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं उसमें कहां तक राजनीतिक शरण दी गयी है इस पर सोचने की जरूरत है, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और हमारा सर शर्म से झुक जाता है । प्रजातंत्र में माननीय सदन से बड़ा कोई शक्तिशाली स्थान नहीं है । मुख्य मंत्री इस सदन के सदस्य हैं और शासन उनके हाथों में है लेकिन इस माननीय सदन के वह जिम्मेदार हैं ।

[श्री रियासत हुसैन--]

इसलिये माननीय सदन में जब यह मामला पेश होता है तो उसको नीचे तली में जाकर सोचना होगा कि आपके आदेशों की शक्ति कहां तक नीचे पहुंची है कि आपके आदेशों का नीचे पालन हुआ है कि नहीं और इसमें बहस करके कान्वेन्स होने की जरूरत है कि आपके आदेश का असर उस सिपाही तक दो दिनों में पहुंच जाना चाहिये था और यदि आपके आदेश का असर नीचे तली तक नहीं पहुंचता है तो आ इतने बड़े प्रदेश में लखनऊ में बैठकर सही मानों में शासन नहीं चला सकते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से वाक्यात जो चाहे आगरा में हुआ हो या सिसवा में इस तरह के मामलात जगह-जगह होते हैं और खेद की बात है कि वहां की पुलिस दलाल और गुन्डे उस सारे मामले को लेकर पार्टीबन्दी करते हैं। लोकतंत्र में पार्टीबन्दी आवश्यक है, उसके बिना कोई लोकतंत्र नहीं चला सकता है। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि कितना ही बड़ा कांड क्यों न हो जाय उसमें आपके अधिकारी और जो जांच करने वाले लोग हैं उसको वह हल्के तरीके से लें कि इस गांव के अन्दर ग्राम सभा का चुनाव हुआ था, इस गांव के अन्दर पार्टीबन्दी है इसलिये ऐसा हुआ। हिन्दुस्तान की संस्कृति ऐसी है कि आज भी अगर किसी औरत के साथ बलात्कार होता है तो वह आसानी से उसको हर एक के सामने नहीं कहती है। सिसवां की औरतों ने प्राइमिनिस्टर के सामने, प्रेस वालों के सामने और जो इन्क्वारीज गयीं उनके सामने, हर एक के सामने उन्होंने अपनी दर्दभरी कहानी को सुनाया है। जब आप इसको जुडीशियल तरीके से देखेंगे तो कहेंगे कि 5 दिन के अन्दर रेप का पता चलता है छठें दिन नहीं पता चलता लेकिन यहां तो डेढ़ महीने बाद पता चला।

मैं एक ही दरख्वास्त करता हूं कि एक जुडीशियल कमीशन सिसवा के ऊपर एप्वाइंट होना चाहिये और उसकी सिफारिशों के मुताबिक आपके कलम की ताकत उस थाने के दीवान, दरोगा, सिपाही तक पहुंचनी चाहिये जो यह समझते हैं कि हम किसी के घर में घुसकर बलात्कार करेंगे तो रिपोर्ट थाने का दीवान ही लिखता है वह लिखने की हिम्मत कैसे करेगा, गांव का पुलिस का दलाल जो बैठा है वह रिपोर्ट लिखाने जाने की इजाजत कैसे देगा इसलिये एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जायगी। मेरी मांग है कि आप स्वयं उस गांव में जायं, आप अपने विवेक से काम लें, आपके हाथ में जो ताकत है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और ऐसे आदेश जारी होने चाहिये कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसी घटनायें जैसी सिसवा में हुये हैं वह भविष्य में ऐसी दूसरी घटनायें न हों। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिये और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये पूरा प्रयास करना चाहिये। यह आपकी जिम्मेदारी है और यह हमारी आशायें हैं, हम समझते हैं कि आप हमारी आशाओं को पूरा करेंगे।

(श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य--

माननीय, हमारे जिले का मामला है, हमको बोलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, मैंने प्रमोद कुमार जी को बुलाया है।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्पूर्ण मानवता का सर इस बात से शर्म और ग्लानि से झुक जाता है, इस तरह की घटना सिसवा में हुयी या नहीं हुयी लेकिन उसको जिस तरीके से विपक्ष के कुछ राजनीतिक दलों ने बाजार में उसको बेचा है उससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। निश्चित रूप से अगर सिसवा में कुछ हुआ है तो वह पीड़ादायक है लेकिन जिस तरह से उसका नग्नतांडव किया जा रहा है उससे कम पीड़ा नहीं होती है। मान्यवर, अखबारों के कतरने आपने देखी होंगी, अखबारों में फोटो देखे होंगे, जिनको कहा जाता है कि सिसवा में घटित घटनाओं के चश्मदीद गवाह हैं, जो लोग जनता द्वारा ठुकरा दिये गये हैं वह मुस्कराते हुये चेहरे लेकर सामने आते हैं और जो नाम डूबे हुये हैं उनको उभारने की कोशिश करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का यह दल जो है वह यह मानकर चलता है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। लेकिन इस बात को तय करना होगा कि गुनहगार कौन सा है। पहले तय कर लेना चाहिये कि गुनाह हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको बख्शा नहीं जायगा।

सिसवा में बलात्कार हुआ या नहीं हुआ यह बाद में तय होगा लेकिन चन्द राजनीतिक दल इस सदन में प्रजातंत्र का बलात्कार करने पर उतारू हैं और सही बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार चाहती है कि दोषी को सजा मिले और उसी दशा में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी का स्थानान्तरण किया गया। दो-दो पुलिस उप-अधीक्षक वहां से हटाये गये। इस तरह 24 पुलिस कर्मचारियों को या तो निलंबित किया गया या स्थानान्तरित और यह सिर्फ इसलिए किया गया कि स्पष्ट और न्यायप्रिय बातें सामने आ सकें। मजिस्ट्रेट की जांच की बात को यह सामने आने नहीं देते और उसमें अंकित तथ्यों को सामने आने से पहले ही उसे रोकना चाहते हैं। जिस तरह से सरकार ने इन तथ्यों को जनता के सामने लाने के लिए कहा, उसके दो तीन तथ्यों में से एकाध तथ्यों पर मैं भी प्रकाश डालना चाहूंगा जो हरेक के समझ में आने वाले हैं। एक रिपोर्ट पुलिस कर्मचारी की तरफ से लिखाई गयी है कि वह रिपोर्ट करने जा रहा था कि उसको जबर्दस्ती रोका गया इसलिए यह वारदात हुयी और राजेन्द्र प्रसाद की एफ0 आई0 आर0 में उस प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह सारा नाटक गढ़ा गया दिन में दो बजे की घटना है। इस पर जरा गौर करने की बात है। अपने आवेदन पत्र में कहते हैं हम लोग खलिहान गये हुए थे, उस समय सिपाही आये और जबरदस्ती बलात्कार करना चाहा, फिर हम लोगों ने शोर मचाया, जिस पर वहां तमाम आदमी इकठ्ठा हो गये और बलात्कार की घटना नहीं हो सकी लेकिन प्रतिपक्ष यह हवा दे रहा है कि बेशक बलात्कार हुआ लेकिन इस प्रथम सूचना पत्र से तो यही पता चलता है कि बेशक उन लोगों ने बलात्कार करना चाहा, परन्तु बेशक बलात्कार हुआ नहीं तो यह प्रथम सूचना-पत्र की बात है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जब तक कोई तथ्य सामने न आ जाये, तब तक किसी को भी दोषी ठहराना उचित नहीं है। मामले में मजिस्ट्रेट जांच हो यो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रमोद कुमार--]

69 लोगों के और वहीं के गांव के ही लोगों के बयान हुए, इन लोगों ने भी यही कहा कि बलात्कार के प्रयास किये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मजिस्ट्रेट की जांच में भी यह बात साफतौर पर आ गयी कि ज्यादती तो हुयी है लेकिन रेप नहीं हुआ है। तो मान्यवर, मजिस्ट्रेट की जांच केवल इस लिए न मानी जाए कि इस रिपोर्ट को प्रतिपक्ष पसंद नहीं करता है। जैसा कि अभी भाई रियासत साहब ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री आप एक जुडिशियल माईन्डेड हैं तो उस कानून का पहला तकाजा यह है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पहले मौका दिया जाना चाहिये कि वह अपनी बेगुनाही को साबित कर सके यह जिम्मेदारी उस पक्ष की है और जो उसको अभियुक्त साबित करना चाहता है वह उसे अभियुक्त साबित करे। तो इसीलिए अभी अपराध अनुसंधान शाखा की जांच चल रही है, उसका पक्ष क्या है इसको जानना चाहिए, तो पूरी बात समझ में आयेगी। इसकी रिपोर्ट आने पर ही जो दोषी होगा, उसे पूरी सजा दी जायेगी, बख्शा नहीं जायेगा। बिना तथ्यों के जाने किसी बात का कहना कि 90-90 और 100-100 आदमियों ने एक साथ बलात्कार किया और यह भी नहीं आज से डेढ़ माह पहले की बात आज आप कह रहे हैं। तो इस तरह की तथ्यहीन बातों का कुछ लोगों द्वारा उड़ाना इस बात का द्योतक है कि वह बेचारे उस गांव के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं, जैसा कि नारायणपुर कान्ड में हुआ कि वहां की ऐसी-ऐसी बातें कुंवारियों के संबंध में उड़ाई गयीं, जिसकी वजह से वहां की लड़कियां आज भी कुंवारी बैठी हैं और उनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी इस सदन के अंदर कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषण दिये। माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ काफी दिनों से इस तरह के भाषण दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चले गये, लेकिन इनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ। पुलिस की दलाली करने के बाद भी अगर इनका शपथ-ग्रहण समारोह नहीं होता है, तो पूरे सदन के लिये दुख की बात होगी।

(हंसी)

यह इतनी शर्मनाक घटना है, सरकार ने खुद स्वीकार किया कि पुलिस के लोगों ने 32 घरों को लूटा और 8 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यह जो औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, मारपीट हुई है और लूट-खसोट हुई है, यह कांग्रेस (आई0) के सदस्यों के इशारे पर हुई है। जो वहां का एस0 ओ0 है वीरेन्द्र राय वह इससे पूर्व भी ऐसी ही घटनायें करता रहा है। जो वहां के तत्कालीन एस0 पी0 थे उन्होंने उसके तबादले के लिये लिखा था। इससे पूर्व भी ब्रह्म दत्त जी के साथ जो सहवास करते हैं शुक्ला जी उनको भी वह पकड़ चुका है उनके साथ भी वह इस तरह का अपमानजनक कार्य कर चुका है। श्री वीरेन्द्र राय को श्री संजय सिंह ने विशेष रूप से गढ़वाल के चुनाव में बुलाया था, इसीलिये इस मामले पर परदा डालने की कोशिश हो रही है।

वहां पर स्थिति यह है कि श्रीमती बख्शी उस गांव में गयी, शासन की ओर से कपड़ा, चादर बांटने के लिये राहत देने के लिये लेकिन वहां पर पुलिस के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दरोगा और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गये और जो जायज लोग हैं, उनको सामान नहीं मिल पाया और गुन्डा-गर्दी हुई। 2 अगस्त को श्रीमती मोहसिना किदवई उस गांव में गयीं। यह विचित्र बात यह है कि बलात्कार करने वाले और जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उन दोनों को संयुक्त रूप से बैठक बुलाई, नतीजा यह हुआ कि मंच पर लाठी चली, मारपीट हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बलात्कार हुआ है, उनको कांग्रेस के ही उन कार्यकर्ताओं ने जिनका इसमें हाथ था, मारा।

(सत्ता पक्ष की ओर से 'गलत है' गलत है' की आवाजें)

यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी को तनिक भी सम्वेदना है और वे महिलाओं के सम्मान के प्रति चिन्तित हैं, यदि उन्हें उत्तर प्रदेश की शान्ति-व्यवस्था की जरा भी चिन्ता है, तो उन्हें तुरन्त एक्शन लेना चाहिये। शासन ने बिल्कुल गलत बात कही कि उनको पूरी घटना की जानकारी नहीं मिल पायी थी। घटना के बाद दूसरे दिन ही लोग परगनाधिकारी के पास गये, लेकिन परगनाधिकारी ने आगे कोई इत्तला नहीं दी। अगर इन लोगों की जिम्मेदारी थी तो खाली तबादले से काम नहीं चलेगा। एस0 पी0 और कलेक्टर के ऊपर आपने क्या किया, उन्हें वहां से हटा दिया, इससे क्या होता है, वे और अच्छी-अच्छी जगह पर चले जायेंगे। वीरेन्द्र राय, जिसके ऊपर 396 और 397 के केसेज चल रहे हैं, वह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हाईकोर्ट में उसके जमानती वारन्ट को रद्द करने के लिये सरकार तत्काल कार्यवाही करे। शासन की ओर से यह कोशिश हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के व्यक्तियों को साथ लेकर कार्य करे और इस सारे मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी कराये।

*श्री दीना नाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिसवा कांड पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सिसवा कान्ड के बारे में जो हमारे सदस्य बड़े जोर-शोर से बोल रहे हैं यह झूठा है।

(हंसी)

मैं तीन बार सिसवा की यात्रा किया हूं, मुझे पूरी जानकारी है सिसवा गांव की। इस कान्ड की चर्चा करके और नहीं कुछ तो इसके जरिये से सिसवा गांव का विकास हो गया जिसकी कि उसे जरूरत थी परन्तु सिसवा में बलात्कार नहीं हुआ है। दूसरे मान्यवर, जिन माननीय सदस्य के द्वारा बलात्कार की घटना उठाई गई है, वह सदस्य अविवाहित हैं, उनको कैसे बलात्कार की जानकारी है?

(हंसी)

यदि यह बलात्कार साबित हो जाय तो मैं असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मान्यवर, सिसवा गांव दो भागों में विभाजित है जहां पर 1/3 जनता एक ओर और 3/4 जनता दूसरी ओर रहती है। जिन लोगों के ऊपर बन्दूक छीनने का मुकदमा कायम है उन्हीं की औरतें कहती हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है लेकिन दूसरी ओर की कोई भी अन्य महिला यह कहने को तैयार नहीं है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। वही 16 व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बन्दूक छीनने का मुकदमा है उन्हीं की औरतें कहती हैं कि हमारे साथ बलात्कार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीना नाथ—]

हुआ है। आज भी कोई भी महिला उस गांव की गंगा जली उठा कर यह कहने को तैयार नहीं है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है।

मैं उस गांव में गया। हमारे साथ 'जागरण' के 'आज' के तथा 'स्वतंत्र भारत' के लोग थे। वहां की महिलाओं से कहा गया कि गंगा जल उठा कर कहो कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है तो पीछे हट जाती हैं। जब हम लोग गये उस गांव मे तो हरिजन, धोबिन तथा यादव की औरतों से गंगाजली उठाने के लिये कहा तो वे तैयार नहीं हुई। इससे साबित होता है कि उन लोगों के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। हमारा स्टेटमेन्ट आया जब हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, श्रीमती मोहसिना किदवई वहां पर गई तो वही 16 लोग जिन पर बन्दूक का मुकदमा था उन लोगों ने उनसे मांग की कि उन लोगों पर जो बन्दूक का मुकदमा है, वह वापस हो जाय। मैं कहता हूं कि यदि बलात्कार हुआ था तो उनको न्याय मांगना चाहिये था, कहना चाहिये था कि पुलिस के लोग डिसमिस किये जायं न कि यह कहना था कि बन्दूक का मुकदमा वापस ले लिया जाय। यह बात साबित करती है कि सिसवा गांव में बलात्कार हुआ ही नहीं है परन्तु इस चर्चा से एक फायदा जरूर हुआ है सिसवा गांव को वहां पर पक्की सड़क बन गयी, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल खुल गये, अस्पताल खुल गया। तो यह सब आपके चर्चा करने से हो गया।

वहां पर तात्कालीन गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के हाथों 1,000 रु0 माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बांटा गया था।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वहां पर जो हाई स्कूल खोला गया है या जो वहां पर रुपया बांटा गया है, कपड़ा बांटा गया है वह किस मामले में बांटा गया है? क्या उनको रिश्वत दी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विष्ट जी, आप बैठिए। श्री पान्डेय जी, आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री दीना नाथ—

जो गरीब लोग थे, जिनके पास पहनने को नहीं था उन औरतों को दो-दो साड़ियां, गेहूं, चावल तथा बर्तन सरकार की ओर से दिये गये। यदि आप में मानवता थी तो आप भी जाते। नारायणपुर में भी आप लोगों को जाना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

मेरी प्रार्थना है कि आप लोग और मेम्बरों को भी बोलने का अवसर द।

(व्यवधान)

[3 बजकर 10 मिनट]

मैंने दुर्गा प्रसाद मिश्र को बुला लिया है।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद बस्ती के मोहना थाने के सिसवा ग्राम में 23, 24 अप्रैल, 1982 को जिस स्थिति में डूब गया, कि इन्सान ने इन्सानियत भुल दिया और एक पराजित प्रधान को लेकर....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे से बात न करें। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके धीरज से एक दूसरे के तर्कों को सुनें और फिर उसका जवाब दें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि थाना मोहना के सिसवा ग्राम में उस दिन जो कुछ हुआ, अगर आप पहले के पुरातन इतिहास को देखें और आज की स्थिति को देखें तो उस घटना ने तैमूरलंग और नादिरशाह के हमले को भी झुठला दिया है। सिसवा कांड के बाद उस गांव की तरक्की की बात कही जाती है। पहले तो उस कांड का सरकार के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। डेढ़ महीने तक तो जिला प्रशासन ने घटना से ही इन्कार किया। लेकिन जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिया कि उच्च पुलिस अधिकारी जांच करें, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वहां लूटपाट की घटना हुई है, कोई बलात्कार वगैरह नहीं हुआ है। 26 मई व 10 जून को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने वहां जाने की कोशिश की तो 8 जून, 1982 को जिला प्रशासन ने उस पुल को ही तोड़वा दिया ताकि वे वहां जाने न पायें। कितने आश्चर्य की बात है कि मेरे नौजवान साथी ने कहा कि औरतों ने बलात्कार की बात को स्वीकार नहीं किया है। आपके पास तो महिला फोर्स है, उस फोर्स को भेज कर उनसे जानकारी करवाते तो सही जानकारी आपको मिल सकती थी और तब कुछ बात समझ में आती। लेकिन ऐसा न करके आप उम्मीद करते हैं कि महिलायें सबके सामने इस बात को स्वीकार करें।

(व्यवधान)

सावित्री, गंगोत्री, दीपा, मंगरी, बासमती, सौभाग्यवती आदि कई ऐसी महिलायें हैं, जिनमें कोई गर्भवती थी, किसी के पास तीन साल का बच्चा था, उनको भी इन दरिन्दों ने नहीं छोड़ा और बच्चों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देने की धमकी देकर उनके साथ बलात्कार किया गया।

यह कहना कि इससे बहुत से निर्माण कार्य हुए, तरक्की के काम हुए, इससे बढ़ कर कोई गलत और मिथ्या बात नहीं हो सकती। मैं अपने नौजवान नेता दीनानाथ जी से बहुत पहले से परिचित हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—]

और कम से कम मैं उनसे इस बात की अपेक्षा करता था कि उन बहू-बेटियों को अपने घर की बहू-बेटी मानते और उस बलात्कार को अपने साथ बलात्कार मानते। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यह इस तरह से इस मामले को ले रहे हैं कि मुझे इनके स्वाभिमान पर झिझक हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाये। पुलिस अधिकारियों से इसकी जांच करा कर सच्चाई पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। वीरेन्द्र कुमार राय, एस० ओ०, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी की यह जिम्मेदारी थी कि उस घटना पर प्रकाश डालते और पूरी जानकारी करते। जहां का जिला प्रशासन इतना निर्जीव रहेगा, आंख और कान बन्द करके चलेगा तो इस प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? इसके साथ ही मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं कि इस घटना की सही जानकारी करने के लिए दोनों पक्ष उतावले हैं। इसकी खुली न्यायिक जांच कराई जाये और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

*श्री अम्बिका सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, बस्ती के सिसवां कान्ड पर इस समय सदन में जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है उस पर हमसे पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य विस्तार से अपनी बातें कह चुके हैं। मुझे इस विषय में यह नहीं कहना है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी की सहायता से हुआ है या किसका इसमें हाथ है। हमारे विपक्ष के साथियों ने यह भी कहा कि सत्ताधारियों का पुलिस को अच्छा-खासा समर्थन प्राप्त था, इसका तो मैं प्रतिवाद करता हूं। लेकिन हमारे जिले में इस घटना के घटित होने के बाद दो महीने तक वहां की जनता को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। सबसे पहले माधव प्रसाद त्रिपाठी के दौरे के बाद गोरखपुर और लखनऊ के अखबारों में यह बात छपी है और तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने उस पर इनक्वायरी के लिए सी० आई० डी० को भेजा है, तब बस्ती के लोगों को जानकारी हो पाई है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिसवां में जो कुछ हुआ, उससे हम निश्चित तौर पर इन्कार नहीं कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस ने थोड़ा भी जुर्म किया है तो निश्चित तौर पर हम उस पर पर्दा ही डालते रहे हैं। सिसवां में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, गुन्डे हैं। गांव में सभापति के चुनाव के लिए दो ग्रुपों में लड़ाई थी। सिपाही जब वहां पर गये तो उनके साथ बदतमीजी हुई, उनको मारा गया और उनकी रायफल छीनी गई। लेकिन उसके लिए जो लोग दोषी थे उनको दण्डित किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके जनता के साथ ज्यादती की गई।

मैं यह नहीं कह सकता कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। मैं भी दो बार वहां का दौरा कर चुका हूं, कुछ लोग कहते हैं कि बलात्कार किया गया और कुछ कहते हैं कि नहीं किया गया। इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है और सही तथ्य निश्चित रूप से सबके सामने आ जायेंगे। सभी लोगों ने यह मांग की थी कि जिलाधिकारी, एस० पी०, परगनाधिकारी, सबको हटा दिया जाय और सबको हटाने के बाद वहां जांच चल रही है और जो भी जांच रिपोर्ट आयगी वह निष्पक्ष आयेगी। जहां तक दोष वहां के गांव वालों का है, उनको उसके लिए दण्डित किया जाना चाहिए और अगर यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही पाया जाता है कि गांव में लूट-पाट हुई है और बलात्कार हुआ है तो पुलिस को भी उसके लिए दण्डित किया जाना चाहिए। पुलिस को कहीं से भी दण्डित नहीं किया गया। गांव वालों ने राइफलें छीनी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए थी लेकिन जो पुलिस ने वहां पर किया उसमें उनका जुर्म साबित होता है। तो उन्हें भी दण्डित किया जाना चाहिए।

*श्री मित्र सेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी सिसवां कांड पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन साहब कह रहे थे कि ऐसी घटनाओं से सिर शर्म से झुक जाता है। मान्यवर, सिर उनका झुक जाता है, जिनके शर्म होती है, लेकिन जब किसी के शर्म होती ही नहीं है तो सिर झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस प्रकार की तमाम घटनायें घटती हैं तो क्या मान्यवर, इस प्रकार की घटनाओं पर कोई रोक लगेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी न्याय के पक्षधर हैं, लेकिन उनके सामने 2-3 प्रश्न चिन्ह हैं। तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, क्या इनकी कहीं पर रोक होगी। जो नीचे का प्रशासन है, उस पर कोई क्या इनकी पकड़ होगी? यह इनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। किसी भी विकासशील देश की कसौटी इस बात पर होती है कि उस देश में अपराध भी बढ़ते हैं लेकिन यह परिभाषा केवल पूंजीवादी देशों की है समाजवादी और लोकतन्त्रमक देशों की नहीं है। सिसवां कांड इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस कर्मचारियों को खुली छूट दे दी गई, इससे अपराध को बढ़ावा मिलता रहेगा। जब पुलिस अपराध करती है तो शासन उसको पनाह देता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि जहां पर पुलिस कर्मी अपराध करते हैं तो उसको शासन बचाने का प्रयास करता है। इसलिए बचाने का प्रयास करता है कि पुलिस का मनोबल गिरेगा। क्या मान्यवर, इस प्रकार से पुलिस को प्रशासन द्वारा पूरी छूट रहेगी कि वह अपराध करती रहे। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो दफा 7 से लेकर 396 तक का मुलजिम हो जाता है लेकिन अगर पुलिस प्रशासन या उसकी एजेन्सी जुर्म करती है तो उसके लिए न्याय का कटघरा है कि नहीं। उनके लिए भी हथकड़ियां हैं कि नहीं। यह सबसे बड़ा सवाल है। सिसवां की महिलाओं का जो शील भंग किया गया, जो उनका सम्मान लूटा गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनायें कब तक होती रहेंगी, उनकी पुनरावृत्ति कब तक होगी।

मुख्य मंत्री जी की पकड़ प्रशासन पर कितनी है यह इस बात से जाहिर होगी कि उनकी पकड़ पुलिस पर कितनी है। सढ़पुर सिसवां इस प्रकार घटनायें हैं कि उनको देखने से ऐसा लगता है कि उन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सिसवा की महिलाओं का दोष क्या है। अगर वह दोषी हैं तो उनको कानून के दायरे में आना चाहिए। पुलिस कर्मचारी की राइफिल छीनी गयी, उसकी रिपोर्ट होती। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस कर्मी गुन्डों को लेकर घरों के दरवाजे तोड़कर औरतों की अस्मत लूटे, बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें फेंक देने के डर से उनको समर्पित किया जाय, यह कोई कानून नहीं कहता। यदि इस तरह से पुलिस के लोग काम करते रहेंगे तो जो आज पढ़े-लिखे समाज के अन्दर उनके प्रति अविश्वास पैदा होता जा रहा है और बढ़ता जायेगा। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने दो-तीन प्रश्न हैं वहां लोगों की न्यायिक जांच हो पायेगी या नहीं, दोषी पुलिस कर्मियों को सजा मिलेगी या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन--]

नहीं, जिन्होंने इस विषय को छिपाने की कोशिश की है उनको सजा मिल पायेगी या नहीं, ये कुछ प्रश्न मुख्य मंत्री के सामने हैं, जिन पर उन्हें निर्णय लेना है। प्रदेश की जनता को विश्वास में लिया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री चेतराम गंगवार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में सदन के सामने विरोध पक्ष ने एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उपस्थित कर दिया है। मान्यवर, मैं इस राय का हूं और मैं काफी दिन से देख रहा हूं कि विरोध पक्ष का जो उत्तरदायित्व है जो उसकी जिम्मेदारी है उसको वह निभा नहीं रहा है। (व्यवधान)। आप लोग जिगर थामकर बैठें। मान्यवर, आप भी इस बात के साक्षी हैं कि ये अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां प्रधानों के चुनाव नहीं हुये थे तो इनकी तरफ से आवाज आयी थी कि चुनाव नहीं होंगे। आज इन्होंने देख लिया कि ग्राम प्रधान चुन लिये गये हैं तो इनके मुलायम सिंह जी का बयान आ गया कि शपथ नहीं होगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, ऐसे ही 6 साल पहले इन्होंने कहा था...

श्री विजय सिंह राना--

पहले ये यहां से भाषण देते थे और आज वहां से इस तरह का भाषण दे रहे हैं।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं इनका सही रूप रखना चाहता हूं। अभी तो हमने कुछ नहीं कहा। प्रदेश में हजारों डकैतों और चोरों को मारा गया। इन्होंने कहा कि मुठभेड़ करा रहे हैं और भले आदमी मारे जा रहे हैं, जैसे कोई हत्या का कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया हो।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह सिसवा का बलात्कार का केस चल रहा है या क्या हो रहा...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, 23-4-82 को एक रिपोर्ट लिखाई गई । विपक्ष का यह आरोप है कि गंगोत्री आदि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, चाहे गंगोत्री का पति हो, सम्पत्ति हो या दूसरी महिलाओं के भाई हो, बहन हो, देवर हो हजबेंड हो, किसी ने कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई । मान्यवर, एक राजेन्द्र प्रसाद नाम का व्यक्ति है उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ लोग आये और वह मेरी पत्नी को परेशान करना चाहते थे । एक व्यक्ति जो (व्यवधान) क्रिमिनल नेचर का हो वह यह लिखा दे कि पुलिस वालों ने बलात्कार किया तो आप अनुमान लगवा सकते हैं (व्यवधान) मान्यवर, 23-4-82 की घटना है उसके बाद माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, जो विधान परिषद् के सदस्य हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ ऐसे व्यक्ति केवल राजनीतिक फौज के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए डेढ़ महीने बाद स्टेटमेंट देते हैं कि वहां बलात्कार हुआ (व्यवधान) मान्यवर, थोड़ी देर के लिए माननीय उपनेता, लोकदल को आप महिला मान लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जो चीज नहीं मानी जा सकती वह कैसे मान लें ।

श्री चेतराम गंगवार--

थोड़ी देर के लिए और माननीय बहुगुणा जी के साथी मुख्तार अनीस साहब इनको रेप करना चाहते हैं, तो इतने लोग यहां पर बैठे हैं, उसके लिए मन बनायेंगे, और फिर उनके लिए समय होना चाहिये, तो यह रेप नहीं कर सकते हैं । तो मेरा स्पष्ट आरोप है खाली शासन को बदनाम करने के लिए और सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी न दे सकें, पुलिस वालों को बदनाम करने के लिए यह सब कहा गया है ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चेतराम गंगवार--

तो इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है उसमें किसने क्या किया यह आ जायेगा आप घबरायें नहीं (व्यवधान) ऐसे आरोपों से इलेक्शन नहीं जीता जाता । यह फर्जी बलात्कार का केस बनाया जा रहा है । जांच हो रही है अगर सही होगी तो रिपोर्ट आ जायेगी । आपने मुझे समय दिया मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं ।

श्री हुकम सिंह--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जिस गम्भीरता के साथ इस सिसवा कांड को यहां पर रखा गया और कितनी गम्भीर घटना वहां हुई उस पर

[श्री हुकम सिंह--]

जिस गम्भीरता से यहां चर्चा करनी चाहिये थी वह गम्भीरता माननीय गंगवार जी ने उपमा देकर और यह कह कर कि थोड़ी देर के लिए यह कर ले या वह कर लें कह कर समाप्त करने का प्रयास किया है । तो इससे वह गम्भीरता रहेगी जिसमें हम विचार करना चाहते हैं । इस प्रकार तो सदन में चर्चा करना बेकार ही है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, भावना का है । फिर भी मैं कहूंगा (व्यवधान) जिस गम्भीरता का यह विषय है उसमें मैं यही अर्ज करूंगा, जब आप बोलें या आपके सदस्य बोलें तो आप अपने सदस्यों से कहें कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो । इस तरह से तो जो चर्चा होनी चाहिए वह नहीं हो पायेगी ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सिसवा कांड के बारे में जो आज गम्भीर बहस चल रही है, इसके में विस्तार में नहीं जाऊंगा कि घटना में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । मैं केवल दो मुद्दों पर--इस प्रशासन की निन्दा करना चाहता हूं । यह घटना 23 अप्रैल को घटी और बाद में शासन ने माना कि यह अभूतपूर्व और गम्भीर घटना थी । इतनी गम्भीर और अभूतपूर्व घटना होने के बावजूद, 23 अप्रैल को होने वाली घटना का, वहां से 40 किलोमीटर दूर रहने वाले बस्ती के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान निरीक्षण करते हैं 8 जून को--ठीक डेढ़ महीने बाद । प्रत्येक जिलाधिकारी के पास एक सेक्रेट मनी होता है इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी करने के लिए । इसीलिए उनको यह गुप्त धनराशि दी गई है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि यदि प्रशासन के सारे यंत्र शिथिल हो जाएं तो भी इस सेक्रेट फन्ड के द्वारा उनको सही जानकारी मिल जाए । सत्तापक्ष की विधायिका श्रीमती कमला साहनी ने इस घटना के तत्काल बाद गृह राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी को ज्ञापन दिया । 1 मई को स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना पर एक पर्चा छापकर बांट दिया और स्थानीय मुख्य समाचार पत्रों ने भी इसे छाप दिया । 26 जून को मंडलीय आयुक्त वहां जाते हैं और वहां से वापस आकर वह यहाँ अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं । कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के अतिरिक्त जिन-जिन लोगों की शिथिलता पाई जाए इस घटना के समय पर जानकारी न देने के लिए, उन सबको तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए था । उनका स्थानान्तरण भी तब किया जब 14 जुलाई को वहां की महिलाएं प्रधान मंत्री के पास पहुंचती हैं, हमारी मौजूदगी में उनको एक ज्ञापन दिया जाता है और इसे जानकर उनका माथा शर्म से झुक जाता है । और वह टेलीफोन से यहां सूचित करती हैं । तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के स्थानान्तरण की कार्यवाही होती है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट 26 जून, को मिलने के बाद वहां के थानाध्यक्ष को निलम्बित किया, इस बीच अन्य जिन-जिन लोगों की जिम्मेदारी आती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? 14 जुलाई को जब प्रधान मंत्री को जानकारी होती है तो उनके निर्देश पर इस शासन के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी और श्रीमती तिवारी वहां पहुंचती हैं । 14 जुलाई को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बात है, 23 अप्रैल और 14 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी प्रमुख व्यक्ति वहां पर क्यों नहीं गया ? इन दो मुद्दों पर मैं इनकी निन्दा करना चाहता हूं । यह सीधे-सीधे-इनकी विवेकहीनता का सूचक है ।

जहां तक बलात्कार की सूचना है, डेढ़ महीने बाद यह प्रकाश में आया और इसका कारण यह था कि उस समय सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के लोग गढ़वाल के चुनाव में व्यस्त थे और प्रशासन की मंशा यह थी कि इस कांड को ऐसे मौके के लाभ उठाकर छिपा दिया जाए । महिला डाक्टरनियों की एक टीम वहां की घटना का निरीक्षण करने गई थी और मैंने इस सम्बन्ध में बस्ती की सी0 एम0 ओ0 श्रीमती शोभा शुक्ला का बयान पढ़ा है । यदि वह गलत नहीं है तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 8 महिला डाक्टरों के दल को लेकर मैं वहां गई थी, मैंने वहां के महिलाओं से बात की, लेकिन डेढ़ महीने बाद डाक्टरी परीक्षण से यह बात साफ नहीं कही जा सकती कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है । लेकिन इस बात के चिन्ह अवश्य दिखलाई पड़े कि बलात्कार किया गया ।

आपने मैजिस्टीरियल इंक्वायरी बिठाई है, तो क्या मजिस्ट्रेट महोदय ने उन सम्बन्धित डाक्टरों के जत्थे का कोई बयान लिया है या नहीं ? उनसे भी कोई सलाह ली गई या नहीं ? इस तथ्य का प्रकाशन तभी हो सकता है जबकि इस घटना की जुडिशियल कमीशन के द्वारा जांच करायी जाय । इसके साथ-साथ मैं एक मूल बात कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या बन गयी है कि गत 2, 2 1/2 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस पुराने गृह मंत्री के जमाने में उच्छृंखल हो गयी है कि जनता सिविल पुलिस से सिविलाइज्ड बिहेवियर की अपेक्षा न करें । नारायणपुर की घटना हुयी, सिसवा की घटना हुयी और अभी हाल में इलाहाबाद में घटना हुयी जिसमें पुलिस द्वारा लड़के को मार दिया गया । इस सब की जिम्मेदारी पिछले 2 वर्ष के प्रशासन की है । इसमें सुधार लाने के लिये मेरा सुझाव है कि यदि सिविल फोर्स में एक भी अनसिविलाइज्ड बिहेवियर की घटना हो जाय और यह सिद्ध हो जाय, ऐसे पुलिस कर्मी को उसकी पूरी जिन्दगी में सिविल फोर्स में पोस्ट न किया जाय, कम से कम आप इतना ही कर दें तो इससे ही आप जनता की मदद करेंगे ।

उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है वह सिविलाइज्ड विहेवियर करें लेकिन व्यवहार में हम एक के बाद एक घटना देखते हैं जिसके बारे में हम विधान सभा में नाना प्रकार की औपचारिकतायें करते हैं । इसके बारे में उत्तर प्रदेश के जो नये मुख्य मंत्री हुए हैं जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर आयी है, पुलिस के बारे में काफी बातें जानते हैं, एक ठोस हल निकालेंगे । जिस पुलिस कर्मी के बारे में यहां पर चर्चा हुयी, जब हम उधर बैठते थे और ये लोग इधर बैठते थे इनकी पार्टी के शुक्ला जी को बुरी तरह से पीटा गया जो कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कमीशन के चेयरमन बना रखा है और गलत चार्ज लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया था । हमारी सरकार ने उस पुलिस कर्मी को निलंबित किया लेकिन वे इतने जोरदार हैं कि केन्द्र में बैठे हुए मंत्री के वे भान्जे हैं, जिसके प्रेशर से वे बहाल हो गये । श्री सुखपाल पांडेय का मामला

[श्री मोहन सिंह--]

इसी सदन में उठा था लेकिन चूंकि वे विरोध पक्ष के भूतपूर्व नेता थे, उनके साथ वह घटना घटी थी, इसलिये उनको पुरस्कृत करके मोहना में पोस्ट कर दिया गया था। तो जब इस प्रकार से पुरस्कृत करते हैं तो जनता को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो जो आदमी इस घटना में जिम्मेदार आई0 पी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 हों उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाना चाहिए जिनके रहते इस प्रकार की घटना घटी और प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ा।

*श्रीमती कमला साहना--

मान्यवर, सिसवा की घटना घटी। यह क्षेत्र मेरे शोहरतगढ़ क्षेत्र के पास है। इस घटना की सूचना मुझे 8 मई को मिली। चूंकि मेरा क्षेत्र नहीं था, मैंने वहां लोगों से कहा कि आप लोग अपने क्षेत्रीय विधायकों से बात करें और मैंने उन्हें यह कह कर वापस कर दिया कि इस मामले में आगे लिखा-पढ़ी करूंगी, आप लोगों की मदद करूंगी। पूरी बातों की जानकारी हुई। मुझे लोगों ने बताया कि वहां पर दो प्रधानों का झगड़ा था। एक प्रधान सन् 1952 से प्रधानी की चुनाव में जीतता आ रहा था और इस बार दुर्भाग्य से वह हार गया, नया प्रधान जीता, पुराने प्रधान ने सोचा कि लगे हाथ, जाते-जाते जो तालाब-पोखरे हैं, उसका फायदा उठा लें और अपने लोगों को मछली आदि दिला दिया। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। उनके लोग पहुंचे इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, चूंकि कुछ दिन कोई किसी पद पर रहता है, तो उनको उस पद का लोभ हो जाता है। उन लोगों ने सिपाहियों को कैसे समझाया-बुझाया, भगवान जाने और गांव में गयी तो बताया गया कि उनको डराया-धमकाया गया। बन्दूक की और पिस्तौल की जो घटना हुई, अब यह तो जो है, वह रिपोर्ट सामने आ रही है, जब मुझे बातों की जानकारी हुई, मैं बस्ती गयी, एस0 पी0 और डी0 एस0 से कहा कि इतनी बड़ी घटना की बात हो रही है, डकैतियों की, लूट-घसोट की, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार की, आप उस मामले में जायं और बातें करें कि क्या हुआ। लेकिन एस0 पी0 और डी0 एम0 से कहने के बावजूद भी उन लोगों ने यह समझा कि मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे कहने से एस0 पी0 और डी0 एम0 मौके पर गये नहीं। फिर 31 मई को कार्यकर्त्ता लोग मेरे पास आये और मैं राजेन्द्र त्रिपाठी से 31 मई को मिली। उनको मैंने लिखित सूचना दी। मेरी सूचना पर उन्होंने तुरन्त जांच का आदेश दिया और 8 जून को एस0 पी0 और डी0 एम0 ये लोग मौके पर गये। हमारी सरकार का ध्यान तब आकर्षित हुआ, मैंने बतलाया और मेरी सरकार ने जांच करवाई, आदेश दिया कि एस0 पी0, डी0 एम0 तुरन्त जांच करें और उसी के तहत सिपाहियों और ऐसे कर्मचारियों का निलंबन हुआ।

मान्यवर, जब यह कार्यवाही हो गयी थी। उसके बाद 10 जून को माधव प्रसाद त्रिपाठी वहां पर गए, जब हमारी सरकार उस मामले की जांच करा रही थी। हमारी सरकार वचनबद्ध है कि जहां पर भी इस तरह की कोई ज्यादती, कोई जुर्म कुछ होता है, उसके खिलाफ, जो भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो व्यक्ति हो, दोषी पाये जायेंगे उन्हें दन्डित किया जायगा। मैं उस गांव में फिर गयी। मेरे साथ बख्शी दीदी, उस समय गृह मंत्री थी, वह भी गयी थीं, मैंने उनसे कहा, मेरे निवेदन पर वह भी वहां पर गयीं। लूट-घसोट कुछ ज्यादती तो उनके साथ हुई ही है। बख्शी दीदी ने उनके रुदन पर एक-एक हजार रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहायता दिया और सहायता देने का आश्वासन भी दिया। विरोधी पक्ष ने सोचा कि इसका फायदा उठाना चाहिए और विरोध पक्ष के लोगों ने कहा कि बख्शी दीदी तो उन लोगों को डरा धमका रही थी। मैं साथ में गई थी। महिलाओं का उन्होंने आंसू पोंछा। वहां पर हर औरत यह नहीं कह रही थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, बल्कि यह कह रही थीं कि हमारे मनवा का छोड़ाय देव, जो बन्दूक में फंसा है। तो ऐसा लगता था कि उस मामले से बचने के लिए ऐसी बात कही जा रही थी। खैर मामले की जांच हो रही है। मैं मोहसिना जी से यहां पर आकर कही। मामले की जांच हो रही है और जांच के दौरान सभी तथ्य सामने आ जायेंगे।

हमारे मुख्य मंत्री, हमारा शासन और हमारे अधिकारी इस मामले में सतर्क है, कि असलियत क्या है, इसका पता लगाया जाय। मान्यवर, यह चीज शीघ्र ही जांच के द्वारा सामने आ जायेगी,। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस मामले की गहराई के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि सारे तथ्य सामने आना आवश्यक है। ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो घटना यह सिसवा में हुई इस पर आपने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की बात सुनी और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की बात भी सदन के समक्ष आयी। अभी माननीय श्रीमती कमला साहनी भी बोल रही थीं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा प्रेशर उनके सीने पर रखा है। पिछले 2 वर्षों में मैंने आज पहली बार उनको इतने संयम के साथ बोलते हुए देखा है। माननीय हमारी पार्टी के लीडर रियासत हुसैन साहब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी न्यायिक व्यक्ति हैं हम इनको मान लेते हैं यह वहां की औरतों से पूछें कि उनके साथ क्या हुआ लेकिन पंडित जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी माननीय गंगवार साहब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि डेढ़ महीने बाद क्या हल्ला किया गया। हमारे नेता मुख्तार अनीस साहब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कोई पंडित जी हैं। जो माननीय मंत्री के साथ सहवास करते हैं। उनको भी उस दरोगा ने पीटा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इसको निकलवा दीजिए

श्री गौरी शंकर भैय्या—

यह घटना सिसवा में हुई। सामान्यतौर पर हिन्दू महिला यह किसी से नहीं कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी से महिलाओं ने कहा और उनकी पतोहू मेनका गांधी वहां गयी थी और वहां से आने के बाद लखनऊ में बयान दिया था कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। हम लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जांच करें। पुलिस और कलेक्टर की जांच पर हमको यकीन नहीं है। एक छोटी सी घटना नारायणपुर में हुई थी तो इनके लीडर हाथी पर चढ़कर वहां पहुंच गए थे लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां कोई नहीं गया। मैं निवेदन कर रहा था कि यह इतने बेहया हो गए हैं कि इनकी सीट के बगल बलात्कार हो रहा है और हाउस के अन्दर और डंके की चोट पर कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, तो सुनकर दुख होता है। पता नहीं वह कौन सा चेहरा लेकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरी शंकर भैंटया--]

मान्यवर, इस घटना की गम्भीरता को नाकारा नहीं जा सकता। हम माननीय मुख्य मंत्री जी में पूरा यकीन करते हैं, इसके पूर्व वे हमारे माननीय अध्यक्ष थे हमें उनका पूरा यकीन है, आप स्वयं सिसवा जायें और जिन-जिन लोगों के नाम यहां लिए गए हैं, माननीय मोहन सिंह जी ने लिए हैं, अन्य सदस्यों ने लिए हैं, उनसे जानकारी करें। आज जो बयान यहां हम लोगों को मिला, ऐसा लगता है कि वह माननीय टकरू साहब ने जैसा टाइप करवा दिया वैसा बंटवा दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी की नीयत पर विपक्ष को कतई सन्देह नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय विरोधी दल के नेताओं को भी आप अपने साथ ले लें, और एक दल आपके साथ मौके पर जाकर जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, उस पर हमें विश्वास होगा।

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिसवा कांड के सम्बन्ध में इस पक्ष और विरोध पक्ष की बातें मैंने सुनी। दोनों ही पक्ष ने अपनी-अपनी बात कही। मैं सर्वप्रथम आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिसवा कांड को मैं एक आपराधिक घटना मानता हूं और इस कांड पर विवाद के सम्बन्ध में मैं इस पूरे सदन को एक पक्ष मानता हूं। इसलिए यह सदन जिस तरह से भी संतुष्ट हो इस घटना की जांच के सम्बन्ध में, मैं सदन की आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा।

मैं अब कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रशासन का कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं होगा कि वह किसी भी अपराधी को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसको बचाने का वह प्रयास करे। मगर सही तथ्य पर पहुंचने के लिए जहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, वहां विरोध पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वह वहां कोई अपराधी है उसे अपराधी के ही रूप में प्रस्तुत करे। सही बात को सामने रखे। किसी अन्य भावना से किसी बात को यहां प्रस्तुत न करे। उससे निर्णय लेने में दिक्कत हो जाती है।

सिसवा कांड के सम्बन्ध में 4 तरह के वर्जन सामने आए हैं। अब क्या सही है, क्या गलत है, इसके पहले एक मैजिस्टीरियल जांच हुई, अब सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है। इस घटना के सम्बन्ध में कुछ ट्रान्सफर्स भी हुए, कुछ और एक्शन भी लिए गए, मैं सदन के सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब यह घटना घटित हुई और उस पर जितने अन्तराल के बाद कार्यवाही शुरू हुई वह अंतराल काफी था और इसमें कहीं न कहीं ढिलाई अवश्य हुई अन्यथा यह कार्यवाही पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं आपसे दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र प्रसाद जिन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दिया है जो 23 तारीख की लिखी हुई रिपोर्ट है और वह कहीं केन्द्र सरकार को भेजा जो यहां जून में आयी है। दूसरी तारीख की भी रिपोर्ट है और दोनों रिपोर्टें दो प्रकार की हैं। पहली रिपोर्ट में कुछ लिखा है और दूसरी में कुछ लिखा है जिनकी वास्तविक जांच होगी और यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन पुलिस के सिपाही सम्मन की तामीली में गये थे और गलत सम्मन की तामीली में कहते हैं कि झगड़ा हुआ लेकिन कहते हैं कि गये थे। यह भी मानता हूं कि वहां मारपीट हुई, बंदूक उनकी छीनी गयी। यह भी संभव है कि उसके बाद आकर और फोर्स लेकर वहां बदमाशी की गयी। हर मौके पर जो बात बलात्कार के सम्बन्ध में बार-बार कही गयी है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई घटना घटती है आपराधिक कारण में, तो उसके तत्काल बाद ही फौरन ही यह माना जाता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्यायिक प्रसंग में, कि तत्काल जो बात कही जाती है वह सही के नजदीक ज्यादा होती है और घटना के बाद जितनी देर में कही जाती है वह अपने विचार और मनोबल से जोड़कर कही जाती है। घटना के बाद जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखकर और जांच करके क्या स्थिति है इसका पता जो एजेन्सी आप लोग तय करेंगे उससे होगी लेकिन क्या आप अन्यथा नहीं समझेंगे कि बलात्कार के डेढ़ दो महीने बाद व्यथित महिलाओं को ले जाया गया और उनको माला पहनाया जाय, तो जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ हो उनको माला पहनाकर उनका प्रदर्शन किया जाय, क्या यह राजनीतिक शो नहीं है। बलात्कार की घटना जिसके घर हुई हो, जिस महिला के साथ हुई हो, मैं कहता हूं कि उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या यह था और व्यवहारिक स्वरूप में जो अपराध लगा उसमें धारा 395 में

(इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कठिन से कठिन दंड देने के लिए गवाह खड़े किया जाना चाहिए था, लेकिन बलात्कार के सम्बन्ध में जो मुकदमा कायम होगा तो मैं सोचता हूं कि आप विश्वास करेंगे कि बलात्कार के मुकदमें में सफल होने में, जहां यह हुआ है, शायद ही कोई गवाही करे और बलात्कार का मुकदमा साबित हो चाहे सही हो या गलत हो लेकिन अदालत में मौके पर यह साबित होने को नहीं है और इससे वह अपराधी बच जायेगा बलात्कार में, लेकिन 395 में वह फंस सकता है। इसलिए जिन्होंने इस परिस्थिति में इस मामले को उछालकर इस जगह पहुंचा दिया है कि उन महिलाओं की स्थिति खराब गयी है और उनके घरेलू जीवन में दुख पहुंच गया है। इस आधार पर मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहें तो ऐसी घटनायें जो घटित हों मैं उनके सम्बन्ध में विरोधी दलों के और अपने पक्ष के मेम्बरों की एक स्टैंडिंग कमेटी यहां बना सकता हूं कि जब कोई ऐसी घटना घटे तो उस सम्बन्ध में वह कमेटी पहले देखे और उसमें क्या ऐक्शन लेना है उनको वह राय दे।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि जो भी घटनायें हों वह राजनीति से परे हों। सामाजिक घटनाओं में जिससे समाज का ढांचा बिगड़ता और बनता है उनमें हम राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई बात न करें। राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी बातें करने पर सदा वह दूसरी राह पर चली जाती हैं हमको राजनीतिक लाभ या हानि चाहे जो हो। मैंने इस पूरे सिसवां कांड के सम्बन्ध में पूरी जितनी फाइल थी उसको देखा और पढ़ा। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि यह गृह सचिव ने जो स्टेटमेन्ट बना दिया उसका पता भी मुख्य मंत्री को नहीं होगा। मुझे एक-एक कागज का इसमें पता है। मैंने एक-एक बात देखी है। मुझे अफसोस है कि इसमें जितनी चीजों में देर हुयी, जिस पर कार्यवाही नहीं हुयी वह बात न यहां सदन में कही गयी और न उस बात पर कार्यवाही हुयी। जो चीजें राजनीतिक प्रचार की दृष्टि से लाभकारी हो सकती थी खाली वह उठीं। यह घटना जब घटी थी और जितने समय तक कार्यवाही नहीं हुयी, उस वक्त जो कलेक्टर या जो एस0 पी0 थे, जिनका बाद में ट्रांसफर हुआ वह घटना के समय नहीं थे। घटना के बाद जब गये तो उन्होंने इस तरह की नजर नहीं रखी, जैसे कि वह बहुत गंभीर घटना नहीं थी। मात्र यही कारण है कि उनका ट्रांसफर इसी आधार पर हो गया। घटना के समय जो कलेक्टर या एस0 पी0 थे वास्तव में उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से यह मामला ज्यादा बढ़ा था। उनके सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही हुयी है अगर वह पूरी नह नहीं

[श्री श्रीपति मिश्र---]

तो उस कार्यवाही को उस सम्बन्ध में और जांच करने के बाद किया जा सकता है। लेकिन मैं यह भी निवेदन करूंगा, जैसे कि माननीय रियासत हुसैन ने कहा था कि यह जो घटनायें हो गयीं ऐसी घटनायें और न हों, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सामाजिक दोष की घटनायें जो हैं यह न हों इसके लिए जो उपाय आप सुझायें उसमें हम आपको सहयोग देंगे। लेकिन कहीं जर्रे के बराबर मामला हो, ऐसी घटना दिखायी पड़े, पहाड़ के ढ़ेर में दबी हो तो यह प्रकृति छोड़नी पड़ेगी कि ढ़ेर में से निकाल कर आसमान पर चढ़ा दिया जाय और सामाजिक विकृति का वातावरण पैदा किया जाय। ऐसी घटनाएं जिनसे ज्यादा प्रशासनिक लाभ हो उसको सामने लाना मुनासिब है, लाना चाहिए। लेकिन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं का उपयोग न हो। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, हम भी उनके ऊपर हाथ नहीं देंगे, बचाने की कोशिश नहीं करेंगे यह हम अपनी तरफ से कहते हैं। सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है। सी0 आई0 डी0 की जांच शीघ्र समाप्त होने का प्रयास किया जायगा, आप अगर सी0 आई0 डी0 की जांच बंद कराकर दूसरे तरीके से जांच चाहते हैं तो दूसरी एजेंसी सजेस्ट करें। आपके सामने यह रास्ता ओपेन है। सी0 आई0 डी0 की जांच समाप्त हो जाय या उससे पहले जो आप चाहते हैं जो सुझाव आप देंगे उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

(4 बजकर 10 मिनट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने भावात्मक शब्दों में कहा कि सिसवा कांड के प्रसंग में यदि प्रतिपक्ष चाहे तो सी0 आई0 डी0 जांच समाप्त कर कोई दूसरी जांच करवाई जा सकती है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने न्यायिक जांच की मांग की है इसलिए आप सी0 आई0 डी0 जांच समाप्त कर न्यायिक जांच ही करवा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए और इससे हम लोगों को संतोष भी हो जायेगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इसे स्पष्ट कर दें और जो भी पुलिस कर्मी इस सम्बन्ध में दोषी पाया जाय उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री मोहन सिंह--

न्यायिक जांच के लिए हम लोगों ने पहले भी मांग की थी और अब भी उसी पर आरूढ़ हैं। इसलिए आप कृपया दूसरी जांच ही करवा दें।

श्री श्रीपति मिश्र--

सी0 आई0 डी0 जांच समाप्त करें या उससे पहले ही कोई दूसरी जांच शुरू करा दी जाय। यह आप बता दें। यदि आप लोग सी0 आई0 डी0 जांच वास्तव में नहीं चाहते तो हम कोई दूसरी बात सोचें।

श्री मोहन सिंह--

हम लोग तत्काल न्यायिक जांच चाहते हैं।

श्री भीखा लाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि अभी सी0 आई0 डी0 जांच इस सम्बन्ध में हो रही है उसको रोककर दूसरी जांच फौरन की जाए या सी0आई0डी0 जांच खत्म हो जाए। इस सम्बन्ध में हम लोगों का मत यह है कि यदि सी0 आई0 डी0 जांच हो जाने के बाद, जब कोई तथ्य सामने आ जाएगा तो स्थिति और संकट में पड़ जायेगी, इसलिए इसे रोक कर न्यायिक जांच ही करवा दीजिये ।

श्री श्रीपति मिश्र--

ठीक है, यदि आप लोग यही चाहते हैं तो मैं आश्वासन देता हूं कि सी0 आई0 डी0 जांच रोक कर, दूसरी जांच करवा दी जायेगी ।

(मेजें थपथपाई गईं ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें आयीं थीं, जिसमें सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, मुख्तार अनीस, कुंवर सिंह नेगी, रेवती रमण सिंह, मोहन सिंह, रियासत हुसैन, अकबर हुसैन, राम गोविन्द चौधरी, राधे श्याम पटेल तथा हर गोविंद वर्मा, इन सब की सूचना एक ही विषय से सम्बन्धित था । वह विषय था "इलाहाबाद में पुलिस पिटाई से एक छात्र की मृत्यु" के सम्बन्ध में। इसको स्वीकार किया गया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे दें । केवल एक यही स्वीकार किया गया है और बाकी जितनी भी सूचना हमारे सामने रहीं, वह सब अस्वीकार की गयीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिसे आपने स्वीकार किया है यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य यदि कल ही हो जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए मान्यवर, समय निश्चित करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कब आप इस पर वक्तव्य देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

26 या 27 अगस्त को।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बहुत देर हो जायेगी, यदि आप इस मामले में निष्पक्षता दिखाना ही चाहते हैं तो वक्तव्य जल्दी ही दिलवाइये ।

श्री अम्मार रिजवी--

अगर माननीय सदस्यगण 25 तारीख को चाहते हैं तो ठीक है 25 तारीख को दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री भीखालाल, श्री मित्रसेन यादव, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी ने वर्ष 1982 में आलू के शीतगृहों के किराये की दरों की घोषणा न किये जाने से किसानों में तीव्र असंतोष के बारे में ध्यान आकर्षित किया था ।

नियमत: नियम 51 में एक ही प्रश्न मैं ले सकता था । जैसा मैंने पहले कहा था आदमी की जिन्दगी के मुकाबले में बाकी चीजों को प्राथमिकता न दे पाऊंगा । भीखा लाल जी और अन्य सदस्यों की सूचना के सन्दर्भ में जनहित को देखते हुए आवश्यक कार्यवाही के निदेश सरकार को दे दिये हैं । अब आइटम नं0 18 लेंगे ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, हत्या हो जाने के पश्चात् 4 दिनों तक लाश कब्र में पड़ी रही । सूचना पुलिस अधीक्षक, देवरिया को दी, लाश कब्र से निकाली गई ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आइटम नं0 18 ले लिया है । अब इस पर कोई बात नहीं । बाद में मुझ से बात कर लें ।

जनपद आगरा में डाकू अनार सिंह द्वारा पांच पुलिसकर्मियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

दिनांक 20 अगस्त, 1982 को सदन में दिए गए वक्तव्य पर माननीय सदस्यों ने यह सूचना चाही थी कि जो अभियुक्त अब तक गिरफ्तार नहीं किए गये हैं उनके विरुद्ध धारा -82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई अथवा नहीं ।

2--प्राप्त सूचना के अनुसार 5 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा -82/83 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

श्री विजय सिंह राना--

कल अपनी सूचना में बताया था कि कुल 25 आदमी थे, जिसमें से 5 का मर्डर हो गया और 2 पकड़े गये । आपने आज यह बता दिया कि कुल मिलाकर 5 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है । बाकी के खिलाफ क्यों नहीं सम्भव हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो इस विषय में सम्भवत: 5-6 आदमियों के बारे में उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो गई है और बाकी के विषय में हो रही है ।

श्री विजय सिंह राना--

उन्होंने यह कहा था कि 5 आदमी मारे गये, बाकी पकड़े गए ।

श्री उपाध्यक्ष--

सम्भवतः उन्होंने बताया था कि बाकी लोगों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है ! आपने उस दिन उनसे यह कहा था कि लिखित जानकारी करा दें ।

श्री हुकम सिंह--

जिस रोज वक्तव्य दिया गया था कि जितने अभियुक्त बाकी बचे हैं, मारने और गिरफ्तार करने के बाद, उनके खिलाफ 82/83 की कार्यवाही की गई है, विवरण नहीं था । आज कह रहे हैं कि केवल 5 के खिलाफ 82/83 की कार्यवाही की गई है ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इस काण्ड से जो 25 लोग सम्बद्ध थे, उनका पूरा विवरण शायद माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो लिख लें, उनमें से 6 लोग इनकाउन्टर में मारे गए, 8 एरेस्ट हुए, 5 के खिलाफ 82/83 चलाई गई, एक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और 5 की विवेचना चल रही है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जब 25 आदमियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई बताया गया । बीस के खिलाफ विवेचना चल रही है, यह बता दिया । तो जो 82/83 की कार्यवाही करना प्रारम्भिक चीज है, वह तो आपने की नहीं और कह दिया कि विवेचना चल रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

पांच के खिलाफ विवेचना चल रही है । उसमें एवीडेन्स मिल नहीं पाये इसलिए उनकी भी विवेचना चल रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने कहा कि 5-6 महीने नोटिस दिए हुए हो गए परन्तु 5 के बारे में आप यहां कह रहे हैं कि विवेचना चल रही है । उस विवेचना के पर्चे काटे गए होंगे तो क्या वह विवेचना फाइनल रिपोर्ट लगाने की तरफ जा रही है या फिर चार्जशीट की तरफ बढ़ रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 सन्देह पर लगाई गई थी । अभी तक 5 व्यक्तियों के विरुद्ध एवीडेन्स नहीं मिल पा रहे हैं तो कैसे कार्यवाही की जाय, आप खुद सोच लें ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इतना समय गुजर गया और उनकी विवेचना हो रही है तो उनके पर्चे कटे होंगे और जब पर्चे कटे होंगे तो साफ हो जाता है कि जो विवेचना के पर्चे कट रहे हैं उसमें फाईनल रिपोर्ट लगाये जाने की तरफ वह कट रहे हैं या फिर चार्जशीट लगाए जाने की तरफ कट रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

केवल प्रश्न इतना है कि विवेचना फाईनल रिपोर्ट की ओर है या चार्जशीट की ओर विवेचना हो रही है ।

श्री गुलाब सेहरा--

अभी विवेचना में कोई एवीडेन्स नहीं मिल पाया है उनके विरुद्ध। उनके विरुद्ध कोई एवीडेन्स नहीं प्राप्त हो सका है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पुलिस जिसको अभियुक्त बनाना चाहता है उसमें न मालूम कहां-कहां से गवाह बना लेती है। लेकिन मन्त्री जी कह रहे हैं कि 5 अभियुक्तों के विरुद्ध गवाह ही नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, इस सदन में ही रहस्योद्घाटन हुआ था कि डाकुओं को राजनैतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है और प्राप्त रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन पांच अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकी है और उनके विरुद्ध गवाह नहीं मिले हैं तो क्या यह सही नहीं है कि वे राजनैतिक संरक्षण पा रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके खिलाफ विवेचना चल रही है 82/83 की कार्यवाही नहीं हुई जिनके कि विरुद्ध इतने संगीन मुकदमें दायर हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

82/83 की कार्यवाही जिनके प्रति की गई वे हैं --

1--भूरा यादव,

2--भाई लाल यादव,

3--जालिम सिंह,

4--ज्ञान सिंह तथा

5--भूरा

मैंने कहा था कि वह डाउटफुल है और मामला अन्डर वेरीफिकेशन है इसीलिए गिरफ्तारी नहीं की गई ।

श्री अकबाल हुसैन--

अन्य जो हैं उनके भी नाम बता दीजिए ।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री विजय सिंह राना—

मेरी सूचना है कि 15 मार्च, 1982 को 10 बजे रात्रि में वहां भोज था, जहां डाकू अनार सिंह गैंग पहले से मौजूद था । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब डकैतों का गैंग पहले से वहां मौजूद था, उसके बाद पी0 ए0 सी0 के 5 ही आदमी वहां पहुंचे । तो इसकी सूचना जिला पुलिस अधिकारी एस0 एस0 पी0 को क्यों नहीं उपलब्ध करायी गई ? और उस स्थिति में वहां 5 ही सिपाही क्यों भेजे गये ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस पूरी घटना में ये थाना इन्चार्ज कांस्टेबिल्स और सब-इंस्पेक्टर भी इनावल्ब हैं किसी झाड़-फूक के केस में गये थे बिना किसी सूचना के ही ।

श्री विजय सिंह राना—

जब मालूम था कि पहले से उस गांव में डाकुओं का गैंग मौजूद है तो जिला अधिकारियों को इसकी सूचना पहले से होनी चाहिये थी ताकि 5 से अधिक सिपाही वहां भेजे जा सकते । मेरी सूचना है कि वहां एक भोज था, दावत थी, जिसमें इन सिपाहियों को भी बुलाया गया था और यह तय था कि पुलिस के 5 सिपाहियों को मार डाला जाय । यह बात इससे स्पष्ट होती है कि पी0 ए0 सी0 के हेड कांस्टेबिल से कहा गया कि अनार सिंह के पैर छुओ तो तुमको छोड़ दिया जायेगा । लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उससे कहा गया कि फिर सोच लो अगर अब भी पैर न छुएं तो तुमको गोली मार दी जायेगी । अगर पैर छू दिये तो छोड़ दिये जाओगे । फिर भी उसने मना कर दिया तो पहले उस हेड कांस्टेबिल को पेड़ से बांध दिया गया और बारी-बारी से उन पांचों सिपाहियों को पेड़ से बांध दिया गया और उनको गोली मार दी गयी । यह बात अपनी जगह पर सही है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पहले से गैंग मौजूद था तो उसकी सूचना जिलाधिकारियों को क्यों नहीं दी गई ? और अगर वहां पर पी0 ए0 सी0 पहले से थी तो वहां केवल 5 ही आदमी क्यों भेजे गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जानकारी ज्यादा मालूम होती है जब कि ये कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी ऐसी नहीं हो पायी है ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, ये सिपाही किसी भोज में शामिल होने के लिए नहीं गये थे । बल्कि गश्त के लिए गये थे ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 1982 में प्रश्न-पत्रों के न पहुंच सकने के कारण कतिपय छात्रों के परीक्षा से वंचित हो जाने तथा परीक्षा केन्द्रों पर नकल किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की 1982 की संस्थागत परीक्षायें दिनांक 16-3-82 से प्रारम्भ हुई थी। प्रदेश में उक्त परीक्षाओं के 2047 केन्द्र थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल एक परीक्षा केन्द्र राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर ही ऐसा है जहां लगभग 150 परीक्षार्थियों के लिए गणित के एक प्रश्न-पत्र के समय से न पहुंच सकने के कारण परीक्षा न हो सकी। उक्त विद्यालय हाई स्कूल परीक्षा हेतु 4 विद्यालयों से लिए गये 661 परीक्षार्थियों का केन्द्र था। प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रश्न-पत्रों की संख्या से संबंधित एक संख्या सूचक चक्र बनता है। इस चक्र में त्रुटि आ जाने के कारण इस केन्द्र पर भेजे गये प्रश्न-पत्र संख्या में लगभग 62 गणित के तथा 88 सामान्य गणित के कम पहुंचे सभी प्रश्न-पत्र विद्यालय में प्रश्न-पत्रों की संख्या और सूची सहित 11-3-82 को जौनपुर पहुंचा दिये गये थे जहां से उनका वितरण केन्द्र पर किया गया। दिनांक 14-3-82 को केन्द्र व्यवस्थापक, राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर के माध्यम से विशेष वाहक द्वारा पूरक मांग सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को भेजी, जो उन्हें 15-3-82 को प्राप्त हुई। मांगे गये प्रश्न-पत्रों को भेजने के लिए व्यवस्था सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तुरन्त की गई और विशेष वाहक द्वारा ही जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के पास मांगे गये प्रश्न-पत्र भेज दिये गये जो उन्हें उक्त तिथि को रात्रि में 12-40 बजे प्राप्त हुये। उस समय जौनपुर से सिंगरामऊ तक प्रश्न-पत्रों को भेजने के लिए किसी वाहन की उचित व्यवस्था न हो सकी और प्रश्न-पत्रों को केन्द्र पर पहुंचाने के लिए भेजा गया विशेष वाहक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अगले दिन प्रातः ही भेजा जा सका। वाहक केन्द्र पर परीक्षा आरम्भ होने के समय के आधा घंटा बाद साढ़े सात बजे पहुंचा किन्तु केन्द्र व्यवस्थापक ने परीक्षार्थियों को 7-10 बजे पर ही केन्द्र से छोड़ दिया था, जिससे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित न हो सके। उक्त परीक्षार्थियों को 27-4-82 को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा में बैठाकर छूटे हुए प्रश्न-पत्र की परीक्षा सम्पन्न करा दी गई और उनके प्राप्तांकों को जोड़ कर संस्थागत परीक्षार्थियों के साथ ही 14-6-82 को इनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है।

2--परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई। सामान्यतया परीक्षा संतोषजनक ढंग से संचालित हुई। नकल आदि की जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उन पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियमान्तर्गत समुचित कार्यवाही की गई।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो रिपोर्ट आई है मैं देवरिया की बात कह रहा हूं जिस स्कूल में मैं अध्यापक हूं उस स्कूल पर 70 पर्चे कम आये थे।

पूरे जिले के 15–16 केन्द्रों पर गणित ही नहीं, हर विषय के पर्चे 15–20 कम आये हैं और सब बोल कर लिखाया गया 2–2 घंटे तक । मन्त्री जी ने जो बयान दिया है वह देवरिया जिले की बात नहीं है पूरे प्रदेश की बात है । क्या इस बात की भी जांच करायेंगे कि देवरिया जिले के 15–20 केन्द्रों पर हिन्दी अंग्रेजी व गणित के पर्चे कम गये और समय से नहीं पहुंच सके ?

श्री लोकपति––

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नन्द किशोर सिंह––

मैं कृषक इन्टर कालेज बलटिकरा, देवरिया की बात कर रहा हूं जहां मैं अध्यापक हूं । पूरे जिले के 20 केन्द्रों पर पर्चे कम पहुंचे, इसकी जांच मन्त्री जी करायेंगे ? दूसरी जौनपुर की बात आई है जौनपुर में रात में 12.40 पर पर्चे पहुंच गये और वह पर्चे सुबह 7.30 बजे सेन्टर पर पहुंचे । क्या देर से पर्चे भेजने के कारण वहां पर परीक्षा नहीं हो सकी ? मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––

यह जानना चाहते हैं कि जहां पर्चे देर से पहुंचे, उसकी जांच कराकर क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति––

मान्यवर, वह पर्चे जब पहुंचे, जिला विद्यालय निरीक्षक ने सुबह 3.30 बजे जीप के द्वारा उन पर्चों को रवाना किया परीक्षा केन्द्र पर । जीप के खराब हो जाने के कारण पर्चे विलम्ब से पहुंचे । वाहन में कमजोरी या खराबी के लिए क्या जांच करें, किसे दण्डित करें यह कृपया बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष––

एक जगह जीप बिगड़ गई, क्या हर जगह जीप बिगड़ गई ?

श्री लोकपति––

जी नहीं, एक जगह जीप खराब होने की रिपोर्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष––

देवरिया का क्या हुआ ?

श्री लोकपति––

माननीय सदस्य ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न–पत्र न पहुंचने के कारण कतिपय छात्रों को परीक्षा से वंचित रह जाना पड़ा और उसके कारण छात्रों द्वारा नकल भी की गयी, इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है । उत्तर प्रदेश में 2045 परीक्षा केन्द्र हैं जहां पर गणित का प्रश्न–पत्र विलम्ब से पहुंचा था और कोई शिकायत नहीं है । उन छात्रों को

[श्री लोकपति]

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा में बैठा दिया गया और उन्होंने परीक्षा दी और वह पास हुए । जीप की खराबी से पर्चे नहीं पहुंचे । आप पद्धति बता दें उसी पद्धति से जांच करा लूंगा ।

*श्री धनीराम वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस-जिस विद्यालय केन्द्र पर 4 विद्यालय के छात्रों का पंजीकृत होना बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि किसी विद्यालय का संख्या सूचक चक्र त्रुटिपूर्ण था जिसके कारण परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्र कम आये । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या एक ही विद्यालय का संख्या सूचक चक्र त्रुटिपूर्ण था या चारो विद्यालयों के संख्या सूचक चक्र त्रुटिपूर्ण थे । यदि ऐसा है तो क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि संख्या सूचक चक्र सही था और माध्यमिक शिक्षा परिषद् के किसी अधिकारी की गलती से पेपर नहीं पहुंचा तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जो उसके जिम्मेदार हैं ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, प्रश्न साफ नहीं हुआ ।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, सम्बन्धित केन्द्र पर 4 विद्यालयों के छात्र पंजीकृत थे 661 की परीक्षा होनी थी जब प्रश्न-पत्र पहुंचा तो किसी कारण से गणित और सामान्य गणित दोनों को मिलाकर 150 प्रश्न-पत्र कम पहुंचे थे । जब वहां के प्राचार्य और मैनेजर ने देखा कि प्रश्न-पत्र कम हैं तो उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को सूचित किया और...

श्री उपाध्यक्ष--

क्या पर्चे खोल लिए गये थे । बिना पर्चे खोले कैसे पता चल सकता है कि प्रश्न-पत्र कम हैं ।

श्री लोकपति--

जब पैकेट आते हैं तो उनकी गिनती की जाती है । उनकी गिनती में कमी निकली । प्रश्न पत्र खोले नहीं गये ।

श्री धनीराम वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उससे स्पष्ट है कि संख्या सूचक चक्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्न-पत्र कम आये आपके रिटेन स्टेटमेन्ट में पूरा दिया है कि 4 विद्यालय पंजीकृत थे और उनकी संख्या सूचक चक्र की गलती के कारण पर्चे कम पहुंचे । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह यह बताये कि कौन सा विद्यालय ऐसा था जिसका संख्या सूचक चक्र त्रुटिपूर्ण था । क्या चारों विद्यालयों का संख्या सूचक चक्र त्रुटिपूर्ण था ? यदि नहीं, तो क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गल्ती के कारण ये पेपर्स कम आये ? यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गफलियत के कारण कम पेपर्स आये तो क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इम्तहान खतम हो गये, अब क्या है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इस वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक संख्या सूचक चक्र वहां भेजा जाता है और उसमें त्रुटि होने के कारण प्रश्न पत्र कम भेजे गये । मुझे इस बात की सुनिश्चित जानकारी है कि जो संख्या सूचक चक्र भेजे जाते हैं उसके साथ ही बोर्ड द्वारा कुछ अधिक संख्या में पर्चे भेजे जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विद्यालयों के द्वारा जो संख्या सूचक भेजे गये थे उसमें गणित और सामान्य गणित के प्रश्न-पत्रों की संख्या कितनी थी और बोर्ड से जो प्रश्न-पत्र इन दोनों विषयों के भेजे गये थे, उनकी संख्या कितनी थी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैंने शुरू में ही अनुरोध किया कि उस केन्द्र पर 661 बालकों को परीक्षा देना था । शेष प्रश्न पत्र ठीक आये किसी कारणवश पत्रों के पैकेट जो गणित और सामान्य गणित के थे, उसमें कमी आ गई । इसकी सूचना वहां भेज दी गई ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दो विषयों के पेपर कम भेजे गये या एक विषय के कम भेजे गये । गणित और सामान्य गणित दो प्रश्न-पत्र थे । मेरी निश्चित जानकारी है विद्यालय से जो संख्या सूचक पत्र बनाया जाता है उससे सदैव ही बोर्ड द्वारा अधिक संख्या में पर्चे भेजे जाते हैं । इस तरह से मैं जानना चाहता हूं कि दोनों विषयों में अलग-अलग विद्यालय से भेजे जाने वाले संख्या सूचक चक्र में कितनी संख्या थी ?

श्री लोकपति--

माननीय विधायक क्या जानना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, आप जो जानना चाहते हैं वह लिखकर मंत्री जी के पास भेज दें और जानकारी कर लें ।

ऐसा है कि नियम यह रहा है कि अगर कोई मंत्री अपने स्थान पर किसी दूसरे मंत्री का बयान या उत्तर देने के लिये कहे तो वह मुझे सूचित करता है । आज यह एक विशेष परिस्थिति मेरे सामने आयी और शिक्षा मंत्री के स्थान स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया और उत्तर दिये । यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है । अनुपूरक बजट 5 बजे प्रस्तुत होने वाला है । आप सब भी थके हुये हैं इसलिये....

श्री रियासत हुसैन--

एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये ।

[श्री रियासत हुसैन—]

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 62 और 88 पर्चे इक्जामिनेशन सेन्ट से सूचना आई कि कम आये । तो उसके बाद कैलकुलेशन किया होगा कि य 62 और 88 पर्चे कहां रह गये ?

श्री लोकपति--

मैंने अनुरोध किया कि 661 बालक परीक्षा देने वाले थे उसमें 66 पर्चे अंकगणित के और 88 पर्चे सामान्य गणित के कम गए। जब त्रुटि मालूम हुई तो अतिरिक्त पर्चे मंगाये गये ।

श्री पंचानन राय--

इलाहाबाद से 12.40 मिनट पर पर्चे जौनपुर पहुंच गये और वह सिंगरामऊ समय पर नहीं पहुंचे । जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी थी कि किसी विशेष वाहन से वहां जाना चाहिए था । उन्होंने कहा वाहन भेजा । मैं यह जानना चाहता हूं कि 12.40 मिनट में जब पर्चे आ गए तो जिला विद्यालय निरीक्षक या सह जिला विद्यालय निरीक्षक में से किसी को पर्चे न ले आने का क्या कारण था ? समय से पर्चे न पहुंचने पर पर्चे आऊट हो सकते थे और पूरे इम्तहान दुबारा कराने पड़ते । तो इसमें शासन दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, कार्यवाही करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपने कहा श्रीमन्, कार्यवाही करेंगे । कार्यवाही तो हमें नहीं शासन को करनी है ।

श्री लोकपति--

माननीय विधायक के सुझाव पर प्रशासन कार्यवाही करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अनुपूरक बजट 5 बजे पेश होना है अभी पौने पांच बजे हैं । आप लोग थके हैं इसलिए 4 बजकर 58 मिनट में पुनः बैठेंगे ।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई । 4 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1982-83 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1977-78 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1977-78 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1978-79 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1978-79 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इनकी प्रतियां वितरित की जायं।

(सदस्यों को प्रतियां वितरित की गईं)

(प्रतियां वितरित होने के उपरान्त)

श्री उपाध्यक्ष --

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बज तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

23 अगस्त, 1982

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 321 पर)

मांगों एवं उन पर कृत कार्यवाही की सूची

मांग	कृत कार्यवाही
1	2
1—वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनक्रमों में संशोधन कर आवश्यकता पर आधारित योग्यता मूलक वेतनमान निश्चित किया जाना चाहिए था किन्तु शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने हेतु सरकार ने न्यूनतम स्तर पर स्वयं अपने द्वारा निर्धारित मानक की भी उपेक्षा की है इस विसंगति का तत्काल निराकरण किया जाय।	वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों से अधिक वेतनमान अनुमन्य किए जा चुके हैं। जिन्हें अध्यापकों ने भी स्वीकार किया है।
2—सी0 टी0 वेतनमान के अवमूल्यन को समाप्त किया जाय तथा इसका पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि इस वेतनमान में कार्यरत व्यक्ति को शिक्षक सुलभ गरिमा के अनुरूप जीने लायक वेतन मिल सके तथा इस वेतनमान को आधार मानकर अन्य सभी श्रेणियों के शिक्षकों के वेतनमान का पुनः निर्धारण किया जाय	इस वेतनक्रम में वृद्धि कर दी गई है।
3—पुनरीक्षित वेतनमानों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वर्तमान पे पैकेट की भारी कटौती को दूर करने के लिए अंतरिम सहायता की धनराशि को परिलब्धियों में सम्मिलित करके ही पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण किया जाय।	ऐसे वेतनमानों की संरचना की गई है जिससे पे पैकेट में कटौती नहीं होगी।
4—महंगाई भत्ते की किश्तों की दरों को घटा कर वेतन आयोग ने अन्याय किया है। आयोग द्वारा संस्तुत 2.4 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की दरों के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित एवं वर्तमान में प्रचलित चार प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत की दर पूर्ववत् रखी जाय।	इस मांग पर विचार किया गया परन्तु इसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया है।

1	2
5—मकान किराया भत्ता में राज्य कर्मचारियों के साथ समानता स्थापित की जाय ।	यह मांग स्वीकार की जा चुकी है ।
6—व्यायाम शिक्षकों, आशुलिपि, टंकण, क्राफ्ट तथा संगीत आदि शिक्षकों के वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाय	व्यायाम शिक्षकों के मामले पर विचार किया जा रहा है । आशुलिपि, टंकण अध्यापकों के वेतनमान में अपेक्षित सुधार कर दिया गया है । क्राफ्ट अध्यापकों से सम्बन्धित मांग स्वीकर करने योग्य नहीं है । संगीत प्रवीण एवं संगीत निपुण योग्यताधारी ऐसे अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान अनुमन्य किया जा चुका है जो बी० ए० पास हैं तथा इन्टर कक्षाओं में अध्यापन करते हैं ।
7—ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत असुविधापूर्ण जीवन जी रहे शिक्षकों को ग्रामीण प्रतिकर भत्ता दिया जाय	यह मांग स्वीकार करने योग्य नहीं पाई गई ।
8—राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा दी जाय	इस मांग पर शासन के चिकित्सा विभाग में विचार किया जा रहा है ।
9—दस वर्ष तक एक वेतनमान में कार्य करने के उपरान्त भी यदि शिक्षक उससे उच्च वेतनमान में पदोन्नत नहीं हो पाता है तो उसे वेतनमान का सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय	दस वर्ष की सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । अपितु 16 वर्ष की सेवा के पश्चात् चयन वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 324 पर)

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत दुद्धी तहसील में पूर्ण कराये गये बन्धियों का विवरण, जनपद-मिर्जापुर

क्रम-सं0	वि0 ख0 का नाम	ग्राम का नाम	बन्धी का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	दुद्धी	1--कुसुम्हा	कुसुम्हा बन्धी	25
		2--डालापीपर	डालापीपर नयी बन्धी	10
		3--परावनसीला	परावनसीला नई बन्धी	9
		4--मायोधिया	मायोधिया बन्धी	10
		5--डरनवा	डरनवां बन्धी	20
		6--जोरुखाड़	जोरुखाड़ गन्धी	15
		7--जपला	जपला बन्धी	12
		8--बराईडाड़	बराईडाड़ बन्धी	8
		9--हथवानी	हथवानी बन्धी	10
		10--साऊडीह	साऊडीह बन्धी	10
		11--साऊडीह(2)	साऊडीह बन्धी	10
		12--गड़दरवा	गड़दरवा बन्धी	6
		13--मनबसा	मनबसा बन्धी	8
		14--महुली	महुली बन्धी	8
		15--नवाटौला वासिन	नवाटोला वासिन बन्धी	12
		16--रजबन्ध	रजबन्ध बन्धी	10
		17--परासपानी	परासपानी बन्धी	10
		18--डेवढ़ी	डेवढ़ी बन्धी	8
		19--बुरिया दुमरा	बुरिया दुमरा बन्धी	10
		20--बोम सरकार	बोम सरकार बन्धी	12

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
1	पुद्धो	21—हुमेल दोहर	हुमेल दोहर बन्धी	10
		22—मेदनी खाड़	मेदनीखाड़ बन्धी	12
		23—बुमा	बुमा बन्धी	4
		24—सुखोड़ा	सुखाड़ा बन्धी	10
		25—सलैयाडीह	सलैयाडीह बन्धी	10
		26—खाड़ पाथर	खाड़ पाथर बन्धी	1·50
		27—ओरहवा	ओरहवा बन्धी	1·50
		28—खरवारी टोला	खरवारी टोला	3 75
		29—हुरहोरी	हुरहोरी बन्धी	4
		30—भुलुही बभन-डीहा	भुलुही बवनडीहा बन्धी	2·50
		31—पिन्डारी	पिन्डारी बन्धी	1·75
		32—म्योरपुर	म्योरपुर बन्धी	2
		33—कुन्डाडीह	कुन्डाडीह बन्धी	4
		34—कुसुम्हा	कुसुम्हा बन्धी	2·50
		35—खैराही	खैराही बन्धी	1·00
		36—बगडैवा	बगडैवा बन्धी	3
		37—तीन टोलिया	तीन टोलिया बन्धी	2·75
		38—झिल्ली महुआ	झिल्ली महुआ बन्धी	2
		39—नविरा	नविरा बन्धी	5
		40—झापर	झापर बन्धी	1.50
		41—लोह	लोह बन्धी	1·65
		42—चागा	चागा बन्धी	2·50
		43—गुलालीडीह	गुलालीडीह बन्धी	1·50
		44—बेरपान	बेरपान बन्धी	0·50
		45—खजुरा	खजुरा बन्धी	2
		46—तुरीपान	तुरीपान बन्धी	2·75

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
		47—देवरी	देवरी बन्धी	1·50
		48—सेमर खाड़	सेमरखाड़ बन्धी	2
		49—सुयाचूजा	सूपाचूजा बन्धी	1·50
		50—डड़िहरा	डड़िहरा बन्धी	2·50
		51—वलियारी	वलियारी बन्धी	1·25

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत दुद्धी तहसील में अपूर्ण बन्धियों का विवरण-जनपद—मिर्जापुर

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम एवम बन्धी का नाम	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पूर्ण हे0	अपूर्ण हे0
1	2	3	4	5	6
1	दुद्धी	1—साऊडी बन्धी	10	..	10
		2—दिवुल बन्धी	10	..	10
		3—वी चोरवा बन्धी	12	..	12
		4—कोरगी बन्धी	10	..	10
2	म्योरपुर	5—वुरवाह बन्धी	3	2	1
		6—डुमरचुजा बन्धी	3	2	1
		7—वन महरी बन्धी	4·25	3	1·25

अवध पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 328 पर)

संलग्नक—1

विदेश का नाम	भ्रमण की अवधि	भ्रमण का प्रयोजन
(1) इंग्लैंड	जनवरी, 1975 से मार्च, 1975	विचारगोष्ठी ।
(2) बैंकाक तथा सिंगापुर	सितम्बर, अक्तूबर, 1977	विचारगोष्ठी ।
(3) मनीला तथा सिंगापुर	जनवरी, 1979	विचारगोष्टी ।
(4) दक्षिण कोरिया, जापान मलेशिया	अक्तूबर, 1979	एसोसिएशन आफ डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ पेसफिक एशिया की बैठक तथा विचार गोष्ठी ।
(5) बैंकाक	मई, 1980	एसोसिएशन आफ डेवलपमेन्ड इंस्टीट्यूट आफ पेसफिक एशिया की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक ।
(6) स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी	जून, जुलाई, अगस्त 1978	इन्टरनेशनल एसोशिएशन आफ इंस्टीट्यूटस एण्ड स्कूल्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कांग्रेस की बैठक तथा स्टडी कमेटी ।
(7) संयुक्त राज्य अमेरिका	जून, 1981	इन्टरनेशनल यूनियन आफ लोकल अथारिटीज का अधिवेशन ।
(8) आस्ट्रेलिया	जुलाई, 1981	इन्टरनेशनल एसोसिएशन आफ इंस्टीट्यूटस आफ स्कूल्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

संलग्नक 2

विदेश का नाम	भ्रमण की अवधि	भ्रमण का प्रयोजन
(1) यूनाइटेड किंगडम, बेलजियम, फ्रांस, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया तथा इटली	मार्च, 1978 से अगस्त, 1978	कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु।
(2) मलेशिया, सिंगापुर तथा बैंकाक	अप्रैल, 1980 से मई, 1980	स्टडी टूअर।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 340 पर)

आजमगढ़ जिले में ऐसे विद्यालयों की सूची जिनमें क्रीड़ा स्थल नहीं हैं ।

1—श्री अग्रसेन बालिका इन्टर कालेज, आजमगढ़ ।

2—निसवां बालिका इन्टर कालेज, आजमगढ़ ।

3—आदर्श इन्टर कालेज, अवती गौरी, आजमगढ़ ।

4—महाराजगंज इन्टर कालेज, महाराजगंज, आजमगढ़ ।

5—लो0 शि0 प0 इन्टर कालेज, सरदहा, गोपालपुर, आजमगढ़ ।

6—रामकृष्ण वि0 म0 इ0 कालेज, चान्दपुर पटबंध, आजमगढ़ ।

7—मौलाना आजाद इन्टर कालेज, अंजान शहीद, आजमगढ़ ।

8—मदन मोहन मा0 उ0 मा0 वि0, कन्दरापुर, आजमगढ़ ।

9—शिक्षक उ0 मा0 विद्यालय, भीयवर, आजमगढ़ ।

10—आदर्श उ0 मा0 विद्यालय, बनकट, आजमगढ़ ।

11—पटेल स्मारक उ0 मा0 विद्यालय उदिहा, आजमगढ़ ।

12—मे0 ला0 ने0 स्मारक इन्टर कालेज, रामनगर, बैजावारी, आजमगढ़ ।

13—डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, मऊ, आजमगढ़ ।

14—मुस्लिम इन्टर कालेज, मऊ, आजमगढ़ ।

15—सोनी थापा बालिका इन्टर कालेज, मऊ, आजमगढ़ ।

16—नेशनल इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ ।

17—डी0 ए0 वी0 बालिका उ0 मा0 विद्यालय, मऊ, आजमगढ़ ।

18—बलीमुद्दीन उ0 मा0 विद्यालय, मऊ, आजमगढ़ ।

19—अ0 ल0 नोमानी उ0 मा0 विद्यालय, मऊ, आजमगढ़ ।

20—गां0 स्मारक इन्टर कालेज, दरगाह, आजमगढ़ ।

21—सत्यराम जनता इन्टर कालेज, कल्यामपुर, आजमगढ़ ।

22—वी0 वी0 इन्टर कालेज, सोनाडिह, अमिला, आजमगढ़ ।

23—समाज सेवक उ0 मा0 विद्यालय, भैरोपुर, आजमगढ़ ।

24—तिलक उ0 मा0 वि0 फतेहपुर, तालचवर, आजमगढ़ ।

25—उ0 मा0 वि0 लेडी रामपुर, सोहड़, आजमगढ़ ।

26—ने0 स्मा0 वि0 कंजुल्लाहपुर, आजमगढ़ ।

27—उ0 मा0 वि0 घवरिया साय, आजमगढ़ ।

28—स0 दे0 बा0 उ0 मा0 वि0, मझवारा, आजमगढ़ ।

29—बालिका उ0 मा0 वि0, फतेहपुर, बालरनोप, आजमगढ़ ।

30—उ0 मा0 विद्यालय, संतपुर गोड़पुर, गोड़तरा, आजमगढ़ ।

31—श्री दुर्गा जी उ0 मा0 वि0, चिऊंटीडाढ़, आजमगढ़

32—बा0 बालिका इन्टर कालेज, राम भवन कुटी, काछा, आजमगढ़ ।

33—रा0 इं0 कालेज, चिरैयाकोट, आजमगढ़ ।

34—जूनियर उ0 मा0 विद्यालय, करहा, आजमगढ़ ।

35—श्री कृष्ण वि0 उ0 मा0 वि0, चिरैयाकोट, आजमगढ़ ।

36—राष्ट्रीय उ0 मा0 वि0 मटोड़, आजमगढ़ ।

37—मा0 उ0 मा0 वि0, देवलास, आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे 343 पृष्ठ पर)

सी0 टी0 वेतन क्रम रु0 250–425

(पुराना)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विषय
1	2	3
1	राजकीय इन्टर कालेज, दन्या	व्यायाम
2	राजकीय इन्टर कालेज, भूजाड़	,,
3	राजकीय इन्टर कालेज, नागांवरोठागाढ़	,,
4	राजकीय उ0 मा0 वि0, खोड़ा	,,
5	राजकीय उ0 मा0 वि0, भौनखालसतट	,,
6	राजकीय उ0 मा0 वि0, भटखौला	,,
7	राजकीय उ0 मा0 वि0, कलरौं	,,
8	राजकीय उ0 मा0 वि0, देवोथल	,,
9	राजकीय इन्टर कालेज, दन्या	विज्ञान/गणित
10	राजकीय उ0 मा0 वि0, झड़गांव	,,
11	राजकीय उ0 मा0 वि0, पोपलो	,,
12	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	,,
13	राजकीय इन्टर कालेज, द्वाराहाट	हिन्दी
14	राजकीय उ0 मा0 वि0, पोपलो	,,
15	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	,,
16	राजकीय इन्टर कालेज, मासो	सा0 गणित
17	राजकीय इन्टर कालेज, द्वाराहाट	पंजाबी
18	राजकीय इन्टर कालेज, भिकियासैंण	सामान्य (2 पद)
19	राजकीय उ0 मा0 वि0, खोड़ा	सामान्य
20	राजकीय उ0 मा0 वि0, भटखौला	सामान्य (2 पद)
21	राजकीय उ0 मा0 वि0, पोपली	सामान्य (3 पद)
22	राजकीय उ0 मा0 वि0, देवोथल	सामान्य
23	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	सामान्य (3 पद)
24	राजकीय उ0 मा0 वि0, शोंपा	विज्ञान/गणित
	सी0 टी0 वेतनक्रम के कुल रिक्त पद	30

उत्तराखण्ड विधान सभा

एल0 टी0 वेतनक्रम रु0 300–550
(पुराना)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विषय
1	2	3
1	राजकीय इन्टर कालेज, बूज्यूला	जीवविज्ञान
2	राजकीय इन्टर कालेज, नौगांवरोठागाड़	,,
3	राजकीय इन्टर कालेज, लमगड़ा	,,
4	राजकीय इन्टर कालेज, उत्तमसाणों	,,
5	राजकीय इन्टर कालेज, भिकियासैंण	,,
6	राजकीय इन्टर कालेज, गरूड़	,,
7	राजकीय उ0 मा0 वि0, बिन्ता	,,
8	राजकीय उ0 मा0 वि0, धैना	,,
9	राजकीय उ0 मा0 वि0, द्यूनाथल	,,
10	राजकीय उ0 मा0 वि0, देवोथल	,,
11	राजकीय उ0 मा0 वि0, बागोधार	,,
12	राजकीय उ0 मा0 वि0, भौनखाल	,,
13	राजकीय उ0 मा0 वि0, दादियाकौढ़	,,
14	राजकीय उ0 मा0 वि0, महाकालेश्वर	,,
15	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	,,
16	राजकीय उ0 मा0 वि0, नगरखान	,,
17	राजकीय इन्टर कालेज, भुजाण	गणित
18	राजकीय इन्टर कालेज, भौगांवरोठागाड़	,,
19	राजकीय उ0 मा0 वि0, भकूना	,,
20	राजकीय उ0 मा0 वि0, नैलवालपालो	,,
21	राजकीय उ0 मा0 वि0, पोपलो	,,
22	राजकीय इन्टर कालेज, भुजाण	अंग्रेजी
23	राजकीय इन्टर कालेज, स्याल्दे	,,
24	राजकीय इन्टर कालेज, बाड़ेछीना	,,
25	राजकीय इन्टर कालेज, कोटाचामो	,,

उत्तराखण्ड विधानसभा

1	2	8
26	राजकीय उ0 मा0 वि0, मैगड़ोस्टेट	अंग्रेजी
27	राजकीय उ0 मा0 वि0, पंतस्थली	,,
28	राजकीय उ0 मा0 वि0, खोड़ा	,,
29	राजकीय उ0 मा0 वि0, बांगोधार	,,
30	राजकीय उ0 मा0 वि0, झड़गांव	,,
31	राजकीय उ0 मा0 वि0, असगोलो	,,
32	राजकीय उ0 मा0 वि0, नैलवालपालो	,,
33	राजकीय उ0 मा0 वि0, पोपलो	,,
34	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	,,
35	राजकीय इंटर कालेज, स्यालदे	कला
36	राजकीय इंटर कालेज, अल्मोड़ा	,,
37	राजकीय उ0 मा0 वि0, मालीखेत	,,
38	राजकीय उ0 मा0 वि0, पन्तस्थली	,,
39	राजकीय उ0 मा0 वि0, अलगोलो	,,
40	राजकीय इंटर कालेज, चौड़ास्थल	विज्ञान/गणित
41	राजकीय इंटर कालेज, थिकियानसैंण	,,
42	राजकीय इंटर कालेज, देवलीखेत	,,
43	राजकीय उ0 मा0 वि0, डयानाथल	,,
44	राजकीय उ0 मा0 वि0, खोड़ा	,,
45	राजकीय उ0 मा0 वि0, शहरफाटक	,,
46	राजकीय उ0 मा0 वि0, भौनखालसल्ट	,,
47	राजकीय उ0 मा0 वि0, शौपा	,,
48	राजकीय उ0 मा0 वि0, कलरों	,,
49	राजकीय उ0 मा0 वि0, विनोलोसटेड	,,
50	राजकीय उ0 मा0 वि0, चमतोला	हिन्दी
51	राजकीय उ0 मा0 वि0, कमलेश्वर	,,
52	राजकीय उ0 मा0 वि0, जैनीला	,,
53	राजकीय उ0 मा0 वि0, धामदेवल	,,

विधान सभा

1	2	3
54	राजकीय उ0 मा0 वि0, महाकालेश्वर	हिन्दी/संस्कृत
55	राजकीय उ0 मा0 वि0, महरौली	,,
56	राजकीय उ0 मा0 वि,0 नगरखान	,,
57	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	,,
58	राजकीय उ0 मा0 वि0, भकूना	अर्थशास्त्र
59	राजकीय इंटर कालेज, नौगांवरोठागाड़	सामान्य
60	राजकीय उ0 मा0 वि0, मैगड़ोस्टेथ	,,
61	राजकीय उ0 मा0 वि0, देवोथल	,,
62	राजकीय उ0 मा0 वि0, मालोखेत	,,
63	राजकीय उ0 मा0 वि0, खोड़ा	,,
64	राजकीय उ0 मा0 वि0, गंगोधार	,,
65	राजकीय उ0 मा0 वि0, भौनखालसल्ट	सामान्य (3 पद)
66	राजकीय उ0 मा0 वि0, पोयलो	,,
67	राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट	सामान्य (2 पद)
68	राजकीय उ0 मा0 वि0, नैलवालपालो	,,
69	राजकीय उ0 मा0 वि0, बिनौलोसटेड	सामान्य
70	राजकीय उ0 मा0 वि0, मेहरौली	,,
71	राजकीय उ0 मा0 वि0, मेहरौली	,,
	स्नातक वेतनक्रम के रिक्त पद—	77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वेतनक्रम रु0 400—750 (पुराना)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विषय
1	राजकीय इंटर कालेज, दन्या	भूगोल
2	राजकीय इंटर कालेज, लमगड़ा	,,
3	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	,,
4	राजकीय इंटर कालेज, भिकियासैंण	अंग्रेजी
5	राजकीय इंटर कालेज, स्याल्दे	,,
6	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	,,
7	राजकीय इंटर कालेज, भिकियासैंण	नागरिकशास्त्र
8	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	,,
9	राजकीय इंटर कालेज, देवलोखेत	अर्थशास्त्र
10	राजकीय इंटर कालेज, लमगड़ा	,,
11	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	,,
12	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	भौतिकविज्ञान
13	राजकीय इंटर कालेज, चौखुटिया	,,
14	राजकीय इंटर कालेज, चौनलिया	,,
15	राजकीय इंटर कालेज, कांडा	हिन्दी
16	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	,,
17	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	रसायन विज्ञान
18	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	गणित
19	राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो	जीवविज्ञान
20	राजकीय इंटर कालेज, कांडा	,,
	प्रवक्ता के कुल रिक्त पद=	20

अविभाजित सभा

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के अक्तूबर, 1981 तक के रिक्त पदों का विवरण

वेतनक्रम रु0 450—950 (पुराना)

1—राजकीय उ0 मा0 वि0, मैहरौली

2—राजकीय उ0 मा0 वि0, लोनियाखान

3—राजकीय उ0 मा0 वि0, धौना

4—राजकीय उ0 मा0 वि0, असगोली

5—राजकीय उ0 मा0 वि0, खूंट

6—राजकीय उ0 मा0 वि0, नेवालपालो

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के अक्तूबर, 1981 तक के रिक्त पदों का विवरण

1—राजकीय इंटर कालेज, दन्या

2—राजकीय इंटर कालेज, भिकियासैंण

3—राजकीय इंटर कालेज, कांडा

4—राजकीय इंटर कालेज, देवलोखेत

5—राजकीय इंटर कालेज, भुजाण

6—राजकीय इंटर कालेज, लमगड़ा

7—राजकीय इंटर कालेज, बड़छीना

8—राजकीय इंटर कालेज, चौड़ास्थल

9—राजकीय इंटर कालेज, बसूला

10—राजकीय इंटर कालेज, देवायल

11—राजकीय इंटर कालेज, पालो

12—राजकीय इंटर कालेज, कोटाचामो

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 348 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 में उल्लिखित आरोपों की सूची—

1—पांच बार स्थानान्तरण होने पर भी इसका कार्यान्वयन न होना ।

2—अध्यापकों के अस्थायी और स्थायी प्रबन्ध में अनियमितता करना और रिश्वत लेना ।

3—अध्यापकों की पदोन्नति में अनियमितता करना ।

4—गोष्ठी के नाम पर शिक्षकों तथा जनता से धन एकत्र करना और बिना इसका हिसाब रक्खे गोल माल करना ।

5—अनियमित ढंग से कतिपय शिक्षकों को तथा विद्यालयों के बिलों का दोहरा भुगतान करना ।

6—बी0 एड0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दो शिक्षिकाओं को अनियमित ढंग से वेतन भुगतान कराना ।

7—ड्यूटी न करने वाले अध्यापकों को अनियमित ढंग से वेतन भुगतान करना ।

8—अनुचरों की नियुक्ति में अनियमितता करना ।

9—1-8-72 से 3-7-74 तक के अवशेष धन के भुगतान में रिश्वत लेना और अभी तक पूरा भुगतान न कराना ।

10—पेंशन योजना के अन्तर्गत शिक्षकों की जमा धनराशि पर ब्याज का भुगतान न कराना ।

11—विद्यालयों के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का दिनांक 1-9-77 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान न करना ।

12—परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रति दमनकारी नीति रखना और उन्हें परेशान करना ।

13—शिक्षकों की ग्रेडेशन लिस्ट न प्रकाशित कराना और वरीयता क्रम की परिधि लांघ कर कार्यवाही करना ।

14—कर्मचारियों के प्राविडेण्ट फण्ड के भुगतान में रिश्वत लेना ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 371 पर)

सूची

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	नाम सड़क	लम्बाई कि0मी0 में	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
				रु0
1	बनकटा	सड़क रामपुर सिकटिया	2.00	0.96
2	भाटपार	,, धर्मखारेट नन्दपुर	2.15	1.03
3	भटनी	,, झरना कुटी फतेपुर	2.10	1.11
4	लार	,, भेड़ापाकड़ चनुकी	1.85	0.89
5	सलेमपुर	,, मजूरी डुमबलिया	2.25	1.08
6	भागलपुर	,, देवसिया, भागलपुर सड़क घरमेर	2.00	0.96
7	बरहज	,, गौरा कटइलवा	1.00	0.96
		,, बरहज देइडिहा से बौला पंडित	1.00	
8	भलुअनी	,, पकड़ी फतेपुर बेरियाघाट	2.23	1.07
9	रुद्रपुर	,, रुद्रपुर निबही	2.235	1.07
10	देवरिया	,, मुडेरा बभनी	2.28	1.09

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
11	रामपुर कारखाना	सड़क रामपुर अवस्थी से गुदीजोर कक्वल	2.15	1.03
12	गौरी बाजार	,, गौरी हाटा रोड से सवना	2.235	1.07
13	बैतालपुर	,, देवरिया हाटा रोड से बलटिकरा बरपार	2.235	1.11
14	देसही देवरिया	,, जंगल बेलवा से बरवा मानसिंह	2.30	1.10
15	कसया	,, मंगलपुर कुशीनगर महुअवा बजराटार	2.45	1.18
16	पथरदेवा	,, बधौचघाट से सेमरी बंजरिया	2.15	1.03
17	हाटा	,, हाटा देवरिया भिसवा मार्ग	2.50	1.20
18	सुकरौला	,, नाऊमुण्डा भिसवा कक्वल	2.40	1.15
19	कप्तानगंज	,, सुधियानी भड़सर मंसूरगंज	2.20	1.06
20	रामकोला	,, रामकोला विहुली निस्पो	2.28	0.94
21	पडरौना	,, सखोपार कुबेर स्थान	2.10	1.01
22	मोतीचक	,, हाटा कप्तानगंज सड़क से लोहेपार गौनरिया	2.20	1.06
23	विशुनपुरा	,, पडुरी पिपरपाती से चहती बबुइयाहरपुर	1.83	0.94
24	नौरंगिया	,, सरगटिया पोखरे से जटहा बाजार	1.72	1.04
25	खंहडा	,, शिवदत्त धपारा से कोही गड्डी रहता जोरघाट	1.97	0.90
26	दुदही	,, दुदही पृथवीपुर	1.70	0.82
27	सेवरही	,, नोनिया पट्टी सलेमगढ़ मठिया श्रीराम	2.08	1.00
28	तमकुही	,, पिपरा कनक बसडिला	2.60	1.25
29	फाजिल नगर	,, बेलवा कनौरा	2.11	1.01
		योग ..	62.395	30.12

अनुवाद विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 380 पर ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़,
95 मुकेरीगंज, आजमगढ़

सं0 97/79-80

दिनांक 5 मई, 1982

रजिस्ट्रार,

विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद ।

विषय :--जनपद आजमगढ़ की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 के परीक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में ।

मान्यवर,

आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकृष्ट करते हुये निवेदन है कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 की परीक्षा के परीक्षकों की नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनेक प्रकार की अनियमिततायें की गई हैं । इस परीक्षा के परीक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया गया है । विभाग द्वारा स्पष्ट निदेशों के पश्चात् भी नियमों का गला घोटा गया है । जिसका सत्यापन निम्नलिखित विवरणों से स्पष्ट हो जाता है--

1--जो अध्यापक तथा प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा, 1979 में परीक्षक हैं तथा जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 की परीक्षा में भी परीक्षक नियुक्त किये गये हैं, जबकि आप द्वारा दिये गये निर्देशों में स्पष्ट था कि जो शिक्षक/प्रधानाचार्य हाई स्कूल परीक्षा अथवा इंटर की परीक्षा, 1979 में परीक्षक ही हों उन्हें जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 में परीक्षक न बनाया जाय । इस प्रकार के दर्जनों ऐसे शिक्षक एवं प्रधानाचार्य हैं जो हाई स्कूल में सहायक परीक्षक/उप प्रधान परीक्षक हैं तथा वे ही इस वर्ष की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में प्रधान/उप प्रधान/सहायक परीक्षक नियुक्त किये गये हैं ।

2--इस वर्ष की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में उन्हीं शिक्षकों को परीक्षक बनाया गया है जिनको जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव ही नहीं ।

3--प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1979 में परीक्षक नियुक्त किये गये हैं ।

4--कुछ ऐसे भी शिक्षकों को जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा, 1979 में परीक्षक बनाया गया है जो सम्बन्धित विषय के लिये अर्ह ही नहीं हैं ।

5--इस वर्ष की जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में प्रवक्ताओं एवं इंटर कालेज के प्रधानाचार्यों को सहायक परीक्षक बनाया गया है जबकि आपका स्पष्ट निर्देश था कि जूनियर कक्षाओं को आगे वाले अर्ह शिक्षकों को ही जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षक बनाने में प्राथमिकता दी जाय किन्तु सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षक नहीं बनाया गया ।

6--जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ ने उप प्रधान एवं सहायक परीक्षकों की सूची बनाकर संगठन द्वारा प्रस्तुत भी कर दिया गया था प्रस्तुत सूची में आपको निर्देशों का विशेष ध्यान में रखकर ही सूची प्रस्तुत की गयी थी तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि इस सूची को प्राथमिकता दी जायेगी ।

7--जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में उन लोगों को उप प्रधान परीक्षक बनाया गया है जिन लोगों को कभी भी किसी स्तर की परीक्षक का अनुभव नहीं है ।

8--सभी प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को उप प्रधान तथा प्रधान परीक्षक नियुक्त किया गया है ।

9--पी0 टी0 प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति में उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर का स्पष्ट निर्देश था कि हाई स्कूल इंटर कालेज के अर्ह व्यायाम शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाय । नियमों के अन्तर्गत व्यायाम शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही पी0 टी0 प्रयोगात्मक परीक्षकत्व हेतु अर्ह है, किन्तु नियमों एवं आदेशों की अवहेलना का प्रति उप विद्यालय एवं बेसि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की पी0 टी0 प्रयोगात्मक परीक्षक बनाया गया ।

10--नियमों के अन्तर्गत हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व होने की आवश्यकता थी किन्तु जिन लोगों ने व्यक्ति प्रभाव अथवा भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया उन्हीं को इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है ।

11--जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में गणक का कार्य केवल निरीक्षक वर्ग एवं प्रधानाचार्यों को ही दिया गया है ।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की जांच स्वयं अपने स्तर से कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ नियमों के विरुद्ध एवं निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले परीक्षकों का इस कार्य के लिये वंचित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें । जांच के साक्ष्य में मुझे भी बुलाया जाय ताकि उपरोक्त तथ्यों का प्रमाण प्रस्तुत कर सकूं । मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप इस अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शीघ्र उचित कदम उठाने का प्रयास करेंगे ।

धन्यवाद ।

भवदीय,
ह0/ राम जन्म सिंह,
जिला मन्त्री,
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ,
जनपद आजमगढ़, 95 मुबारकगंज,
आजमगढ़ ।

प्रतिलपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3—आयुक्त एवं शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा, लखनऊ ।

4—सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

5—उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर ।

6—श्री पंचानन राय, परिषद् सदस्य एवं मन्त्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ।

(ह0) राम जन्म सिंह,
जिला मन्त्री ।

उदय प्रदेश पत्रिका

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 176 का उत्तर पीछे पृष्ठ 386 पर ।)

शिक्षा संघ

रतनसेन महाविद्यालय झांसी (बस्ती)

मांग-पत्र

1--महाविद्यालय के समस्त अभिलेखों को तत्काल सील कर खुली जांच करायी जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय ।

2--जांच अवधि के दौरान एवं उसके निर्णय तक जिलाधिकारी, बस्ती को प्रबन्धक समिति के संविधान "अध्यक्ष के अधिकार पैरा 2" के अनुसार प्रबन्ध समिति के सम्पूर्ण कार्यभार स्वयं संभालने की कृपा करें ।

3--महाविद्यालय परिसर से अवैध हथियारों एवं असामाजिक तत्वों को तत्काल हटाया जाय ।

4--महाविद्यालय परिसर में पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

5--बी0 एड0 प्रवेश में लिये गये अवैध धन की जांच तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

6- अध्यापकों एवं समस्त कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौतियों में किये गये घपले के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये एवं समस्त धनराशि को मय सूद वापस किया जाय ।

7--बी0 ए0, बी0 एस-सी0, पी-एच0 डी0, एम0 ए0 उत्तीर्ण तथा असामाजिक तत्वों के महाविद्यालयों में पुनः अवैध प्रवेश को निरस्त किया जाय ।

8--महाविद्यालय की विभिन्न समितियों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व सत्र आरम्भ सप्ताह के भीतर गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराकर अनिवार्यतः किया जाय ।

9--महाविद्यालय के आन्तरिक एवं विभागीय प्रशासन में अध्यापकों की वरीयता क्रम का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय ।

10--अवकाश प्रदान करने में कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण नीति समाप्त की जाय तथा अब तक किये गये पक्षपात की जांच की जाय ।

11--महाविद्यालय भवन में सुरक्षित एवं प्रशाधनयुक्त अध्यापक कक्ष की व्यवस्था की जाय ।

12--महाविद्यालय परिसर में ग्रन्थालय एवं वाचनालय की व्यवस्था की जाय ।

13--चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के कार्य विभाजन की सूचना हम अध्यापकों को देकर उनके पदीय कर्त्तव्य का ही पालन कराया जाय तथा अध्यापक कक्ष के लिए दो स्थायी चपरासी प्रदान किया जाय ।

14--महाविद्यालय परिसर को राजनैतिक दलों के क्रिया-कलापों से मुक्त रखा जाय ।

15--महाविद्यालय परिसर विशेषतः प्राचार्य कक्ष के अश्लील क्रिया-कलापों, प्रदर्शनों से मुक्त किया जाय ।

16--बी0 डी0 एस0, पी0 एस0 एवं बी0 एड0 प्रवेश (1979-80 एवं 1980-81) पर गठित जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों को दन्डित किया जाय ।

एस0 एन0 लाल,
मन्त्री,
शिक्षक संघ ।

उदय प्रकाश सक्सेना

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 201 का उत्तर पीछे पृष्ठ 394 पर।)

श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत विकास खण्ड जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में निर्मित मार्गों की सूची

वर्ष	क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि० मी०)	निर्मित लम्बाई (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1977-78		कोई सड़क निर्मित नहीं की गई।			
1978-79	1	जाफरगंज से मल्लावां	3.00	3.00	पूर्ण
1979-80	1	रानीगंज से सत्थिन	1.00	1.00	पूर्ण
	2	जाफरगंज से गढ़ा	3.30	3.30	पूर्ण
	3	जगदीशपुर बस-स्टेशन से निसूरा	2.00	2.00	पूर्ण
	4	लखनऊ मार्ग से उत्तेलवा	0.500	0.500	पूर्ण
	5	शुकुल बाजार से इन्दरिया	3.00	3.00	पूर्ण
	6	बाजार शुकुल मार्ग से सिन्दूरवा	1.500	1.500	पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	7 लखनऊ मार्ग से सिन्दूरवा रेलवे स्टेशन	2.00	1.360	अपूर्ण/रास्ता नहीं मिला।
	8 लखनऊ मार्ग से मोहब्बपुर	1.00	0.720	अपूर्ण/योजना समाप्त
	9 बाजार शुकुल मार्ग से बागमीरा	5.00	4.775	अपूर्ण मिट्टी नहीं मिली।
	10 बाजार शुकुल मार्ग से बरसन्डा	2.500	2.020	अपूर्ण मिट्टी नहीं मिली।
1980-81	1 जैनबगंज से किशनी	4.500	4.500	पूर्ण
	2 लखनऊ मार्ग से अतरौना	2.00	0.319	योजना समाप्त
	प्रस्तावित मार्ग--			
	1 जगदीशपुर-फैजाबाद मार्ग से मुही-उद्दीनपुर	1.50	..	..
	2 महौना पश्चिम से पूरेलाबी	1.00	..	..

अनुप्रयोग विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 204 व 205 का उत्तर पीछे पृष्ठ 395 पर ।)

सूची

स्वावलम्बी इंटर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर में वर्ष 1962 से वर्ष 1970 तक जे0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0 वेतनक्रम में नियुक्ति किये गये शिक्षकों का विवरण

	नियुक्ति तिथि	योग्यता नियुक्ति के समय
1—श्री राम प्रसाद त्रिपाठी	29-7-62	हाई स्कूल, जे0 टी0 सी0 ।
2—श्री जगन्नाथ दुबे	30-6-66	हाई स्कूल, एच0 टी0 सी0 ।
3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद	17-7-63	इंटर, जे0 टी0 सी0 ।

नियुक्त शिक्षकों में से श्री जगन्नाथ दुबे, सहायक अध्यापक की नियुक्ति एच0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र पर की गयी थी, जिसका अनुमोदन तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, गोरखपुर से अपने पत्रांक कैम्प/3115/65-66, दिनांक 30 अगस्त, 1966 द्वारा किया था । कालान्तर में श्री दुबे ने अपनी शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करते हुए जब बी0 ए0, बी0 एड0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तब विभाग से बार-बार निर्देश के उपरान्त उनकी पदोन्नति दिनांक 1 नवम्बर, 1973 से सुमोटो के अन्तर्गत सी0 टी0 वेतनक्रम में की गयी ।